लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 19 में अंक 21 से 25 तक हैं / Vol. XIX contains Nos. 21 to 25]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 30 अगस्त, 1972/8 भाद्र, 1894 (शक)

No- 22, Wednesday, August 30, 1972/Bhadra 8, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
401.	व्यापार गृहों को लाइसेंसों और परमिटों का दिया जाना	Issue of Licences and Permits to Business Houses ...	1-4
402.	संस्थापन अधिकारी और सतर्कता अधिकारी के कार्यों को एक साथ मिलाना	Combination of the Functions of an Establishment Officer and Vigilance Officer ...	4-7
403.	विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय रिर्जव पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती	Recruitment to CRP and CISP from various States ...	7-8
404.	वर्ष 1971-72 में आकाशवाणी को विज्ञापनों से आय	Revenue of AIR through Advertisements during 1971-72 ...	8-9
405.	साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स कलकत्ता का अप्रभावी कार्यकरण	Ineffective functioning of the Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta ...	9-12
407.	अलवर (राजस्थान) में स्कूटरों का कारखाना	Scootar Factory at Alwar (Rajasthan) ...	12-13
408.	लाइसेंसों सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए औद्योगिक गृहों के विरुद्ध जाँच	Inquiry against Industrira! Houses for Violating Provisions of Licences ...	13-15

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicatsd that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
409. कारावास में बन्दियों को सुविधायें	Facilities to Prisoners in Jail ...	15-19
अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
6 मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में स्टैनलेस स्टील के उत्पादन में वृद्धि	Expansion of Production of Stainless Steel in Alloy Steels Plant, Durgapur ...	19-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
406. जिन व्यक्तियों की खेती योग्य भूमि को दिल्ली के विकास के लिये अधिग्रहीत किया गया है उनके आश्रितों को तकनीकी और औद्योगिक सुविधाएं	Technical and Industrial Facilities to Dependents of those whose Agricultural Lands have been Acquired for Development of Delhi ...	25-26
410. आकाशवाणी से युवकों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम	Programmes for Youth Broadcast over AIR ...	26
411. अत्यावश्यक वस्तु निगम	Essential Commodities Corporation ...	26-27
412. विविध भारती से आय	Vividh Bharti Earnings ...	27
413. महाजन आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendation contained in Mahajan Commission Report ...	27
414. भूमिगत जल की मात्रा का पता लगाने के लिये भारत के भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार तथा मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण	Survey of Bihar and M.P. by Geological Survey of India to assess the quantity of Underground Water ...	27-28
416. विदेशों में आकाशवाणी के संवाददाता	AIR Correspondents in Foreign Countries ...	28
417. राजधानी में कारों की चोरी के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested for lifting of cars in the Capital ...	29
418. अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण	Control on Essential Commodities ...	29-30
419. पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आसाम में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एकाधिकार गृहों से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications for Licences from Monopoly Houses to set up Industries in West Bengal, Bihar and Assam ...	30
420. फिल्म परिषद की स्थापना का उद्देश्य	Purpose of Setting up Film Council. ...	30-31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. No.**		

3980. सर्वदलीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कार्यवाही समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंत्रियों के लिए चेतावनी	Ultimatum by All Party Aligarh Muslim University Action Committee for Muslim Ministers in U.	31
3981. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच	Investigations by CBI of Charges of Corruption against Ex-Ministers of Union Govt. ...	31-32
3982. साउथ एवेन्यू स्थित दुग्ध वितरण केन्द्र, नई दिल्ली पर पुलिस द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को तंग किया जाना	Alleged harassment of DMS Employees at South avenue Milk Booth, New Delhi by Police ...	32
3983. ट्रैक्टर कारखानों की क्षमता और उनमें आयातित पुर्जों का प्रयोग	Capacity of Industrial Plants of Tractors and use of imported Components ...	32-33
3984. इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण करने वाले एकाधिकार गृह	Monopoly Houses Manufacturing Engineering Goods ...	33-34
3985. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा जोड़े जाने वाले ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractor for Assembly by H. M. T. Plant ...	34-35
3986. राजस्थान, बिहार और उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas of Rajasthan, Bihar & Orissa ...	35
3987. राजस्थान के गांवों में टेलिफोन सुविधा	Telephone in Rajasthan Villages ...	35-37
3988. चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए रखी गयी धनराशि	Amount earmarked for M. P. during Foruth Plan ...	38-39
3989. मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों के निकट उद्योग	Industries near Forest Areas in M. P. ...	39
3990. मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय प्रचार एकक	Regional Publicity Units in Madhya Pradesh ...	39-40
3991. मध्य प्रदेश में भारी उद्योगों में पूंजी निवेश	Capital investment in Heavy Industries in M. P. ...	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3992. 5 अगस्त, 1972 के ब्लिट्ज में आउस्ट दीज एलियन्स फ्रॉम स्ट्रैटेजिक बार्डर एरियाज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News item 'Outst these aliens from Strategic Border Areas appearing in Blitz dated 5th August, 1972 ...	40
3993. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन, त्रिवेन्द्रम के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का चयन	Selection of Senior Administrative Officers for Indian Space Research Organisation, Trivandrum ..	40-41
3994. स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान करने के लिए दिल्ली आने का निमन्त्रण	Invitations to Freedom Fighters for Award of Tamra Patra in Delhi ...	41-42
3995. युद्ध में शहीद हुये विभागीय कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bereaved Families of War Victims of the Department ...	42
3996. मुर्शिदाबाद में नबाब के महल हजरदवाड़ी में कलाकृतियों की चोरी	Art Treasure Stolen from Nawab's Palace Hazardwari, Murshidabad ...	42-43
3997. दिल्ली में एक डी० एस० पी० को निलम्बित किया जाना	Suspension of D.S.P. in Delhi ...	43
3998. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए 1972 की चयन सूची	Select List for 1972 for Promotion to the Selection Grade of C.S.S. ...	43-44
3999. भारत आफथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के कर्मचारियों के लिए आवास	Accomodation for Workers of Bharat Ophthalmic Glass Ltd., Durgapur	44
4000. आकाशवाणी में वर्क मुन्शियों का खपाना	Absorption of Work Munshis in AIR ...	44-45
4001. आकाशवाणी में द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों को वर्क मुंशियों के रूप में कार्य पर लगाना	Absorption of Grade of Clerks against Work Munshis in AIR ...	45
4002. स्वतंत्रता की 25 वीं जयन्ती पर ताम्रपत्र प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को सम्मिलित न किया जाना	Non inclusion of INA Men in the List of Freedom Fighters who received Awards on 25th Anniversary of Independence...	45-46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4003. उपग्रह प्रणाली प्रभाग का थुम्बा से बंगलौर को स्थानान्तरण	Shifting of Satellite Systems Division from Thumba to Bangalore ...	46
4004. स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र देने पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on the Presentation of Tamra Patras to Freedom Fighters ...	46
4005. अखबारी कागज की चोर बाजार में बिक्री	Sale of Newsprint in Black-market ...	47
4006. देश की जेलों में भूमिगत नागा, मिजो, कूकी तथा मनीपुर के विद्रोही	Underground Naga, Mizo, Kuki and Manipur Rebels in Jails in the country ...	47
4007. पश्चिम बंगाल में संयुक्त क्षेत्र में एक परियोजना की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for setting up Project in Joint Sector in West Bengal ...	47-48
4008. देवास (मध्य प्रदेश) में नाइट्रस आक्साइड कारखाने की स्थापना करने हेतु आशय-पत्र जारी करना	Letter of Intent for setting up a Nitrous Oxide Factory at Dewas (M. P.) ...	48
4009. उज्जैन से प्रकाशित होने वाले 4 जून, 1972 के समाचार पत्र "दैनिक अवन्तिका" में एक संसद् सदस्य जिसने डाकुओं को भी मात दे दी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News Item 'Ek Sansad Sadasya Jisne Dakuon Ko Bhi Mat De Dee' appearing in "Dainik Avantika" of Ujjain dated 4. 6. 72 ...	49
4010. उपभोक्ता वस्तुओं के लिये थोक व्यापार निगम की स्थापना	Setting up of Whole Sale Corporation for Consumer Goods ...	49
4011. युद्ध के चित्र लेने के लिए विदेशियों को अनुमति	Foreigners allowed to take War Pictures ...	49-50
4012. चौथी योजना में मध्यप्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Madhya Pradesh under Fourth Plan ...	50
4013. मैसूर एकाधिकार गृहों द्वारा मैसूर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries by Monopoly House of Mysore ...	50-51
4014. बिहार के सहरसा जिले में संस्थाल आबादी का जलाया जाना	Burning of Santhal habitation in Saharsa District, Bihar ...	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4015. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षित युवकों के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	Alleged Statement by Chief Minister of UP Re. Educated Youth from Aligarh Muslim University ..	51-52
4016. अमरीका की फर्मों के साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग	Technical and Financial Collaboration with US Parties ...	52-53
4017. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौंपे गये मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Cases investigated by CBI on reference from M.P. Government ...	53
4018. सांभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा सोडियम सल्फेट, डोडा एश और अमोनिया उर्वरकों का उत्पादन	Production of Sodium Sulphate, Soda Ash and Amonia Fertilisers by Sambhar Salts Limited ..	53-54
4019. 31 जुलाई, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "वेरियस माइनारिटीस इन सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल लिव इन फियर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News items 'various minority Communities in Siliguri in West Bengal live in fear' appearing on Hindustan Times, dated 31-7-72 ...	54
4020. साम्प्रदायिक शक्तियों को भड़काने वाले विदेशी एजेंट—राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा दी गई कथित चेतावनी	Foreign Agents inciting Communal Forces Warning allegedly given by Chief Minister of Rajasthan ...	54-55
4021. जम्मू तथा काश्मीर की स्वायत्तता कम न करने की मांग	Demand for guarrantee against Curtailment of Autonomy of Jammu and Kashmir ...	55
4022. समुद्री उपयोग के लिये आणविक शक्ति प्रोपल्शन	Nuclear Power propulsion for Marine Application ...	55-56
4023. भारतीय फिल्मों पर विदेशी फिल्मों के आयात का प्रभाव	Impact of Import of Foreign Films on Indian Films ...	56
4024. बिहार में निर्धनता से भी नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों की संख्या	Number of People living in Bihar below poverty Line ...	56-57
4025. पूना स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा नारियल जटा मज्जा से गास्केटों के निर्माण की प्रक्रिया का विकास	Process developed by National Chemical Laboratory, Poona for the manufacture of Gaskets from Coir pith ...	57-58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

4026. भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार	Privileges of Former Rulers ...	58
4027. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु विदेशों में जाने वाले तकनीकी दलों पर व्यय	Expenditure on Technical Teams going Abroad for Technical knowhow ...	58
4028. कुल जन संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता	Percentage of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to total population ...	58
4029. राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या	Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various Districts of Rajasthan ...	58
4030. वैज्ञानिकों के लिये रोजगार उत्पन्न करने सम्बन्धी योजनाएं	Plans for creating employment for Scientists ...	59-60
4031. तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा मैसर्स मारूति लिमिटेड के आवेदन की जांच	Scrutiny of Application of Messers Maruti Ltd. by Directorate General of Technical Developments ...	61
4032. नेपाली भाषा के बारे में संसद सदस्यों से आवेदन	Representations from Members of Parliament regarding Nepali Language ...	61 62
4033. नारियल के तेल का सट्टा	Forward Trading in Coconut Oil ...	62
4034. मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन के लिए अमरीकी सरकार तथा मद्रास की एक फर्म के बीच समझौता	Agreement between US Government and Madras Firm and production of Automobiles Tyres and Tubes ...	62
4035. भूतपूर्व नरेशों के महलों का अस्पतालों के रूप में परिवर्तित करन	Conversion of places of Ex-rulers into Hospitals ...	62-63
4036. केरल में शिक्षा संबंधी संकट	Educational Crisis in Kerala ...	63
4037. पालामऊ (बिहार) स्थित जपाला सीमन्ट फ़ैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Japala Cement Factory Palamau (Bihar) ...	63
4038. 'टेल्को' का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of TELCO	63-64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4039. केरल में शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लेने के लिये केरल सरकार का अध्यादेश	Ordinance of Kerala Government for taking over Educational Institutions in Kerala ...	64
4040. थुम्बा राकेट केन्द्र से छोड़े गये राकेट	Rockets launhed from Thumba Rocket Station ...	64-65
4041. फ़ैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान	Central Industrial Establishments in Faizabad (U.P.) ...	65
4042. बिहार राज्य में रामगढ़-पतरातु हवाई पट्टी पर एक विमान से ट्रांसमीटर आदि गिराने की कथित घटना	Alleged dropping of transmitter etc. from a plane on Ramgarh-Patratu runway in Bihar State ...	65
4043. नजफगढ़ नाले में दरार पड़ने के कारण दिल्ली में फसलों तथा घरों की हुई क्षति	Damage to crops and houses in Delhi due to breaches in Najafgarh drain ...	65-66
4044. राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना	Rajasthan Atomic Power Project ...	66
4045. टेलीविजन केन्द्र में ठेके के आधार पर तकनीकी कर्मचारी	Technical Staff in TV Centre on Contract Basis ...	66
4046. अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला के कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायक	Senior Technical Assistant working in the Physical Research Laboratory, Ahmedabad ...	66-67
4047. सिंचाई, विद्युत प्रजनन, प्राकृतिक संसाधनों और वनरोपण की क्षमता का अनुमान लगाने के लिये पश्चिमी घाट का सर्वेक्षण	Survey of Western Ghats to Asses Potential for Irrigation Power, Generation, Natural Resources and Afforestation ...	67
4048. कागज मिलों की स्थापना	Setting up of Paper Mills	67-68
4049. फिल्म उद्योग के व्यक्तियों की राष्ट्रीय पुरस्कार/नकद इनाम	National Awards/Cash Prizes to Persons of Film Industry ...	68
4050. विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा अधिक विदेशी शेयरों वाली कंपनियो की जांच	Examination of Foreign Majority Companies by Foreign Investment Board ...	68-69
4051. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी समिति की तेल की अपेक्षा कोयला पर बल देने के लिये सिफारिश	Recommendation by National Committee on Science and Technology to shift emphasis from Oil to Coal ...	69-70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4052. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड में विद्युतचालित टाइपराटरों का निर्माण	Manufacture of Electric Typewriter by Hindustan Teleprinters Limited ...	70
4053. उद्योग समूहों के आसपास छोटे उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Industries Around Industrial Complexes...	70-71
4054. भूमि सुधारों की प्रगति के सम्बन्ध में योजना आयोग का अध्ययन	Study made by Planning Commission on Progress of Land Reforms ...	71
4055. लघु उद्योग विकास निगम में राज्य व्यापार निगम द्वारा अंश खरीदा जाना	Share holdings of STC in Small Scale Industries Development Corporation ...	71-72
4056. प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भवन की धनराशि के दुरुपयोग के बारे में लगाये गये आरोपों की जाँच	Inquiry into Allegations of Misuse of Funds for PTI Building ...	72
4057. प्रेस ट्रस्ट आफ इडिया का पुनर्गठन	Reconstitution of PTI ...	72-73
4058. देश में जमाखोरों तथा चोर बाजारियों की गिरफ्तारियाँ	Arrest of Hoarders and Black Marketeers in the Country ...	73
4059. देश में भारत रक्षा नियमों के अधीन लोगों को गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Persons in the Country under Defence of India Rules ...	73-74
4060. श्रोता अनुसंधान अधिकारियों द्वारा किया गया पैनल सर्वेक्षण	Panel Surveys Conducted by Listener Research Officers ...	74
4061. टेलीविजन में समाचार पढ़ने वालों का दोषपूर्ण उच्चारण	Wrong Pronounciation by TV News Readers ...	74-75
4062. बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में भेजने में बिलम्ब	Delay in Sending Indian Films to Berlin Film Festival ...	75-76
4063. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल में आरक्षित पद	Reserved Posts in Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal ...	76-77
4064. मध्य प्रदेश के रायपुर डिवीजन में टेलीफोन सेवा	Telephone Service in Raipur Division of MP ...	77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		

4065. राजस्थान द्वारा पिछड़े राज्यों को अधिक सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की नीति का पुनरीक्षण करने की माँग	Demand by Rajasthan for Revision of the Policy by Centre for giving more Aid to Backward States ...	77-78
4066. विदेशी पूँजी निवेश बोर्ड द्वारा शृंगार सामग्री का निर्माण करने वाली विदेशी कंपनियों की जांच	Examination of Foreign Companies manufacturing Cosmetics by Foreign Investment Board ...	78-79
4067. भारतीय अंतरिक्ष गवेक्षणा संगठन द्वारा गठित अध्ययन दल	Study Group on Communication set up by the Indian Space Research Organisation ...	79
4069. प्लास्टिक के कारखानों में पौलिथिलीन की कमी	Shortage of Polyethelene in Plastic Factories ...	79-80
4070. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या	Number of Central Government Employees ...	80
4071. बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र	TV at Bangalore	81
4072. बंगला देश से रजाकारों द्वारा भारत में घुसपैठ	Infiltration of Razakars from Bangla desh into India ...	81
4073. फरक्का बाँध क्षेत्र का प्रगति केन्द्र के रूप में विकास	Development of Farakka Barrage area as a Growth Centre ...	81-82
4074. राजस्थान सर्कल की रेलवे डाक सेवा में कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees in RMS Rajasthan Circle ...	82
4075. मध्य प्रदेश के सतना जिले में डाकघर	Post Offices in Satna District, MP ...	82-83
4076. भूमि सुधार उपायों का ग्रामीण निर्धनता की समस्या पर प्रभाव	Impact of Land Reform Measure on the Problem of Rural Poverty ...	83
4077. मकान किराया भत्ते के बारे में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of Employees Union of NSC in respect of House Rent Allowance ...	83-84
4079. तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की योजनायें	Schemes for Posts and Telegraphs Staff Quarters in Tamil Nadu and UP ...	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4080. तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की मरम्मत	Repairs to Tarapur Atomic Power Plant ...	84-85
4081. पश्चिम बंगाल में उद्योगों का पुनः खोला जाना	Reopening of Industries in West Bengal ...	85
4082. हैदराबाद में राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन	Meeting of Ministers for Industries of States at Hyderabad ...	85
4083. संसद सदस्यों और मंत्रियों को दी जाने वाली टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities to MPS and Ministers ...	85-86
4084. बिहार के गया जिले में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Gaya District, Bihar ...	86
4085. अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में डाक तार मैन्युअल का मुद्रण	Printing of P&T Manual in languages other than English ...	86-87
4086. विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के निकट हरिजनों की कालोनी पर आक्रमण	Attack on Harijans Colony near Vishakhapatnam (Andhra Pradesh) ...	87
4087. मनोरंजन कर की जाली टिकटें बनाने और बेचने वाले गिरोह	Gang engaged in Forging and Sale of Entertainment Tax Stamps ...	87-88
4088. पूर्वोत्तर डाक तार सर्किल में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephones Bills in arrears in North Eastern P&T Circles ...	88
4089. देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की विधि	Methodology to estimatess the extent of unemployment in the country ...	88-90
4090. मध्य प्रदेश और बिहार के जनजाति क्षेत्रों के लिये रेडियो स्टेशन	Radio Stations for MP and Bihar Tribal Areas ...	90
4091. भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सुरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पार्टियां	Parties whose members were arrested under DIR after Indo Pak War ...	90
4092. श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का सुझाव	Suggestions for change in Economic and Industrial Policies by J.R.D. Tata ...	91

विषय	Subject	पृष्ठ/pages
प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
1093. समेकित ग्रामीण विकास परियोजना के लिए 'टास्क फोर्स'	Task Force for Integrated Rural Development Project ...	91
1094. भारत और नेपाल के बीच टैलेक्स सेवा	Telex link between India and Nepal ...	91-92
1095. दिल्ली और उसके निकटवर्ती नगरों के बीच डॉयल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	STD between Delhi and neighbouring Cities ...	92
1096. नासा द्वारा अन्तरिक्ष प्रयोगशाला में कार्य करने के लिये चुने गए भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists selected by NASA for working in Space Laboratory ...	92-93
1097. जर्मनी और वीनस में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत का भाग लेना	India Participation in International Film Festivals in Germany and Venice ...	93-94
1098. भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Capacity of Bharat Ophthalmic Glass Ltd. Durgapur ...	94
1099. आकाशवाणी नई दिल्ली से प्रसारित किए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों का सम्पादन	Editing of Speeches of Eminent Persons Broadcast over AIR New Delhi ...	94-95
100. नवयुवकों और छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास करने सम्बन्धी योजना	Plan for Development National Telents in Science and Technology from amongst Youths and Students ...	95
101. प्रेस परिषद् द्वारा समाचार पत्र के विज्ञापनों की सूक्ष्म जांच	Scanning of Newspaper Advertisements by Press Council ...	96
102. समाचार पत्रों के एकाधिकार के बारे में विधान	Legislation on Monopoly of the Press ...	96-97
103. युनाइटेड न्यूज आफ इन्डिया के कर्मचारियों का मांग पत्र	UNI Employees Charter of Demands ..	97
104. पाँचवी योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विपक्षी दलों के साथ परामर्श	Consultations with Opposition Parties before Finalisation of Fifth Plan ...	97-98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		

4105.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मुद्रणालय का निर्माण	Production of Printing Press in HMT ...	98
4106.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों पर अत्याचार और उनका शोषण	Atrocities and Exploitation of Members of Scheduled Casts and Scheduled Tribes ...	98
4107.	स्कूटर उत्पादन का विस्तार	Expansion of Scooter Production ...	99
4108.	राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाना	Mobilisation of Additional Resources by States ...	99
4109.	पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Punjab Chief Minister on Boundary Disputes between Punjab Haryana and H.P. ...	99
4110.	सामुदायिक खण्डों में सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था	Provisions of P.C.O.s. in Community Blocks ...	100
4111.	दिल्ली में भूमि की बिक्री अथवा हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध	Prohibition of Sale or Transfer of Land in Delhi ...	100
4112.	सफलतापूर्वक छोड़े गये राकेटों की पुनः प्राप्ति	Rockets Retrived after Successful Firing ...	100
4113.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता-वस्तु उद्योग	Consumer Industries in Public Sector ...	101
4114.	समाचार पत्रों के स्वामित्व के प्रसार के बारे में मन्त्रालयी समिति की सिफारिशें	Ministerial Committee's Recommendation on Diffusion of Ownership of Newspapers ...	101
4115.	स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात की अवधि के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Unrecovered Telephone Bills of Pre and Post Independence Period ...	101-102
4116.	योजना आयोग के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में असफल रहने के बारे में डा० के० एन० राज द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Dr. K.N. Raj on Planning Commission's failure to make use of available resources ...	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4117. उपग्रह संचार के माध्यम से शिक्षाप्रद टेलीविजन कार्यक्रम	Instructional TV Programme Via satellite Communication ...	102-103
4118. अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए अपेक्षित जनशक्ति	Manpower Requirements for space Programme ...	103
4119. एटमी संसाधनों से बिजली उत्पन्न करने के लक्ष्य में कमी करना	Scaling Down of the Target of Generation of Electricity through Atomic Sources ...	103-104
4120. राकेट प्रणोदकों (प्रापेलेंट) में आत्म-निर्भरता	Self Suffcient in Rocket Propellants ...	104
4121. पंजाब टेलीफोन निर्देशिका	Punjab Telephone Directory ...	104-105
4122. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against IAS and IPS Officers ...	105
4123. सेवा निवृत आई.सी.एस. अधिकारियों का बड़ी-२ कम्पनियों में नौकरियां पाना	Employment of Retired ICS Officers in big companies	105-106
4124. तारापुर आणविक बिजलीघर में खराबी के कारण उपभोक्ताओं को हुई हानि	Losses incurred by consumers due to Tarapore Atomic Power Stations failure ...	106
4125. बिहार में टेलीविजन केन्द्र	TV Stations in Bihar	106
4126. नरेला के कुछ प्लाट रजिस्टर करने से सब रजिस्ट्रार का कथित इन्कार	Alleged refusal by Sub-Registrar to register certain plots of Narela ...	106
4127. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को अधिकार में लेना	Taking over of National Sample Survey Sector of Indian Statistical Institute ...	107
4128. सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते समय संगीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ-आर्टिस्टों के लिये बांड	Bond for Staff Artistes of Song and Drama Division on tour to Border Areas ...	107-108
4129. संगीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ-आर्टिस्टों की सेवा की अवधि	Tenure of Service of Staff Artistes of Song and Drama Division...	108-109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		

4130. गरीबी दूर करने के लिये गैर सरकारी संगठनों और श्रमिक संघों का भारत सरकार को सहयोग	Association of private Organisation and Trade Unions with Government of India for removing poverty ...	109
4131. मध्य प्रदेश में लाइसेंसों का उपयोग	Utilization of Licences of Madhya Pradesh ...	109-110
4132. वैज्ञानिक पूल में वैज्ञानिकों का पंजीकरण	Registration of Scientists in Scientists Pool ...	110
4133. पोस्ट कार्डों और लिफाफे के लिए हाथ से बने कागज का प्रयोग	Use of hand made paper for Post cards and Envelopes ...	110
4134. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा रजिस्टर किये गये मामले	Cases Registered by CBI ...	111
4135. पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ संसद् सदस्यों द्वारा शिकायत	Complaint from some MPs against certain Officials of Parliament Street Polic Station, New Delhi ...	111
4136. केन्द्रीय सचिवालय में बिना अधिकारी के केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाएं	Central Class I Service having no Officer in the Central Secretariat ...	111-112
4137. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन चीफ की पदेन अतिरिक्त सचिव और राज्य लोक निर्माण विभागों के चीफ इंजीनियरों की पदेन सचिव के रूप में नियुक्ति	Appointment of Engineer-in-Chief of Central PWD and Chief Engineer of State PWDs as ex-officio additional Secretary and Secretaries respectively ...	112-113
4138. आई०पी०एस० अधिकारियों की सचिवों के रैंक पर नियुक्ति	IPS officers given the rank of Secretaries ...	113
4139. मोदी समूह को लाइसेंस और आशय-पत्र जारी करना	Issue of Licences and letters of intent to Modi Group ...	113-114
4140. बड़ी व्यापार कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में लायसेंसों का उपयोग	Utilization of Licences by larger business companies and foreign Companies in Backward Areas ...	114
4141. विदेशी सहयोग वाले औद्योगिक कारखानों के लिये लाइसेंस	Licences for Industrial Units with Foreign Collaboration ...	114-115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4142. अन्तर्राज्यीय विवाद	Inter-State Disputes	115-116
4143. राज्यों के बीच सीमा विवादों की समाप्त करना	Freezing of Border Disputes between State ...	116
4144. उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Uttar Pradesh ...	116-119
4145. भारत सरकार के कार्यालयों में भरे न गए स्थान	Unfilled Posts in Government of India Offices ...	119
4146. स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह पर होने वाले खर्च का अनुमान	Expenditure likely to be incurred on Anniversary Celibrations of Independence ...	119
4147. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार की औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes in Bharat Electricals Hardwar ...	120
4148. उर्वरक, इस्पात और अल्यूमिनियम के उद्योगों का गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यकरण	Functioning of Private Sector in Fertiliser, Steel and Aluminim Industries ...	120
4149. मैसूर राज्य औद्योगिक पूंजी निवेश तथा विकास निगम द्वरा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooter by Mysore State Industrial Investment and Development Corporation ...	120-121
4150. भारत इलैक्ट्रिकल्स रानीपुर हरिद्वार में कर्मचारियों को बोनस का भुगतात	Payment of Bonus to workers in Bharat Electricals, Ranipur, Hardwar ...	121
4151. हिन्दुस्तान हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वारा के बारे में सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य समिति (ऐक्शन कमेटी) का प्रतिवेदन	Report of Action Committee on Public Undertakings regarding Bharat Heavy Electricals Ltd, Hardwar ...	121
4152. कोल्हापुर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना	Setting up of a TV Station at Kolhapur ...	121
4153. कोल्हापुर में टलेक्स की स्थापना	Introduction of Telex to Kolhapur ...	122
4154. कोल्हापुर, महाराष्ट्र में डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाणी आरम्भ करना	Introduction of Dailing System of Telephoning at Kolhapur Maharashtra ...	122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
4155. भूतपूर्व रिसासतों के कर्मचारियों को खपाया जाना	Absorbing Employees of Erstwhile Princely States ...	122-123
4156. गत छः महीनों के दौरान आकाशवाणी दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में पदों के लिए किया गया चयन	Selections made at TV Centre of AIR Delhi during Past Six Months ...	123
4157. प्रेस सूचना ब्यूरों के केन्द्रीय/शाखा कार्यालयों का कार्यकरण	Functioning of Regional/Branch Offices of Press Information Bureau ...	124-125
4158. आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में आग न पकड़ने वाली छतों वाले मकान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता हेतु अनुरोध	Request for Financial Assistance from Central Government for Construction of Fire Proof Roofing Houses in Coastal District of Andhra Pradesh ...	125-126
4159. केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैली में फालतू कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया	Procedure being followed for Re. Deployment of Surplus Staff in Central Surplus Staff Cell ...	126-127
4160. वैध पारपत्र लेकर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिरफ्तारी	Arrest of Pak Citizens during Indo Pak war who came to India on valid Passports ...	127
4161. राजस्थान में चमड़े का कारखाना	Leather Factory in Rajasthan ...	127
4162. चलचित्र वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित चलचित्रों (फिल्मों) को अधूरा छोड़ देना	FFC Financed Fims abandoned...	127-128
4163. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए आवेदन-पत्र	Applications for pension to Freedom Fighters ...	128
4164. लाटरी के टिकटों की बिक्री और नकद पुरस्कारों की राशि के मामलों में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा	Competition among states on sale of lottery tickets and on amounts of cash prizes ...	128-129
4165. लद्दाख में नमक की कमी	Shortages of Salt in Ladakh ...	
4166. आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिये केन्द्र द्वारा राज सहायता	Central Subsidy for backward districts of Andhra Pradesh ...	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. No.		
4167. त्रिपुरा में दुर्गम क्षेत्र भत्ता	Difficult area allowance in Tripura ...	129-130
4168. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने सम्बन्धी कार्यक्रम को लागू करना	Implementation of Programme for the Employment of Educated Unemployed ...	130
4169. दुग्ध उत्पादों का देश में उत्पादन	Indigenous production of Milk products ...	130-131
4170. डाक-तार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV staff in P&T Department ...	131
4171. टेलीविजन केन्द्र आकाशवाणी दिल्ली द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाना	Calling of Unqualified Persons for Interview by TV Centre AIR Delhi ...	132
4172. राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक निगम तथा अखिल भारतीय ग्रामीण युवक कांग्रेस द्वारा दुर्विनियोग करने की शिकायतें	Complaints about Misappropriation by National Agro-Industrial Corporation and All India Rural Youth Congress ...	132-133
4173. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservation for Scheduled Casts and Scheduled Tribes in Central and State Governments ...	133-134
4174. क्युलोन में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के निर्माण में विलम्ब	Delay in construction of Telephone Exchange Building, Quilon ...	134
4175. आंध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन योजना	Self-employment for Educated Unemployed in Andhra Pradesh ...	134-135
4176. हैदराबाद में टेलीविजन केन्द्र	TV Centre at Hyderabad ...	135
4177. राजस्थान के रेगिस्तान का हरियाणा की ओर बढ़ना	Advance of Rajasthan Desert towards Haryana ...	135-136
4178. प्रतापगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार	Social boycott of Harijans in Pratapgarh District (UP) ...	136
4179. समाज के अल्प संख्यक तथा कमजोर वर्गों के साथ न्याय करने के सम्बन्ध में विधेयक	Legislation on fair deal to minorities and Weaker Sections of the Society ...	136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		

भारत पाकिस्तान वार्ता के बारे में	Re. India-Pakistan talks ...	137
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ...	137
श्री मनी राम बागड़ी द्वारा उपाध्यक्ष महोदय को लिखा गया पत्र जिसमें उन पर आक्षेप किये गये हैं	Shri Mani Ram Bagri's letter to Mr. Deputy Speaker casting reflections on him ...	137-139
भारतीय खाद्य निगम की जांच से सम्बन्धित कागजातों के बारे में	Re. Papers relating to FCI Enquiry ...	139-140
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	140-143
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ...	143
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	143
49 वां प्रतिवेदन	Forty ninth Report ...	143
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	Committee on subordinate Legislation ...	143
चौथा प्रति-वेदन	Fourth Report ...	143
अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	144
11 वां प्रतिवेदन	Eleventh Report ...	144
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका	Petition Re. grievances of employees of Shipping Corporation of India Ltd. Calcutta ...	144
सभा का कार्य	Business of the House ...	144
भारत और पाकिस्तान के प्रतिधियों की नई दिल्ली में हुई बैठक के बारे में वक्तव्त	Statement Re. Meeting of the Representatives of India and Pakistan in New Delhi ...	144
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh ...	144-148
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकरण उपबन्ध-विधेयक	Untouchability (offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill ...	148
संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य सभा से सिफ़ारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint Members on Joint Committee ...	148-149

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) विधेयक पुनः स्थापित	Former Secretary of State Service Officers (conditions of service) Bill Introduced ...	149
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) विधेयक	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill ...	149
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee ...	149-152
इंडियन कापर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) विधेयक	Indian Copper Corporation (Acquisition of Undertaking) Bill ...	152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	152
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	152-154
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	154-156
श्री रामनारायण शर्मा	Shri R N. Sharma	156
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey ...	157
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharya...	157-158
श्री मोहन् राज	Shri Mohanraj Kalingarayar ...	158-159
श्री शिव नाथ सिंह	Shri Shivnath Singh ...	159
श्री राम रतन शर्मा	Shri R.R. Sharma ...	159-160
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mahapatra...	160
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	160
खंड 2 से 19 और 1	(Clauses 2 to 19 and 1) ...	162-166
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	166
कीटनाशी (संशोधन) विधेयक	Insecticides (Amendment) Bill...	166
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as Passed by Rajya Sabha ...	166
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh ...	166

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya ...	167
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	167
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	167-168
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya ...	168
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	169
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	169
धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक	Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill ...	169
विचार करने प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	169
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh ...	169-170
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha ...	170
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan ...	170-171
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	171-172
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2,3 and 1 ...	172
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	172
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी संकल्प और दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re. disapproval of Delhi University (Amendment) ordinance and Delhi University (Amendment) Bill...	173
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	173
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	173
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof S. Nurul Hasan ...	174-175
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya ...	175-176
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey ...	176-177

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. No.**		
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan ...	177-178
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Sabhadra Joshi ...	178-179
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	178-179
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ...	179-180
कर्मकारों को बोनस की अदायगी के बारे में चर्चा	Discussion Re. Payment of Bonus to Workers ...	182
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	182-183
श्री मधु दंडवते	Shri Madhu Dandvate ...	183
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya ...	184-185
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan ...	185
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ...	185-186
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni ...	186
श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ram Singh Bhai Verma ...	186
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga ...	186
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.M. Mehta ...	186
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ...	187-188

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 30 अगस्त, 1972/8 भाद्र, 1894 (शक)
Wednesday, August 30, 1972/Bhadra 8, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापार गृहों को लाइसेंसों और परमिटों का दिया जाना

*401. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आम चुनाव के बाद जिन 15 बड़े व्यापार गृहों को सबसे अधिक संख्या में लाइसेंस और परमिट दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उन्हें दिये गये लाइसेंसों के मूल्य और उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : औद्योगिक विकास मंत्रालय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों से संबंधित है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत कोई भी 'परमिट' जारी नहीं किया जाता है। संशोधित लाइसेंस नीति के अधीन वृहत्तर औद्योगिक गृहों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है। इन गृहों के पृथक आंकड़े रखे जाते हैं। 1-4-1971 से 30-6-1972 तक 20 वृहत्तर

गृहों को जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी० 3561/72]

(ख) औद्योगिक लाइसेंस आमतौर पर विशिष्ट क्षमताओं के लिए जारी किए जाते हैं न कि विशिष्ट मूल्यों के। सरकार द्वारा जारी किए गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा समय समय पर "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : विवरण में उल्लिखित लाइसेंसों में से कितने लाइसेंस एकाधिकार आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सभी आशय पत्र एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाते हैं।

श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जिन औद्योगिक कार्यों की जांच की जा रही है उनमें से कितनी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ राव : देश में उत्पादन बढ़े और साथ ही एकाधिकार पर नियंत्रण भी रखा जाये। क्या बड़े आयोग-गृहों को लाइसेंस देते समय इस पर विचार किया जाता है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इसका हम सदा ख्याल रखते हैं और लाइसेंस तथा आशय पत्र इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : सरकार द्वारा जनता के समक्ष दिए गए इस वक्तव्य के अनुसार कि वह कुछेक हाथों में धन का केन्द्रित होना रोकेगी, क्या बड़े उद्योग-गृहों को लायसेंस देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाएगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जी, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इनमें से कितने लाइसेंस उन आवेदकों को दिए गए हैं, जो संयुक्त क्षेत्र में कारखाने लगाना चाहते हैं या अपने कारखानों का विस्तार करना चाहते हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक मुझे पता है इनमें से कोई कारखाना संयुक्त क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा। ऋण सरकारी क्षेत्र या वित्तीय संस्थाओं से तभी दिए जाएंगे जब ये लाइसेंस धारी उनको इसके लिए आवेदन भेजेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न था कि इनमें से कितने ग्रावेदन ग्रपनी ग्रोर से या सरकार के ग्रनुरोध पर संयुक्त क्षेत्र में कारखाने लगाने के लिए हैं ?

ग्रौद्योगिक विकास तथा विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यम) : विशेषकर बड़े उद्योग-गृहों के संबंध में हमारी सामान्य नीति संयुक्त क्षेत्र में ही ग्रौद्योगिक कारखाने लगाने की है। ये ग्राशय-पत्र जिनके संबंध में लाइसेंस दिए गए हैं बहुत पहले जारी किए गए थे। ग्रत: इनका ग्रापके प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। यदि पृथक प्रश्न पूछा जाये तो हम उत्तर दे देंगे। मैं यह बता दूं कि संयुक्त क्षेत्र में तीन कारखाने लगाने की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

श्री ग्रमृत नाहाटा : इनमें से कितने लाइसेंस ग्रावश्यक वस्तुग्रों ग्रौर कितने गैर-ग्रावश्यक विकास सामग्री के लिए दिए गए हैं ?

ग्रध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the licences issued to 15 big Industrial Houses in response to such promises elections in consideration of huge election funds received from them..............(Interruptions)

Mr. Speaker : This is not covered by the main question. I am not allowing it. You can not put questions defamatory to any party.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why you do not allow that ? I have not used any abusive or unparliamentary expression. I only asked whether these 15 big Houses were promised licences and permits during elections.

ग्रध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है। मैं इसकी ग्राज्ञा नहीं दे सकता।

Shri Hukam Chand Kachwai : Let him tell the number of those to whom permits were granted.

श्री सी. सुब्रह्मण्यम : ये सभी लाइसेंस ग्राशय-पत्र दिए जाने के बाद दिए गए हैं। ग्राशय-पत्रों की शर्तें पूरी होने पर लाइसेंस तो देने ही होते हैं। ग्रत: इसमें किसी ग्राश्वासन का कोई प्रश्न नहीं है। इस सन्दर्भ में ग्रौर ग्रन्य मामलों में भी मैं यह बता देना चाहता हूँ कि चुनाव के सम्बन्ध में किसी भी उद्योग-गृह को कभी कोई ग्राश्वासन नहीं दिया गया। मैं सदस्य महोदय के ग्रारोपों का खण्डन करता हूँ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked about the number of licences as they were granted after the election.

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी ग्राज्ञा नहीं देता हूं ग्राप व्यवधान मत डालिए। श्री ग्रार. एस. पाण्डे।

श्री राम सहाय पाण्डे : ग्राशय-पत्र या लाइसेंस देते समय क्या सरकार उद्योग लगाने के

लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करती हैं क्योंकि हमने देखा है कि इसमें बहुत विलम्ब हो जाता है ?

Mr. Speaker : You are asking for additional information which is very difficult.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार लाइसेंस देने से पूर्व आयकर विभाग से अनुमति प्राप्त करती है और दूसरे बड़े उद्योग-गृहों को ही क्यों सब से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं ?

श्री सी. सुब्रह्मण्यम : यह ठीक नहीं है क्योंकि उत्तरोत्तर यह संख्या घटती गई है और यह कुल लाइसेंसों का केवल 5 या 6 प्रतिशत है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा प्रश्न तो भिन्न था । मेरा पहला प्रश्न आय-कर अधिकारियों से अनुमति लेने के बारे में था और दूसरा यह था कि विवरण के अनुसार तो सबसे अधिक लाइसेंस बड़े उद्योग-गृहों को ही दिए गए हैं ।

श्री सी. सुब्रह्मण्यम : इस संबंध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । बिड़ला का उदाहरण लीजिए, उसे 17 लाइसेंस दिए गए दिखाए गए हैं जब कि वास्तव में 14 लाइसेंस "उत्पादन जारी रखो" के बदले दिए गए हैं जो उन्हें मिलने ही थे । अतः वास्तव में उसे 4 लाइसेंस ही दिए गए हैं ।

आयकर अधिकारियों से अनुमति लेने के सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था की जायेगी । इसका उत्तर मैं अभी तो नहीं दे सकता परन्तु यदि सदस्य महोदय चाहें तो बाद में दे दूंगा ।

संस्थापन अधिकारी और सतर्कता अधिकारी के कार्यों को एक साथ मिलाना

*402. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी किये हैं, जिनके अनुसार एक मंत्रालय में संस्थापन अधिकारी और सतर्कता अधिकारी के कार्यों को उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी/संयुक्त सचिव की श्रेणी के एक अधिकारी को सौंपा जा सकता है ; यदि हां, तो एक अधिकारी को ही ये कार्य सौंपने के क्या कारण हैं ; और

(ख) किन-किन मंत्रालयों में ये कार्य विशेष कार्य अधिकारी / संयुक्त सचिव को सौंपे गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कार्मिक विभाग द्वारा मंत्रालयों / विभागों को सतर्कता तथा संस्थापन के कार्य को मिलाकर एक अधिकारी को सौंपने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं । कार्य के स्वरूप एवं ढाँचे को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने अधिकारियों को कार्य सौंपता है ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उन मंत्रालयों के नाम जिनमें सतर्कता के कार्यों को विशेष कार्य अधिकारी/संयुक्त सचिव के पद के एक अधिकारी को सौंपा गया है।

(एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा कम्पनी विभाग)।

(दो) विदेश व्यापार मंत्रालय।

(तीन) निर्माण और आवास मंत्रालय।

(चार) संचार मंत्रालय।

(पांच) आपूर्ति विभाग।

(छः) रेलवे मंत्रालय (यह पद उच्चतर ग्रेड का है)

श्री एस. सी. सामंत : सतर्कता और संस्थापन कार्यों को एक ही व्यक्ति को सौंपने, अर्थात न्यायाधीश तथा सरकारी वकील का काम एक ही व्यक्ति को सौंपने, का क्या सिद्धान्त तथा औचित्य है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं कह चुका हूँ कि सरकार ने सर्तकता और संस्थापन कार्यों को मिलाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये हैं और इस प्रकार के आदेश भी नहीं जारी किये गये कि एक ही व्यक्ति संस्थापन और सर्तकता कार्य को करे। हर बात हर मंत्रालय की स्थिति पर निर्भर करती है। कुछ मंत्रालयों और विभागों में वहाँ के कार्यभार के अनुसार अंशकालिक मुख्य सर्तकता अपेक्षित है। संस्थापन कार्य सहित कुछ कार्य मुख्य सतर्ककता अधिकारी को दिया जाता है। एक ही व्यक्ति को न्यायाधीश और सरकारी व्यक्ति बनाने की बात ठीक नहीं है। वास्तव में हम देखते हैं कि संस्थापन अधिकारी साधारणतः अनुशासन और आचार नियमों से पूर्णतः अवगत होते हैं। कभी-कभी सर्तकता कार्य के अतिरिक्त संस्थापन कार्य को अंशकालिक सतर्कता अधिकारी को सौंपने से लाभ होते हैं। सम्बन्धित अधिकारी को अनुशासन सम्बन्धी नियमों के अधीन अपने विचार प्रकट करने के लिये पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध होते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का भी परामर्श लिया जाता है। कुछ मामलों में दंड की घोषणा करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लिया जाता है। मेरे विचार में सतर्कता और संस्थापन कार्य एक अधिकारी को सौंपने में कोई हानि नहीं है और इसके विपरीत परिणामों की भी हमें कोई सूचना नहीं मिली।

श्री एस. सी सामंत : विवरण में उल्लिखित मंत्रालयों के अधिकारी किन सेवाओं से सम्बन्ध रखते हैं और संस्थापन सम्बन्धी मामलों में उनका कितना अनुभव है ?

इन अधिकारियों के बीच भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी है जिन्हें ये कार्य मिलाकर सौंपे गये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस समय मेरे पास विभिन्न मंत्रालयों के सभी सतर्कता अधिकारियों के संस्थापन सम्बन्धी अनुभव तथा अन्य अनुभव की कोई सूचना नहीं है ।

जहां तक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रश्न है, केवल विदेश मंत्रालय में ही एक पुलिस अधिकारी मुख्य सर्तकता अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं । वे भारतीय पुलिस सेवा से सम्बन्धित नहीं हैं । वे पुलिस अधिकारी हैं । सरकारी प्रतिष्ठानों में कुछ पुलिस अधिकारी सर्तकता अधिकारी के पदों पर काम कर रहे हैं । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी काम कर रहे हैं । लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जहां आवश्यक योग्यता अथवा पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को हम सर्तकता अधिकारियों के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न सर्तकता अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों से सर्तकता विभाग में विशेष अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वे विभाग के उच्चाधिकारियों के ऊपर पर्याप्त सर्तकता नहीं बरत सकते क्योंकि उन्हें यह भय होता है कि निश्चित अवधि के बाद उन्हें अपने विभाग में वापिस जाना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई दलील न दें ।

श्री ए. पी शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और निष्पक्षता से काम करना उनके लिये कठिन है । क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस प्रकार की प्रणाली को समाप्त किया जाये और सतर्कता अधिकारियों का नियमित काडर होना चाहिये ?

श्री राम निवास मिर्धा : विभिन्न मंत्रालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कि एक उच्चाधिकारी है, से परामर्श लेने के बाद की जाती है । जब तक मुख्य सर्तकता आयुक्त नियुक्ति को स्वीकृति नहीं देते, उस समय तक किसी भी विभाग में सर्तकता अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती । यह एक बहुत बड़ा संरक्षण है और मुख्य सतर्कता आयुक्त सम्बन्धित व्यक्ति के रिकार्ड तथा पृष्ठभूमि को देखता है और वह इस बात पर भी विचार करता है कि क्या मंत्रालय के बाहर का व्यक्ति अधिक उपयोगी होगा अथवा मंत्रालय का ही कोई आदमी उपयोगी सिद्ध होगा । मुख्य सतर्कता आयुक्त इस पहलू पर भी विचार करता है ।

सतर्कता अधिकारियों के पृथक आडर के बारे में मैं समझता हूँ कि यह एक व्यवहारिक सुझाव नहीं सतर्कता है और इस बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री एस. एम. बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सतर्कता अधिकारियों के अधिक हस्तक्षेप के कारण सभी अधिकारी निष्क्रिय हो गये हैं और वहां कोई भी निर्णय नहीं लिये जाते और सतर्कता अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण अधिकारियों को निर्णय लेने का साहस नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना भूमिका बांधे अपना प्रश्न पूछें।

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सतर्कता अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण विभिन्न मंत्रालयों के कुछ अधिकारी निर्णय नहीं लेते और, यदि हां, तो क्या दोनों के बीच तालमेल लाने के लिए इस ढ़ंग से कोई कदम उठाये गये हैं जिनसे निर्णय लिये जा सकें।

श्री राम निवास मिर्धा : मुख्य सर्तकता अधिकारियों द्वारा विभाग के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे वहां पर किसी निश्चित कार्य के लिये होते हैं और यह देखते हैं कि क्या लोगों को तंग तो नहीं किया जाता, क्या भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाता है और क्या उनके बारे में सभी सूचना और जानकारी नियमित रूप से रखी जाती है। उन लोगों को छोड़कर, जो कुछ छिपाना चाहते हैं, मेरे विचार में किसी को सतर्कता अधिकारी से नहीं डरना चाहिये और किसी अधिकारी के काम में उन द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है।

विभिन्न राज्यों से केन्द्रीये रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती

403. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन में जो व्यक्ति केरल और अन्य राज्यों से हैं, उनकी संख्या का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ... 73,237
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल...12,462

(ख) सूचना से सम्बन्धित दो विवरण I और II सभा पटल पर रखे जाते हैं।

[**ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी.** 3562/72]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : इस विवरण से पता चलता है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कुछ बड़े राज्यों से कम भर्ती हुई है और छोटे राज्यों से अधिक भर्ती हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में किस आधार पर चयन किया जाता है ? क्या स्थायी बनाने से पहले पुलिस लोगों के चरित्र आदि की जांच करती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है कि वड़े राज्यों से अधिक भर्ती नहीं की जाती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। यह सच है कि यद्यपि केरल छोटा राज्य है परन्तु उनका प्रतिशत काफी अधिक है। जैसाकि विवरण से पता चलता है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राजपत्रित पदों के लिए भारतीय

समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाती है और अराजपत्रित पदों के लिये देश के सभी भागों से भर्ती की जाती है। इस सम्बन्ध में एक पहलू को ध्यान में रखना चाहिये। इस सेवा में 60 बटालियन हैं, इनमें से रिजर्व बटालियन फोर्स की 28 बटालियन हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों ने बनाया था और इसी लिये उसमें उन राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक है। फिर उनको केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में मिला लिया गया। इस हद तक यह बात ठीक है। इसको छोड़ कर इस दल में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व है। परन्तु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जैसे गुजरात। महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अधिक है। गठन के समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। क्या चयन के बाद और स्थायी बनाये जाने से पूर्व पुलिस द्वारा सत्यापन करवाया जाता है और क्या भर्ती के बाद कोई छंटनी भी की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चयन के बाद पुलिस द्वारा सामान्य रूप से सत्यापन करवाया जाता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उन्होंने पुलिस द्वारा सत्यापन के बारे में ब्यौरा नहीं दिया है। क्या वे व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं ?

Mr. Speaker : What else ? (Interruptions) only doctors examine physicallly.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : विवरण II से पता चलता है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में बिहार से अब तक केवल 919 व्यक्तियों को भर्ती किया गया है, यद्यपि बिहार में बड़े-बड़े सरकारी उपक्रम है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका कारण क्या हैं और क्या सरकार बिहार के पिछड़ेपन और वहां की बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो वहां पर पहले हैं, उन्हें राज्यों में उद्योगों के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में लगाया जाता है और जहाँ तक बिहार में सरकारी उपक्रमों की संख्या का सम्बन्ध है, मैं उनकी सही संख्या इस समय नहीं बता सकता। परन्तु यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया है पहले वहां पर विद्यमान पहरा और निगरानी कर्मचारियों को तरजीह दी जाती है। इसलिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के गठन का अन्तिम स्वरूप बदल जाना स्वाभाविक है।

Revenue of A.I.R. Through Advertisements During 1971-72

***404. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the revenue earned by the Advertisement Department of the all India radio by way of various adyertisements received by it during the financial year 1971-72 ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 1971-72 के दौरान, विज्ञापन सेवा से हुई कुल आय 4,22,36.696 रुपए थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Hon. Minister be pleased to state the rates of advertisements and types of advertisements acceped by the government ? I would also like to know whether the cost of industry is kept in view and whether small scale industries also get opportunity ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I.K. Gujral) : We have got a chart prescribing rates for various advertisements. I can supply a copy of the same to the Hon. Member in case he wants to go through it. The rates are different for different timings.

Mr. Speaker : Please give him.

Shri I.K. Gujral : In so far as the items for which advertisements are accepted are concerned, we have got a long list which consists of all types of articles. Most of them are consumer goods but fertilisers, tractors water lifting, stationery, time pieces are also incleuded in it.

The small scale industries are given opportunity and time according to their convenience. We want to acoommodate every one.

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know whether any programme has been chalked out to take necessary steps to increase the revenues of the government ; if so, the nature thereof ? Whether political parties recognised by the Eletion Commission would also be allowed to send their advertisemeint.

Shri I. K. Gujral : The advertisements are broadcast from 9 main centers and are intended to start it from 10 more centres. Besides some rates have been revised and some other rates are being revised in order to enhance the revenue.

I think it will not be proper for the political prties to go for advertisements in order to propegate their ideology because political activity requires deep thinking. A general programme can however, be chalked out in consultations writh the Election Commission.

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know whether in addition to the existing centres, all other centres would also start commercial broadcasting service ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने अभी बताया है सामान्यतः हमारी नीति केवल विविध भारती से विज्ञापन प्रसारित करने की है, इस समय 9 मुख्य केन्द्रों और कुछ सहायक केन्द्रों से विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं। इन केन्द्रों में 10 केन्द्र और बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं।

साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता का अप्रभावी कार्यकरण

*405. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्य सूत्रों से 46,23,000 रुपयों का भारी अनुदान प्राप्त करने के बावजूद कलकत्ता स्थित साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की जांच करने तथा उसमें विद्यमान त्रुटियों को दूर करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

श्री सरोज मुखर्जी : माननीय मंत्री ने हर प्रश्न के लिए 'नहीं' कहा है। किन्तु हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है और वहां के निदेशक स्वयं भ्रष्टाचार से सम्बद्ध हैं, जिसके कारण वहां अनुसंधान कार्य प्रायः समाप्त हो गया है। इस संदर्भ में क्या मंत्रालय उक्त संस्थान के कार्यों की जांच करायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है किन्तु माननीय सदस्य फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सरोज मुखर्जी : वहां अनुसंधान कार्य ठप्प हो गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बिना जांच किये ही सरकार यह कैसे कह सकती है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री सरोज मुखर्जी : परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान की बढ़ती हुई मात्रा को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस संस्थान का और विस्तार करेगी और वहां के कार्य को सुधारेगी ताकि यह सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा कर सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहले प्रश्न में माननीय सदस्य संस्थान के कार्यकरण से असंतुष्ट थे और दूसरे प्रश्न में वह इसके विस्तार का सुझाव दे रहे हैं। प्रश्नों में थोड़ी-बहुत संगति तो होनी चाहिए।

श्री सरोज मुखर्जी : इसका कुछ और विस्तार कीजिये और साथ ही उसके कार्यकरण में भी सुधार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों में संगति होनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परमाणु विभाग का प्रतिवेदन, जिसमें इस संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन भी सम्मिलित होता है, गत 15 वर्षों से सभा-पटल पर रखा जाता है। इस प्रकार संसद इसके कार्यकरण से अवगत है। वहां पर एक शासी परिषद है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जिसका कलकत्ता विश्वविद्यालय का उपकुलपति अध्यक्ष होता है। यही परिषद् संस्थान के कार्यों की देख-रेख करती है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सरकार को पता है कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक स्वर्गीय डा० सी० वी० रमन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो प्रश्न के संदर्भ में संगत प्रतीत होता है। उन्होंने कहा था कि अनेक केन्द्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों, जिन पर सरकार पर्याप्त धन खर्च करती है, के बजाय छोटे-छोटे अनुसंधान केन्द्र और प्रयोगशालाएँ विभिन्न स्थानों पर होनी चाहिएँ जिससे वैज्ञानिकों को अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। ऐसी व्यवस्था से ऐसी कठिनाइयां, जो आधारभूत अनुसंधान-कार्य में लगे साहा इंस्टिट्यूट के सामने आ रही हैं, समाप्त हो जायेंगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वस्तुत: प्रश्न गलत धारणा पर आधारित है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह संस्थान एक ऐसा ही संस्थान है जैसा कि माननीय सदस्य ने सोचा है या डा० रमन ने सोचा था। आरम्भ में यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। बाद में इसका विस्तार होता गया और उसे विभिन्न न्यास-निधियों से सहायता मिलने लगी। इसका नाम डा० साहा के नाम पर रखा गया। वर्ष 1950 में विश्वविद्यालय ने भारत सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया। ब्यौरेवार चर्चा के पश्चात् एक विधान बनाया गया। कुछ समय पश्चात् कलकत्ता में हीएक वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन स्थापित करने की योजना बनी। साथ ही यह आवश्यकता महसूस की गई कि यह विभाग किसी बड़े भवन में स्थानान्तरित किया जाये। तब राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और कलकत्ता विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ और उसके परिणामस्वरूप वर्तमान संस्थान अस्तित्व में आया।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे प्रश्न का आधार गलत नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या ऐसे ही संस्थान देश के अन्य भागों में भी खोले जायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संस्थान में जो अनुसंधान कार्य होता है वह मुख्य रूप से वर्णक्रम विज्ञान (स्पेक्टोस्कोपी) के क्षेत्र में होता है या स्फाट विज्ञान (क्राइस्टेलोग्राफी) के क्षेत्र में। इस संस्थान में हुए अनुसंधान-कार्य से हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में क्या व्यावहारिक सहायता मिली ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं वहां के कुछ उपकरणों के नाम बताता हूं जिससे माननीय सदस्य यह अनुमान लगा सकेंगे कि वहां किस प्रकार का कार्य होता है। वहां पर 3811 साइक्लोट्रोन, 14 एम० इ० वी न्यूट्रॉन जेनेरेटर, स्पेक्ट्रोमीटर, आइसोटोप सेपरेटर, इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप आदि

हैं। इनमें से कुछ ऐसे उपकरण हैं जो अनुसंधान कार्य में आमतौर पर काम आते है। इसमें यह कार्य वर्षों से होता आ रहा है। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाता है। संस्थान की उपलब्धियों की सूची अब मेरे पास नहीं है।

श्री समर गुह : साहा इंस्टीट्यूट का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है और उसे अपने क्षेत्र में जो सफलता मिली है उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार साहा इंस्टीट्यूट को कलकत्ता में स्थापित किये जाने वाले नये साइक्लोट्रॉन के साथ मिलाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दोनों को एक साथ मिलाने का कोई विचार नहीं है। हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 एकड़ भूमि साहा इंस्टीट्यूट के लिए उस स्थान के समीप नियत की है, जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा साइक्लोट्रॉन लगाया जा रहा है।

श्री समर गुह : यह तो एक सामान्य बात है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। आप बार-बार उठने की आदत छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न।

Scooter Factory at Alwar (Rajasthan)

*407. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Industrial Development be pleased to state :

(a) whether a Scooter factory is proposed to be set up at Alwar (Rajasthan);

(b) whether any foreign company is giving assistance for the setting up of the factory; and

(c) the time by which it would be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) Yes, Sir.
(b) No, Sir.
(c) It is hoped that this unit will go into production by the end of 1973.

Shri Lalji Bhai : May I know that exact location and annual capacity of the proposed Scooter factory and whether the scooters manufactured in this factory will be available for sale during the Fifth Five Year Plan ?

Shri Siddheshwar Prasad : It will be set up at Alwar in Rajasthan State and its annual capacity will be 24,000.

अध्यक्ष महोदय : आपने तथ्यात्मक जानकारी मांगी थी और मंत्री महोदय ने वह दे दी है।

Shri Lalji Bhai : May I know the extent to which this factory will be able to reduce annually the existng gap betwcen demand and production of scooters ?

Mr. Speaker : Let it be set up first.

डा० हरि प्रसाद शर्मा : यह प्रश्न मेरे चुनाव-क्षेत्र से सम्बद्ध है। सरकार के अनुमोदनार्थ नमूना (प्रोटोटाइप) कब भेजा गया था ? सरकार उसका अनुमोदन करने में कितना समय और लेगी ? नमूने के अनुमोदन में देरी करके क्या सरकार इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब नहीं कर-रही है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सरकार इस परियोजना के क्रियान्वयन में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं कर रही है। इसके विपरीत हमारी यह आकाँक्षा है कि यह कारखाना शीघ्र से शीघ्र लग जाये। नमूना हमें कुछ महीने पहले मिला था और उसकी विभिन्न प्रकार से जांच की जा रही है। उसकी पूर्ण जांच के बिना ही, यदि उसके उत्पादन की अनुमति दे दी जायेगी तो इससे न केवल कारखाना असफल रहेगा, बल्कि उसके उपभोक्ताओं को भी शिकायतें होंगी।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। अगला प्रश्न।

लाइसेंसों के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये औद्योगिक गृहों के विरुद्ध जांच

*408. **श्री डी० एन० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण कितने व्यापारियों तथा औद्योगिक गृहों के विरुद्ध सरकारी जांच कराई गई है; और

(ख) दोषी पाए गये व्यापारियों अथवा औद्योगिक गृहों में से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ऐसे अनेक मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जिनमें बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित अन्य औद्योगिक उपक्रमों, ने अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं से बढ़कर अपने उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार के 45 मामलों का उल्लेख किया है, इनका ब्यौरा समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 4 च में दिया गया है। रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्याया-धीश श्री ए०के० सरकार की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए बड़े औद्योगिक गृहों के जाँच आयोग

के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ उन परिस्थितियों की जांच करना और उस पर रिपोर्ट देना अपेक्षित है जिनके अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा प्रकाश में लाए गए मामलों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

श्री डी० एन० सिंह : सरकार समिति संभवतः कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमने सरकार आयोग को शीघ्र ही प्रतिवेदन देने को कहा है। परन्तु हमें यह नहीं मालूम कि वह कब अपना प्रतिवेदन पेश करेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा प्रतीत होता है कि इस में कानून का उल्लंघन करने से संबंधित मामले हैं। क्या सरकार ने इन मामलों में कानूनी कार्यवाही की है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ? साथ ही, क्या सरकार को मालूम है कि वे दोहरे उल्लंघन के दोषी हैं जिनमें कि उन्होंने अधिक उत्पादन करके अधिक उत्पादन शुल्क नहीं दिया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : उन्होंने किसी भी फर्म के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है क्योंकि उनके मामले सरकार आयोग के विचाराधीन हैं तथा सरकार का निर्णय सरकार आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इन मामलों में कानून को तोड़ा गया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आधार था। अतः कानून का स्पष्ट उल्लंघन देखते हुए भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यम्) समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रकट रूप से ये मामले लाइसेंस क्षमता से अधिक क्षमता से संबंधित हैं। अब इसकी जांच की जानी है किन परिस्थितियों में उन्होंने लायसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन किया। यह समिति की एक विशिष्ट सिफारिश थी। और इसी लिये इस मामले को सरकार आयोग को सौंपा गया है। उसके निष्कर्ष प्राप्त होने के पूर्व हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। हम शीघ्र ही प्रतिवेदन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक उत्पादन शुल्क कर संबंध है, इस उत्पादन एककों के उत्पादन-प्रतिवेदनों से पता चला है कि वे क्षमता से आगे उत्पादन कर रहे हैं। अतः मेरे विचार से यदि शुल्क देय था, तो उसकी अदायगी का अपबंध नहीं किया गया है।

Shri Pannalal Barmput : I want to know that other than scooter in this Five Year Plan .... (interruptions) I have been an Hon. member here for the last 22 years. No factory has since been set up in my ara That is why I express my dissatisfaction.

Mr. Speaker : Every body knows your sense of dissatisfaction.

डा० रानेन सेन : औद्योगिक लायसेंसों के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण सरकार आयोग के जाँचाधीन अनेक उद्योग-गृहों को अब भी अपना विस्तार करने अथवा नया उद्यम खोलने की अनुमति दी जा रही है। उनमें से कितने उद्योग-गृहों को काली सूची में रखा गया है ?

श्री सी. सुब्रह्मण्यम् : यह जानकारी एक पहले प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है। इसके अतिरिक्त यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती और यदि माननीय सदस्य पुनः यह जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूँ।

डा० रानेन सेन : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है। विवरण में कहा गया है कि इन सभी औद्योगिक गृहों की जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन मिलने तक, क्या यह सच है कि ऐसे कुछ उद्योग-गृहों को विस्तार करने अथवा नये उद्यम खोलने की अनुमति दी जा रही है जिनके बारे में सरकार आयोग जांच कर रहा है ?

श्री सी. सुब्रह्मण्यम् : मेरे एक पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी थी कि जांचाधीन फर्मों को कोई लासेंस नहीं दिये जायेंगे और मेरे विचार से हम अपने इस आश्वासन पर दृढ़ हैं तथापि उन उद्योग-गृहों को इसके लिए आवेदन करने से वंचित नहीं किया गया था जिनका संबंध अन्य फर्मों से था।

श्री पी. वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि ये निष्कर्ष संबंधित कंपनियों द्वारा दिये गये उत्पादन संबंधी आंकड़ों पर आधारित हैं। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने प्राप्त लाइसेंस क्षमता से संबंधित औद्योगिक नीति का उल्लंघन किया है ? मैं जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने प्राप्त लाइसेंस क्षमता का अतिक्रमण किया है तथा क्या उनके विरुद्ध कोई आधार भूत मामला चलाया गया है ?

श्री सी. सुब्रह्मण्यम् : इस बात की जांच की जानी है कि किन परिस्थितियों में उत्पादन अधिक किया गया है। कुछ मामलों में एक शिफ्ट में कार्य के आधार पर उत्पादन क्षमता निर्धारित की गयी थी। जब वे दो शिफ्टों में काम करते हैं, तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। यह नियमों का उल्लंघन है कि नहीं ? इन सभी बातों की जाँच की जा रही है। सरकार ने भी समय-समय पर उनसे कहा है कि वे किसी निश्चित स्तर तक उत्पादन बढ़ायें। इन सभी बातों की सरकार आयोग जांच कर रहा है। अत्र सरकार आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही हम यह निश्चय कर सकेंगे कि क्या औद्योगिक विनियमन अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि हां तो इससे विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

कारावास में बन्दियों को सुविधायें

*409. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 'क', 'ख' तथा 'ग' श्रेणियों के बन्दियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ख) उक्त सुविधाएं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत जेलों में दी जा रही सुविधाओं की तुलना में कैसी हैं ; और

(ग) क्या सभी कारावासों में बन्दियों को एक समान सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) बंदियों के वर्गीकरण और उनको सुविधाएं प्रदान करने के प्रत्येक राज्य के अपने-अपने नियम हैं ।

राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार बंदियों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदत्त सुविधाओं का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.** 3563-72] और अधिक विस्तृत सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) केन्द्र सरकार की अपनी कोई जेल नहीं है ।

(ग) अखिल भारतीय जेल नियम समिमि ने आदर्श जेल नियम-पुस्तक तैयार की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बंदियों के वर्गीकरण में एक रूपता लाने और उनको सुविधाएं प्रदान करने की भी व्यवस्था है । यह नियम-पुस्तक राज्यों को दे दी गई है और जब इसे राज्यों द्वारा अपना लिया जायगा तो जेल प्रशासन के सभी पहलुओं में थोड़ी बहुत समानता आ जायेगी ।

Shri Ishaque Sambhli : It is a very long statement. The existing system of classification into 3 categories is a British system. What difficuly do the Gov. face in abolishing this system ? It so happen now that a poor man jailed for taking part in land movement is given an inferior class whereas some big capitalists even if he is caught and jailed for crimes like smuggling and blackmarketing gets a high class. Why have not Government since abolished this British System. Another horrible feature of this British system is grinding by the prisoners in jails which I saw in Muzaffernagar Jail in 1970. It is a very cruel system. I want to know what do the government propose to abolish th s system and also the reason for not doing so till now ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The Central Government had constituted a Committee a few years ago and had asked it to suggest improvement in the existing Jail Manual. That Committee has prepared a model Jail Manual which has been circulated among different states and we have requested them to revise these rules and regulations concerning Jails in accordence with this manual. One of the recommendations of this Manual Committee was to have only two classes instead of three and its recommendations have been included in the new Manual. Regarding discriminations in the allotment of classes, the Government is looking into it and the provision of having only two classes has also come out of it.

However, the matters concerning Jails is the subject of State and not of the central Government.

Shri Shyam Nandan Mishra : The Jails are under the State Jurisdiction, not under the centre.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि "उक्त सुविधायें केन्द्र सरकार के अन्तर्गत जेलों में दी जा रही सुविधाओं की तुलना में कैसी हैं ।"

मंत्री महोदय कहते हैं कि केन्द्र के अधीन कोई जेल नहीं हैं। अतः यह एक भूल हो सकती है।

श्री जी० विश्वनाथन : संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की क्रम संख्या 4 पर लिखा है :

"कारागार, सुधारालय, बोरस्टल संस्थायें और तद्रुप अन्य संस्थायें और उनमें विरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के आयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध।"

इस प्रकाप स्पष्ट रूप से यह राज्यों का विषय है। अतः मेरे विचार से यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न स्वीकार हुआ है तथा छप गया है। अतः हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये।—(व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachwai : Permission has been given to discuss it in the House and the question has been asked. The Hon. Minister is answering also. So we also should be given an opportunity to ask the questions.

Shri Ishwar Chaudhary : I have been released from the Jail just yesterday. I should be given an opportunity.

Mr Speaker : All of you have stood up simultaneously and do not know who is saying what. Please do such things occasionally, not always. I am not able to hear any thing. You can yourself experience that you cannot here anybody if 20-25 peresons stand up and start speaking simultaneously(interruption). You appear to be very much interested in the Jails. Do all of you propose to go to jails ? What is that (intersuptions)It is quite wrong to stand up and start speaking without catching the eye of the Speaker. You should follow at least some said convention. Would only that member have his say who can shout loudly ? What is that ? You always behave like that (interruptions).

जब तक 10 अथवा 15 सदस्य एक साथ बोलते रहेंगे, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायगा।...(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : श्रीमान् जी, अगर आप मुझ से बोलने के लिए कहें, तो सब चुप हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नों के पूछने की अनुमति दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उनका नाम पुकारा है और वह पहले ही खड़े हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : विवरण में मंत्री महोदय ने उतर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडु के जेल मैन्युअलों का उल्लेख किया है। क्या हम विभिन्न राज्यों के जेल मैन्युअलों पर चर्चा करने जा रहे हैं ? क्योंकि, हमें उसके बारे में प्रश्न करने हैं। क्या हम संविधान का उल्लंघन करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के कारण यह प्रश्न प्रश्न-सूची में शामिल किया गया। मैंने उसे देखा है। भाग (ग) अखिल भारतीत जेल मैन्युअल समिति द्वारा मैन्युअल तैयार करने से सम्बन्धित है। यही कारण है। क्योंकि अखिल भारतीय जेल मैन्युअल तैयार करने के बारे में एक समिति बनी थी। तो प्रश्न यह था कि क्या सभी जेलों में कैदियों को समान सुविधायें उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है—भाग (ख) और भाग (ग) अखिल भारतीय प्रश्न से सम्बन्धित हैं। इसी बजट से यह प्रश्न सूची में शामिल किया गया।

Shri Ishaque Sambhali : I would like to know whether the report regarding classification has recommended two classes ? If so, the basis thereof ? I would also like to know the reaction of the Government regarding the report relating to Jail reforms ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is recorded in the Manual that there should be two classes instead. of three. The basis is what the hon'ble Member has mentioned. You have said that there should not be various classes and the Manual states that there should be two classes instead of three. The spirit behind it is what the hon'ble Member has himself expressed. With the same spirit, the Manual committee has submitted the report which I had referred just now.

Shri Ishaque Sambhali : What is the basis thereof ?

Mr. Speaker : You had asked a supplementary and he has told you the recommendation of the committee. He has furnished the factual information.

श्री पीलू मोदी : श्रीमान् जी, मेरा प्रश्न दो भागों में है। पहला भाग इस प्रकार है: क्या जिन दो श्रेणियों की सिफारिश की गई है, उनमें से एक श्रेणी चोर बाजारियों और संसद-विज्ञों सहित राजनीतिज्ञों के लिए तथा दूसरा शेष जनता के लिए रखने के बारे में सरकार विचार करेगी ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अभी हाल में मैंने एक समाचार पढ़ा है, उसके अनुसार 500 से 700 व्यक्तियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक जेल का निर्माण किया है। मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि अपने देश में निर्मित इस विशालतम होटल के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

Mr. Speaker : A big room would have to be constructed for you.

श्री रामनिवास मिर्धा : प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या यह सच है कि शिमला समझौते के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने गिरफ्तारी दी थी, उन्हें जेल में रहने में बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि वहां पागलपन के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डे : कुछ संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्हें जेल में कौन-सा दर्जा दिया जाता है। मेरे प्रश्न

का दूसरा भाग यह है कि क्या बिना दोष सिद्धि के श्री पीलू मोदी जैसे लोगों के लिए सर्व सुविधा सम्पन्न अर्ध जेलों की व्यवस्था करने का विचार है, जिससे वे वहां स्वास्थ्य लाभ कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल के कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का विवरण में कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की जेल से किसी अन्य प्रान्त की जेलों में राजनैतिक कैदियों को भेजने का सरकार को कोई अधिकार है, जैसा कि अभी हाल में होता रहा है। लगभग 600 से 800 कैदियों को, पश्चिम बंगाल के सपूतों को, तामिलनाडु की कुड्डालोर जेल में भेजा गया है...

अध्यक्ष महोदय : यह एक असंगत प्रश्न है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि किस नियम और किस अधिकार से उन्हें भेजा गया है और तमिलनाडु की कुड्डालोर जेल में अभी भी जो कैदी हैं, उन्हें क्या सुविधायें दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक असंगत प्रश्न है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान् जी, यह संगत प्रश्न है। (व्यवधान) आप मुझे एक मौका तो दें और मैं आपको समझा दूंगा। कृपया मुझे स्पष्ट करने दें। मैं कोई असंगत प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। (व्यवधान) आन्तरिक सुरक्षा का रखरखाव और भारतीय रक्षा नियम केन्द्रीय अधिनियम हैं। उन अधिनियमों के अन्तर्गत, मामले की सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी होती है। उन्हें उन अधिनियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह एक संगत प्रश्न है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। कुड्डालोर जेल में पश्चिम बंगाल के 700 सपूतों को रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न...

अल्प-सूचना-प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में वृद्धि

अ.सू.प्र. 6. श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाय स्टील एग्जीक्यूटिव ऐसोसिएशन, दुर्गापुर, ने मिश्रित इस्पात संयंत्र

दुर्गापुर, में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में वृद्धि करने की संभावना के बारे में 2 मई, 1972 और 12 जून, 1972 को उनके मंत्रालय को दो ज्ञापन प्रस्तुत किये थे,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके पक्ष में क्या तर्क दिये हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापनों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) कारखाने का वर्तमान प्रोडक्ट-मिक्स आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है । फिनिशिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ।

(2) पहले से ही मिश्र इस्पात करखाने की 100,000 टन पिण्ड वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 300,000 टन पिण्ड वार्षिक करने का विचार था तथा ऐसा किया भी जाना चाहिए । इसमें विस्तार की क्षमता अन्तर्निहित है । विस्तार कार्यक्रम में 60,000 टन बेदाग इस्पात की चादरों स्ट्रिप और प्लेटों का उत्पादन भी होना चाहिए और यह मंत्रालय द्वारा मार्च, 1971 में लिए गये कथित निर्णय के अनुसार किया जाना चाहिए ।

(3) कारखाने की क्षमता में 200,000 टन पिण्ड की और वृद्धि करने पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च आयेगा ।

(4) विस्तार कार्यक्रम में 60,000 टन बेदाग इस्पात के चपटे उत्पादों और 4,000 टन हाई स्पीड स्टील शामिल किये बिना केवल बिना जोड़ की ट्यूबों का कथित संयंत्र लगाने से कारखाना आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं होगा ।

(ग) सभी संबंधित बातों पर विचार करने के पश्चात मिश्र इस्पात कारखाने की 100,000 टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 300,000 टन इस्पात पिण्ड वार्षिक करने का निर्णय किया गया है । कारखाने में तैयार माल का उत्पादन इस प्रकार होगा :—

	टन/वर्ष
(1) डाई ब्लाक	4,000
(2) हाई स्पीड स्टील	4,000
(3) अलाय टूल स्टील	7,500
(4) बेदाग इस्पात	13,000
(5) अलाय कंस्ट्रशन और कार्बन कंस्ट्रक्शन स्टील	176,350
	204,850
अथवा	205,000

मिश्र इस्पात कारखाने में बिना जोड़ की ट्यूबों का एक संयंत्र लगाने का भी फैसला किया गया है जो मिश्र इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित 74,500 टन मिश्रित और कार्बन कन्सट्रक्शन स्टील का उपयोग करेगा। बेदाग इस्पात के उत्पादन की क्षमता 13,000 टन ही रहेगी जैसी कि इस समय है। केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को इसी आधार पर एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया है। उपर्युक्त प्रोडक्टमिक्स के बारे में निर्णय समस्त प्रोद्योगिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया था। विस्तार के लिए जो प्रोडक्ट मिक्स अब चुना गया है और जिसमें बिना जोड़ की ट्यूबें बनाने का संयंत्र भी शामिल है वह ब्लूमिंग मिल की अन्तर्निहित क्षमता का मितव्ययी ढंग है।

श्री समर गुह: : सभा पटल पर रखे गये विवरण में मन्त्री महोदय ने कहा है कि आर्थिक और अन्य कारणों से सीमलैस इस्पात अथवा ट्यूबों के उत्पादन के बारे में दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयन्त्र का विरतार करने का निर्णय किया गया है। राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा था कि सीमलेस इस्पात का उत्पादन अधिक लाभप्रद होगा और इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। मैं मन्त्री महोदय के वक्तव्य को चुनौती देता हूँ कि वह न सिर्फ गलत ही है, बल्कि अवैज्ञानिक भी है। अगर यह राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो यह निर्णय में गलती करने का ज्वलन्त उदाहरण है जिससे पश्चिम बंगाल में बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए खतरा है।

इस प्रारम्भिक अभिमत के पश्चात मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि दुर्गापुर संयन्त्र के लिए डिजायन बनाते समय मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने यह मत व्यक्त किया था कि विस्तार के दूसरे चरण में, जबकि 50 प्रतिशत उत्पादन होने लगे, उस समय स्टैनवैस इस्पात का उत्पादन लाभप्रद होगा। क्या यह भी सच है कि दुर्गापुर मिश्रित-इस्पात संयन्त्र ने बिना निकिल के परन्तु क्रोमियम मिलाकर स्टेनलैस इस्पात का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है, जो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्रालय ने 6 मार्च 1971 को दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयन्त्र का विस्तार करने का निर्णय किया था, जिससे स्टेनलैस स्टील का उत्पादन बढ़कर 75,000 टन हो सके? यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए मिश्रित इस्पात संयन्त्र का विस्तार करने के बजाय सीमलैस ट्यूब के उत्पादन के लिए दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र का विस्तार किया जा रहा है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : प्रारम्भिक अभिमतों को व्यक्त करने के अलावा, जिन्हें व्यक्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है, माननीय सदस्य ने चार प्रश्न पूछे हैं।

पहला प्रश्न यह है कि क्या दस्तूर एण्ड कम्पनी ने प्रारम्भ में संयन्त्र की डिजायन बनाने के पश्चात यह सुझाव दिया था कि दुर्गापुर संयन्त्र के विस्तार के दूसरे चरण में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन को भी शामिल किया जाय। जी हां, एक समय ऐसी योजना थी।

दूसरा प्रश्न उन्होंने यह पूछा था कि क्या मन्त्रालय ने मार्च 1971 में, जब मिश्रित

उत्पादन के विस्तार पर विचार किया गया था तब स्टेनलैस स्टील को उसमें शामिल किया गया था अथवा नहीं। उत्तर यह है कि जी, हां, ऐसा किया गया था।

तीसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि इस निर्णय को बदलने का क्या कारण है। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। जब मन्त्रालय ने मार्च, 1971 में यह निर्णय लिया कि दुर्गापुर सँयन्त्र के बिस्तार के लिए मिश्रित उत्पाद में 60,000 टन स्टेनलैस स्टील को शामिल किया जाय, तो हमने मामले के अन्य पहलुओं पर विचार नहीं किया था। सारे देश के लिए हम जो योजना बना रहे थे, उसमें स्टेनलैस स्टील सँयन्त्र ही नहीं, बल्कि सीमलैस ट्यूब सँयन्त्र बनाने की योजना थी। सीमलैस ट्यूब सँयन्त्र में सीमलैस इस्पात के खन्डों को निःस्रावण प्रक्रिया से धक्का दिया जाता है और सीमों के बिना खण्डों की ट्यूबें बन जाती हैं अर्थात बिना वैल्डिग के ही ट्यूब बन जाती हैं। हम सीमलैस ट्यूब संयन्त्र की योजना बना रहे हैं। यह पाया गया है कि अगर वहां सीमलैस ट्यूब सँयन्त्र की स्थापना की जाय, तो संयन्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दुर्गापुर होगा, क्योंकि एक ओर तो दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र से लचीले इस्पात का प्रयोग कर सकेंगे और मिश्रित इस्पात तथा निर्माण के लिए उपयुक्त इस्पात पिण्डों का भी उपयोग कर सकेंगे जो मिश्रित इस्पात संयन्त्र से उपलब्ध होंगी। इसलिए, आर्थिक रूप से यह सबसे अच्छा होगा कि इसे दुर्गापुर में स्थापित किया जाय।

दुर्गापुर के बजाय सलेम में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने का दूसरा कारण यह है कि दुर्गापुर ब्लूमिंग मिल में, मिश्रित इस्पात संयन्त्र केवल 42" चौड़ाई के खण्डों का उत्पादन कर सकता है, जो परिष्कृत होने पर 40" रह जाती है और हम 42" की नहीं बल्कि निश्चित रूप से 48" की योजना बना रहे हैं, जो 46" ही रह जायेगी और संभवत 56" भी। इसीलिए हमने यह निर्णय किया कि सलेम में कन्टीन्यूअस कास्टिंग मशीन को लगाना बेहतर होगा और उसके बाद सेमी कण्टीन्यूअस हॉट स्ट्रिप मिल की स्थापना की जायगी जिससे आवश्यक चपटे उत्पादों का उत्पाद किया जा सके।

इसलिए, सभी कारणों पर सन्तुलित विचार करने के बाद, हमने यह पाया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह अधिक लाभप्र होगा कि दुर्गापुर में सीमलैस ट्यूब संयन्त्र की स्थापना की जाय और मिश्रित इस्पात तथा निर्माण में उपयोगी इस्पात के उत्पादन में 1,75,000 टन तक वृद्धि की जाय और नई कन्टीन्यूअस कास्टिंग संयन्त्र तथा सेमी कन्टीन्यूअस हॉट स्ट्रिप मिल की सहायता से सलेम में स्टेनलैस स्टील का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाय। यही कारण थे, जिनकी वजह से पुराने निर्णय को अन्ततः सरकार ने बदल दिया।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि 75,000 टन स्टेनलैस स्टील की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयन्त्र का विस्तार करने के लिए केवल 50 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी होगी, जबकि इतनी ही मात्रा में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने के लिए सलेम में 340 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी।

क्या यह भी सच है कि बिना निकिल और क्रोमियम की सहायता से स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने की तकनीकी जानकारी दुर्गापुर संयन्त्र के पास है और उन्होंने तकनीकी जानकारी

का भी विकास किया है; क्या सलेम में भी स्टेनलैस स्टील के उत्पादन का यह तकनीक उपलब्ध है? क्या यह भी सच है कि हमारे देश के सीमलैस ट्यूबों का 90% बाजार दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में है?

देश के पूर्वी भाग में तो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो आप कैसे कहते हैं कि वहाँ जोड़-रहित नालियाँ लाभकारी ढंग से बनाई जा सकती हैं? क्या यह सच है कि दक्षिण में स्टेनलैस इस्पात अधिकांशतः उपभोक्ता तथा अन्य उद्योगों के लिए है जैसे रसायन, उवरक और पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिए? क्या देश के उपयोग के लिए स्टेनलेस इस्पात सलेम और दुर्गापुर दोनों कारखानों में बनाने के पूरे प्रश्न पर वह एक नई पुनरीक्षण समिति बनाएँगे?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : अब आप ने चार के बजाय पाँच प्रश्न पूछे हैं। आप मिश्रित इस्पात प्रशासक संत्र के उत ज्ञापन से परिचित होंगे जिसमें मिश्रित इस्पात पर निवेश 150 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अतः जहाँ तक विस्तार के वर्तमान प्रस्ताव का संबन्ध है और जैसा कि सभा-पटल पर रखे गए विवरण से स्पष्ट है निवेश का हमारा अनुमान 120 करोड़ रुपये का है, जिसके बारे में हम आशावादी हैं। मिश्रित इस्पात संयंत्र में 'आर्क फर्नेस' के वर्तमान कार्यकरण संबन्धी कुछ सुझाव दिए गए हैं। जहां तक नए उत्पाद मिश्रण का सम्बन्ध है इसमें अत्यधिक निवेश का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस बात से किसी को इन्कार नहीं है कि कर्मचारी एवं अधिकारी उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। दुर्गापुर में स्टेनलैस इस्पात के उत्पादन की निर्धारित क्षमता 13,000 टन है जबकि वहाँ 1971-72 में केवल 3,000 टन का उत्पादन हुआ है। आशा है कि स्थिति में सुधार होगा। जोड़-रहित नालियों के बारे में प्रश्न परिवहन लागत का है।

श्री समर गुह : 10 प्रतिशत मंडी दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र मे है। पूर्वी क्षेत्र में तो दूसरी मंडी ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : एक तो आपने इतना लम्बा प्रश्न पूछा है और फिर आप बाधा डाल रहे हैं। यह उचित नहीं हैं।

श्री समर गुह : प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। इसका प्रभाव बंगाल की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी तो यह आदत ही है। कृपया इसे हर रोज न दोहराइये। आप बैठ जाइये और बाधा न डालिए।

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : यदि मैं किसी बात को नहीं समझा तो आप अवश्य बताएं। मुझे पता है कि बंगाल में यह समस्या विवाद का विषय है। मैं सभी तथ्य आपके समक्ष रख दूंगा यदि आप मेरी बात सुन लें। मैं नहीं चाहता कि यह संघर्ष का विषय बने। यह बहुत महत्त्वपूर्ण तकनीकी मामला है जिसपर हम देश के सभी भागों के साथ न्याय करना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस पर इतना समय लगा रहा हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे पूरी बात कह लेने दें।

सलेम में जोड़ रहित नालियों को उत्पादन संयंत्र रखने में एक मात्र कठिनाई यह है कि इनके लिए निरन्तर ढलाई एक अच्छा तरीका नहीं है और यह तरीका पूरी तरह ठीक सिद्ध नहीं हुआ है और इसका प्रयोग इसी प्रकार किया गया है और मिश्रित इस्पात संयंत्र में ब्लूमिंग मिल का प्रयोग इस विशेष तरीके के लिए करना ही अधिक सुरक्षित और बेहतर है ।

भारत में जोड़ रहित नालियाँ बनाने का संयंत्र अन्यत्र लगाने में हमारी कठिनाई यह है कि 'ब्लूमिंग' मिलें केवल दुर्गापुर में ही हैं और मिश्रित तथा निर्माण-कार्यों में काम आने वाले इस्पात का संयंत्र मिश्रित इस्पात संयंत्र में स्थित है । निःसंदेह इसका प्रयोग देश के विभिन्न भागों में होगा परन्तु संयंत्र के स्थान का चयन कच्चे माल की उपलब्धि पर भी तो पर निर्भर करता है । माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इस पर पुनर्विचार किया जाएगा तो किसी भी प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है परन्तु इसपर तो हमने बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है और तकनीकी सलाहकार प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करके ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करें और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें जो भी सामान चाहिए वह मैं उन्हें देने को तैयार हूं ।

Shri Sadhu Ram : I want to submit that some days back the Chairman of Food Corporation............

Mr Speaker : Order please. The question is not yet over.

श्री बी. वी. नायक : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या दुर्गापुर तथा अन्य सरकारी उपक्रम गत डेढ़ वर्ष के प्रयत्नों के बावजूद भी अपना उत्पादन चाहे स्टेनलैस इस्पात हो या मिश्रित इस्पात नहीं बढ़ा पाए हैं ? यदि हां, तो निर्धारित क्षमता जितना उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए जाएंगे जबकि उन्हें दंड देने की बात आज हम कहते रहे हैं जो अपनी क्षमता से भी अधिक उत्पादन कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका प्रश्न समझ नहीं सका हूं ।

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : यह बहुत व्यापक प्रश्न है और साथ ही यदि किए गए उपायों की बात मैं करने लगूं तो विषयांतर हो जाएगा । अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि इसके लिए वह पृथक प्रश्न भेजें ।

डा. रानेन सेन : मंत्री महोदय के मन में जो विचार हैं, उनपर गत मार्च में कुशल तकनीकी विशेषज्ञों और भारत सरकार के सचिवों द्वारा चर्चा की जा चुकी है और उस समय पश्चिम बंगाल से सलेम इस्पात संयंत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी । जहां इस संयंत्र की 3 लाख टन पिण्ड बनाने और 60,000 टन बढ़िया मिश्रित इस्पात की अधिकाधिक क्षमता है और देश भर में इनकी मांग भी काफी है, तो इस क्षमता का पूरा उपयोग करने के बजाय सरकार उत्पादन घटाने का प्रयत्न क्यों कर रही है जबकि इस से दुर्गापुर में भी मिश्रित इस्पात की कमी हो जाएगी और वह यहाँ उपलब्ध नहीं होगा ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार दुर्गापुर में उत्पादन कम करने का यत्न कर रही है क्योंकि जब वहाँ 'ब्लूमिंग मिल' चालू की गई थी, तब उत्पादन 240,000 टन था और विवरण में जिस उत्पाद-मिश्रण का उल्लेख है, उससे इस मिल में पूरी क्षमता का उपयोग होने लगेगा।

माननीय सदस्य ने शायद मार्च, 1971 में लिए गए निर्णय को बदलने का कारण पूछा है। कारण यह है कि उस समय विक्रय-योग्य इस्पात की मात्रा 200,000 टन अस्थायी तौर पर निश्चित की गई थी—20,000 टन रक्षा आवश्यकताओं के लिए, 30,000 टन पुर्जे आदि बनाने के लिए, 60,000 टन स्टेनलैस इस्पात की प्लेटें, पटरियों और चादरें आदि बनाने के लिए, शेष 90,000 टन अवशिष्ट रखी गयी थी। उस समय जोड़-रहित नालियां के संयत्र का प्रश्न अनिर्णीत रहने दिया गया था। बाद में इस पर विचार के पश्चात सभी उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से स्टेनलैस इस्पात संयंत्र को सलेम में स्थापित करने का निर्णय किया गया क्योंकि इस संयंत्र और मिश्रित तथा निर्माण के काम आने वाले इस्पात तथा जोड़-रहित ट्यूब संयंत्र को पृथक करना कठिन है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : डा० सेन के प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दिया ही नहीं। प्रश्न बिल्कुल सीधा है, अर्थात क्या दुर्गापुर में स्टेनलैस स्टील की 60,000 टन की क्षमता है ? यदि हां, तो देश में मांग को देखते हुए सलेम के साथ-साथ इस क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : आप दोनों सदस्यों के अतिरिक्त अभी तक किसी ने यह नहीं कहा कि दुर्गापुर में 60,000 स्टेनलस स्टील की क्षमता है। पहले यहां 18 000 टन क्षमता बनाने का विचार था जबकि वास्तव में वहाँ उपकरण कमजोर होने के कारण यह क्षमता 13,000 टन की है। क्षमता बढ़ाने के लिए वहां बहुत से नए उपकरण लगाने होंगे। अतः वहां क्षमता का कम उपयोग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में ब्लूमिंग मिल में एक लाख टन की क्षमता अनुपयुक्त पड़ी है और मिश्रित इस्पात संयंत्र में भी 240,000 टन की क्षमता उपलब्ध है। ब्लूमिंग मिल आवश्यक नहीं कि स्टेनलैस स्टील या अन्य किस्म के इस्पात के लिए ही हो, परन्तु इसका प्रयोग स्टेनलैस स्टील बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया, यह मैं बता चुका हूं कि इस आकार के डले इस ब्लूमिंग मिल में नहीं बनाए जा सकते।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जिन व्यक्तियों की खेतीयोग्य भूमि को दिल्ली के विकास के लिये अधिग्रहीत किया गया है उनके आश्रितों को तकनीकी और औद्योगिक सुविधाएं

*406. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों की खेतीयोग्य भूमि को दिल्ली की विकास योजना के लिए

अधिग्रहीत किया गया है उनके आश्रितों को तकनीकी और औद्योगिक सुविधाएँ देने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सुविधाओं के लिये बनाए गए प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : प्रश्न की विषयवस्तु योजना आयोग की परिधि में नहीं आती, तथापि, प्रश्न के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना को उपयुक्त प्राधिकारियों से प्राप्त करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है। जैसे ही वांच्छित सूचना प्राप्त हो जायेगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Programmes for Youth Broadcast Over A. I. R.

410. Shri M. C. DAGA : Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) The broad outlines of subject matters of programmes that were broadcast during this year for the youth and the purpose for brodcasting seperate programmes for them; and

(b) The benefits accrued to the youths from the Yuva Vani Service and the annual expenditure incurred during the last two years ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral):

(a) The purpose of broadcasting a separate programme for the youth is to cater to their special needs and tastes. The programmes in the Yuva Vani Service broadly cover problems that affect the youth, the generation gap, career opportunities, vocational guidance, current affairs, science, literature, etc.

(b) The service has provided opportunities to the youth in general to know latest trends and employment opportunities and in the various fields of their interst. It also helps young writers, musicians and actors to express themselves.

(c) The expenditure on the Vuva Vani Services from Delhi, Calcutta and Hyderabad during 1970-71 and 1971-72 was Rs. 182,475 and Rs. 2,87,000 respectively.

अत्यावश्यक वस्तु निगम

***411. श्री वेकारिया :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय एक आवश्यक वस्तु निगम स्थापित करने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निगम के कृत्य क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मूल्य में स्थिरता बनाये रखने तथा आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने सम्बन्धी एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इस योजना में अन्य बातों के साथ

कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व्यापार में सरकारी क्षेत्र की भूमिका सम्बन्धी सिफारिशों को भी सम्मिलित कर लिया गया है ।

विविध भारती की आय

*412. **श्री राजदेवसिंह :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी से वाणिज्यिक विज्ञापनों के बारे में 23 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2949 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में तथा इस वर्ष जुलाई के अन्त तक विविध भारती के विज्ञापन कार्यक्रम से कितनी आय हुई ;

(ख) विविध भारती के कार्यक्रम कितने केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ग) आकाशवाणी से वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण की प्रणाली कब शुरू की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई. के. गुजराल) :

(क) : विज्ञापन सेवा से 1971-72 के दौरान हुई कुल आय 4,22,36,696 रुपए तथा अप्रैल-जून, 1972 के दौरान 1,13,54,570 रुपए (लगभग) थी। जुलाई, 1972 के आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं ।

(ख) : उनतीस

(ग) : 1 नवम्बर, 1967.

महाजन आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करना

*413. **श्री पम्पन गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल के सीमा विवाद के संबंध में महाजन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इसको अन्तिम रूप से कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) : 18 दिसम्बर, 1970 को इस सदन में दिये गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार का इरादा इस विवाद को, जहां तक सम्भव हो संबंधित मुख्य मंत्रियों से बातचीत करके समाधान करने का रहा है। एक सम्मत हल तलाश करने की दृष्टि से मुख्य मंत्रियों के बीच सहमति के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भूमिगत जल की मात्रा का पता लगाने के लिए भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार तथा मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण

*414. **श्री शशि भूषण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ और निमाड़ जिलों में भूमिगत जल की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है तथा सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए पानी निकालने के उद्देश्य से उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : प्रश्न की विषयवस्तु योजना आयोग की परिधि में नहीं आती, तथापि प्रश्न के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना को उपयुक्त प्राधिकारियों से प्राप्त करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है। जैसे ही वांच्छित सूचना प्राप्त हो जायेगी उसे कृषि मंत्रालय के द्वारा सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशों में आकाशवाणी के संवाददाता

*416. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विदेशों में कार्य कर रहे सात संवाददाता कहाँ-कहाँ पर नियुक्त हैं ;

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान प्रत्येक संवाददाता ने कितनी बार संवाद भेजे ; और

(ग) क्या वे पूर्णकालिक संवाददाता हैं अथवा अंशकालिक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आई. के. गुजराल) : (क) से (ग) : 1971-72 के दौरान आकाशवाणी के विदेशों में दो पूर्णकालिक तथा पांच अंशकालिक संवाददाता थे। उनके तैनाती स्थान तथा उस वर्ष के दौरान प्रत्येक द्वारा भेजे गये संवादों की संख्या के बारे में सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

इस के अतिरिक्त, बंगला देश के लिए एक पूर्णकालिक संवाददाता का पद मंजूर किया गया है। यह पद शीघ्र ही भरा जायेगा।

विवरण

क्रम-संख्या	संवाददाता का कार्य स्थान	क्या पूर्णकालिक है या अंशकालिक	1971-72 के दौरान भेजे गये संवादों की संख्या
1.	हाँगकांग	पूर्णकालिक	492
2.	बेरुत	-तथैव-	301
3.	बोन	अंशकालिक	80
4.	नैरोबी	-तथैव-	43
5.	अदिस अबाबा (1-5-1971 को नियुक्त किया गया)	-तथैव-	45
6.	लन्दन	-तथैव-	22
7.	मास्को (1-9-71 को नियुक्त किया गया)	-तथैव-	8

राजधानी में कारों की चोरी के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

*417. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कारों की चोरी के अनेक मामलों के सम्बन्ध में हाल ही में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनसे कितनी कारें बरामद हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्। कारों की चोरी करने वाले तीन व्यक्तियों का एक गिरोह जुलाई, 1972 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

(ख) उनसे अब तक 10 चोरी की गई कारें बरामद की जा चुकी हैं। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं। मामलों की आगे जांच की जा रही है। इन 10 कारों के नम्बरों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

बरामद की गई दस कारों के नम्बर

क्रम संख्या	कार का जाली नम्बर	कार का मूल नम्बर
1.	बीआर एफ—6004	डीएलई—3414
2.	एमपीवी- —6723	एचआरजी–5406
3.	डीएचए – 8471	डीएलके – 6929
4.	आरजेआर —1766	डीएलजे —6169
5.	एमएचएन —1523	डीएलके —6717
6.	यूपीजे —1751	डीएलके —4342
7.	आरजेजेड — 4069	डीएलवी —5832
8.	एमपीसी —1647	डीएलजे —1762
9.	एमपीसी —4164	यूसएसएल —6349
10.	बीआरक्यू —5040	आरएसएम —1831

आवश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण

*418. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन्हें अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची में सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) नियंत्रण किस तारीख से लागू किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने तथा आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य में उपलब्धता का सुनिश्चित करने सम्बन्धी एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आसाम में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकाधिकारी गृहों से प्राप्त आवेदन-पत्र

*419 **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये किसी एकाधिकार गृह से 1 मार्च, 1972 के बाद कोई आवेदन पत्र मिला है, और

(ख) यदि हाँ, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हाँ। 1 मार्च से 31 जुलाई 1972 की अवधि में इन राज्यों में उद्योग स्थापित करने हेतु बड़े औद्योगिक गृहों से दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों आवेदन पत्र सरकार के विचारधीन हैं।

Purpose of Setting Up Films Council.

420. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Information And Broadcasting be pleased to state the main purpose for setting up of the Film Council and its proposed functions ?

Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting. (Shri I. K. Gujral)

Purpose of Setting Up of Film Council

To provide central forum for both the film industry and Central and State Governments to discuss various problems and evolve measures for the promotion of films as a media of culture, education and healthy entertainment and the development and self-regulation of the industry.

Functions of the Film Council :

(i) to generally advise the Central and State Governments on all matters concerning films and film industry; and in particular :

(ii) to advise on all matters concerning import and distribution of raw stock, studio equipment etc; and export of films;

(iii) to advise the film industry in the matter fo professional norms and pattern of relationship between the three major sectors of the industry viz. production,

distri and exhibition, so that no one sector of the industry benefits inordinately at the cost of others;

(vi) to lay down norms for the State Government to follow in the matter of levy of entertainment tax and other lokal taxes;

(v) to advise the Central Government in regard to excise duty on raw stock;

(vi) to advise the State Governments on ways and means to facilitate construction and licensing of new cinema houses in the private sector in rural and semi-urban areas and further to evolve a system of control where necessary to apportion playing time in cinema houses for various types of films.

सर्वदलीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कार्यवाही समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंत्रियों के लिये चेतावनी

3980. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वदलीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कार्यवाही समिति ने उत्तर प्रदेश के मुसलमान मंत्रियों से कहा था कि वे अपने पदों से त्यागपत्र दे दें अन्यथा उनके घरों पर धरना दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वदलीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कार्यवाही समिति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1972 के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंत्रियों से 17 अगस्त 1972 तक अपना त्यागपत्र देने को कहा था, और यदि ऐसा न किया गया तो उनके निवास स्थानों पर धरना दिया जायगा। तदनुसार 259 स्वयं सेवकों ने टोलियों में लखनऊ में पांच मुसलमान मंत्रियों के निवास स्थानों पर 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त, 1972 तक जब धरना उठा लिया गया था, धरना दिया। सरकार समझती है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के विरुद्ध आन्दोलन अधिनियम के विस्तार के सम्बन्ध में भ्रांति पर आधारित है तथा पूर्णरूप से अनावश्यक है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकार के भूत-पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

3981. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **प्रधान** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने भूत-पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की; और

(ख) इन जांचों के क्या परिणाम निकले और ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के किसी भूतपूर्व मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बासुमती मामले में एक भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के विरुद्ध लगे कतिपय आरोपों की जांच-पड़ताल की है। जाँच कार्य पूरे होने के पश्चात् मामला अब वैधिक संवीक्षा के अधीन है।

Alleged Harassment of D. M. S. Empolyees at South Avenue Milk Booth, New Delhi by Police

3982. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister **of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether on the 18th July, 1972 some of the employees working at D. M. S. Milk Booth at South Avenue, New Delhi, were harassed by the Police personnel and were detained in the Police Station, South Avenue New Delhi for many hours without any fault of theirs;

(b) if so, whether Government have taken any action against the persons responsible for such an illegal police action; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by the Government in this regard in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs. (Shri F. H. Mohsin) :

(a) No. On 18. 7. 1972 Shri Santosh Kumar took milk, out of turn, from the D.M. S. Milk booth at South Avenue on the plea that he was a D. M. S. employee. This was objected to by Head Constable Jagan Nath who was standing in the queue. There was an altercation between Head Constable Jagan Nath on the one side and Shri Santosh Kumar and his friend Shri Ram Nath on the other. In the altercation the shirt of the Head Constable was torn and his milk bottles broken.

(b) No.

(c) Neither Shri Santosh Kumar nor Head Constable Jagan Nath were on duty. At the intervention of other persons, the two parties compromised on the spot and Shri Santosh Kumar made payment to Head Constable Jagan Nath for the broken milk bottles. Both the parties then went to the police post, South Avenue aud stated that they had compromised with each other. An entry to this effect was made in the Daily Diary of the police post. No one was detained at the police post.

ट्रैक्टर कारखानों की क्षमता और उसमें आयातित पुर्जों का प्रयोग

3983. **चौधरी साधू राम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसी फर्गुसन, इन्टरनेशनल हारवैस्टर, एस्कोर्ट्स, फोर्ड, पिशर जेटर (एच० एम०

टी०) और टी० 25 (हर्ष) के ट्रैक्टर संयंत्रों की स्वीकृति क्षमता क्या है और उन्हें औद्योगिक लाइसेंस किन-किन तारीखों को जारी किए गये,

(ख) प्रत्येक संयंत्र द्वारा अब तक कितनी उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई और उनके द्वारा प्रयुक्त उत्पादन आयातित और देशी पुर्जों की प्रतिशतता अलग-अलग कितनी है;

(ग) ट्रैक्टर संयंत्रों में उत्पादित देशी पुर्जों अथवा अन्य देशी स्रोतों से प्राप्त देशी पुर्जों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) वर्ष 1972-73 के दौरान कितने ट्रैक्टरों के लिए आयातित पुर्जों की मंजूरी दी गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : वांच्छित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3561/72]

(ग) ट्रैक्टर तैयार करने के लिये अपेक्षित उपकरणों की संख्या बहुत अधिक है। विभिन्न उत्पादकों के उत्पादन कार्यक्रम अलग-अलग हैं। अतः उत्पादकों द्वारा स्वयं बनाये गये तथा बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गये उपकरणों का वस्तुवार विवरण देना सम्भव नहीं है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण करने वाले एकाधिकार गृह

3984. **चौधरी साधू राम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली उन फर्मों के नाम क्या हैं जो विदेशी सहयोग से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं;

(ख) प्रत्येक फर्म द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक फर्म में विदेशी सहयोगकर्त्ताओं द्वारा कितने प्रतिशत पूंजी लगाई गई है;

(ग) उनमें नियुक्त 5,000 रुपये से अधिक वेतन लेने वाले विदेशी और/अथवा भारतीय निदेशकों/तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य तथा वितरण पर कोई नियन्त्रण है, और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यावाही की है कि उनके द्वारा वस्तुओं का अधिक मूल्य न लिया जाये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : इंजीनियरिंग उद्योगों में कई प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं तथा लघु उद्योगों से लेकर बहुसंख्यक वे बड़े उद्योग तथा कम्पनियां भी इनमें सम्मिलित हैं जिन्हें तकनीकी और/अथवा वित्तीय विदेशी सहयोग करना पड़ता है या करना पड़ा था। जून 1971 में प्रकाशित नेशनल कान्सिल ऑफ एकोनोमिक रिसर्च के एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ था कि इंजीनियरिंग में 1972 विदेशी सहयोगों को स्वीकृत न किया गया था जिसमें निम्नलिखित प्रकार के विदेशी इक्विटी के 219 प्रस्ताव भी थे।

"लोहा तथा इस्पात धातुओं के सामान, मशीनरी, विद्युत इंजीनियरी, रेल-उपस्कर, मोटर गाड़ियां, साइकिलें, मोटर साइकिलें तथा इन्स्ट्रूमेंटस् ।"

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन केवल उन फर्मों की सूची जिनमें विदेशी सहयोग का अनुमोदन जिले, पार्टी की सभी अनुसूचित उद्योगों के बारे में आशयपत्र तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के सम्बन्ध में जहां भी आवश्यक हो, अनापत्ति प्राप्त करनी होती है ।

(ग) 1 जनवरी, 1971 को विदेशी स्वामित्व वाली नियन्त्रित कम्पनियों में 5,000 रुपये से अधिक के वेतन वाले कार्यस्त भारतीय/अभारतीयों की संख्या क्रमशः 923 तथा 710 थी ।

(घ) तथा (ङ) : यद्यपि सरकार को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं पर इंजीनियरी उद्योग की विविधता और विस्तीर्णता को ध्यान में रखकर जिसमें किये हुए विशेष विशिष्टीकरण की चीजों का बनाना भी सम्मिलित है सारे उद्योग के मूल्य और वितरण पर पूरा नियंत्रण करना सम्भाव्य नहीं है । फिर भी, कीमतों तथा वितरण पर, अर्थव्यवस्था की सभी अपेक्षित आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए, प्रत्येक मामले के आधार पर, नियंत्रण रखने पर विचार किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा जोड़े जाने वाले ट्रैक्टरों का आयात

3985: **चौधरी साधू राम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा जोड़े जाने वाले कितने जीटर ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) "पैक्स" का आयात किस रूप में किया जायेगा और क्या ये पूरे पुर्जों सहित एस० के० डी० होंगे अथवा उनमें से कुछ पुर्जे छोड़ दिये जायेंगे और ऐसे कितने प्रतिशत पुर्जे छोड़ दिये जायेंगे; और

(ग) क्या उक्त आयात के लिये चैकोस्लोवाकिया की फर्म के साथ कोई सप्लाई ठेका किया गया है और कब ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित संयंत्र को 6,000 ट्रैक्टरों में लगने वाले कॉम्पानेंट पैकों के आयात करने का लाइसेंस प्रदान किया गया है । यह आशा की जाती है इन पैकों का बहुलांश 1972-73 में आयातित किया जायेगा ।

(ख) 4,000 पैंक 32.5 प्रतिशत के अपमार्जन से तथा शेष 2,000 पैंक्स 5 प्रतिशत अपमार्जन से आयात किये जायेंगे ।

(ग) चैकोस्लोवाकिया की फर्म के साथ 3 मार्च, 1972 को संभरण ठेका किया गया है।

राजस्थान, बिहार और उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों का विकास

3986. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, बिहार और उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों जो निरंतर सूखाग्रस्त हैं और जिनको बेरोजगारी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, के औद्योगीकरण के लिये सरकार ने कोई व्यापक योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा यदि ऐसी कोई योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है, और

(ग) यदि कोई ऐसी व्यापक योजनाएँ नहीं बनाई गई हैं, तो क्या इन जनजाति क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिये संबंधित राज्य सरकारों को विशेष प्रयास करने हेतु कोई अनुदेश/निदेश दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : न तो योजना आयोग ने और न इस मंत्रालय ने ही इस बारे में कोई अलग योजनायें बनाई हैं। हाँ, सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को रियायती वित्त और 10 प्रतिशत केन्द्रीय वाली सहायता विद्यमान प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा अपने-अपने राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक शक्तिशाली कदम उठाने को बार-बार कहा जा रहा है।

राजस्थान के गांवों में टेलीफोन सुविधा

3987. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**
श्री बी० बी० नायक

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने प्रतिशत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है और अखिल भारतीय तथा राज्यवार आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है,

(ख) राजस्थान में टेलीफोन सुविधा कितने प्रतिशत लोगों की पहुंच से बाहर है और अखिल भारतीय तथा राज्यबार आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है, और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में गांवों में टेलीफोन सुविधा का विस्तार करने के लिए कौन-सी योजनायें बनाई गई हैं और इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) राजस्थान में 1.16 प्रतिशत गांवों में टेलीफोन सुविधा दे दी गई है जबकि पूरे देश में यह सुविधा 0.669 प्रतिशत गांवों में दी गई है। सर्कल-वार स्थिति इस प्रकार है:—

क्रम सं०	राज्य	प्रतिशत
1.	आन्ध्र	1.23
2.	बिहार	0.61
3.	गुजरात	0.94
4.	जम्मू तथा कश्मीर	0.65
5.	केरल	8.98
6.	मध्य प्रदेश	0.225
7.	महाराष्ट्र	0.817
8.	मैसूर	2.058
9.	उत्तर पूर्व	0.719
10.	उड़ीसा	0.480
11.	पंजाब	0.554
12.	राजस्थान	1.160
13.	तमिलनाडु	1.542
14.	उत्तर प्रदेश	0.320
51.	पश्चिम बंगाल	0.398
	अखिल भारतीय प्रतिशत	0.669

राज्य-वार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सूचना जिस रूप में मांगी गई है, उसमें उपलब्ध नहीं है। तथापि प्रत्येक राज्य में प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे मौजूदा टेलीफोन की संख्या नीचे दी गई है।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे टेलीफोनों की संख्या
1.	अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह	4.45
2.	आन्ध्र	1.78
3.	असम	1.16
4.	अरुणाचल (नेफा)	0.88
5.	बिहार	0.75
6.	दिल्ली	33.05
7.	गुजरात (दादर तथा नागर-हवेली को मिलाकर)	2.89
8.	हरियाणा	1.48
9.	हिमाचल प्रदेश	1.70
10.	जम्मू तथा कश्मीर	2.01

11.	केरल	2.31
12.	मध्य प्रदेश	1.03
13.	महाराष्ट्र (गोवा, दमन तथा दीव को मिलाकर)	5.50
14.	मणिपुर	1.18
15.	मेघालय	4.11
16.	मैसूर	2.28
17.	नागालैंड	3.17
18.	उड़ीसा	0.72
19.	पंजाब	3.33
20.	राजस्थान	1.43
21.	तमिलनाडु (पांडिचेरी को मिलाकर)	3.36
22.	त्रिपुरा	1.19
23.	उत्तर प्रदेश	1.103
24.	पश्चिम बंगाल	4.33

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में 2,000 लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सर्कल के लिए नियत लक्ष्य और 15-8-72 तक खोले गए पी० सी० ओ० नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	सर्कल का नाम	चौथी योजना का लक्ष्य	15-8-72 तक खोले गए पी० सी० ओ०
1.	आन्ध्र	250	209
2.	असम (उत्तर पूर्व)	80	48
3.	बिहार	150	85
4.	गुजरात	100	51
5.	जम्मू तथा कश्मीर	25	14
6.	केरल	100	64
7.	मध्य प्रदेश	125	97
8.	महाराष्ट्र	150	141
9.	मैसूर	170	152
10.	उड़ीसा	80	60
11.	पंजाब	150	157
12.	राजस्थान	200	155
13.	तमिल नाडु	150	99
14.	उत्तर प्रदेश	150	137
15.	पश्चिम बंगाल	120	30
		2,000	1,499

Amount Earmarked for M.P. During Fourth Paln

3988. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the total amount earmarked for Madhya Pradesh under the Fourth Five Year Plan;

(b) the item-wise details of the amount earmarked from the central assistance and State revenues and further allocations in this regard district-wise; and

(c) whether the per capita Central assistance is comparatively low; if so, the reasons therefor; and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :

(a) The approved Fourth Plan outlay of Madhya Pradesh is Rs. 393 crores, of which Central assistance amounts to Rs.131 crores.

(b) A statement is laid on the Table of the House indicating the State Fourth Plan outlays for sectors and programmes earmarked for the purpose of Central assistance. Districtwise allocations, are not, known to the Planning Commission.

(c) No, Sir. The per capita Fourth Plan Central assistance of Madhya Pradesh is quite high, when compared with relatively backward States like Uttar Pradesh and Bihar and even some of the economically advanced States like Gujarat, Maharashtra, Mysore, West Bengal and Andhra Pradesh as shown below :

States	Per eapita Fourth Plan Central Assistance (Rs.)
Madhya Pradesh	62
Gujarat	57
Maharashtra	47
Mysore	57
West Bengal	48
Andhra Pradesh	54
Bihar	57
Uttar Pradesh	56

Statement

Fourth Plan outlays in earmarked sectors and Programmes in Mahdya Pradesh

Head of Development	Fourth five Year Plan. (Rs. lakhs)
Agricultural programmes	8150
Cooperation	1400
Irrigation	
Chambal Stage I	191
Chambal Stage II	84
Tawa	2600
Bagh R.B.C	279

Power :

Chambal Stage II (Rana Pratapsagar)	83
Chambal Stage III (Jawahar Sagar)	393
Satpura Thermal	103

Transmission & Distribution (outlays are earmarked for schemes from year to year on the basis of Annual Plans)

Education :

Elementary Education	1250

Water Supply :

Rural Water Supply	800

Industries near Forest Areas in M.P.

3989. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any new scheme of setting up industries near the forest areas of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the main points thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) & (b) : M/s. Bangur Brothers have been recently granted a letter of intent for locating a 60,000 tonnes per annum paper/pulp plant in the Bastar distt. of Madhya Pradesh. This unit is likely to be set up in the Joint Sector.

Regional Publicity Units in Madhya Pradesh

3990. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the Districts of Madhya Pradesh, where Regional Publicity Units have been set up;

(b) the time by which Regional Publicity Units are likely to be set up in each and every District of Madhya Pradesh; and

(c) the efforts made so far to bring about qualitative and quantitative improvements in such works?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam bar Sinha) :

(a) (1) Raipur, (2) Sehore, (3) Bilaspur, (4) Durg, (5) Gwalior (6) Hoshangabad (7) Indore (8) Jabalpur (9) Bastar (10) Rewa (11) Sagar and (12) Ujjain.

(b) The twelve Field Publicity Units in Madhya Pradesh cover all the districts of the State. Further augmentation of units will depend on availability of resources and needs of coverage.

(c) Qualitative improvements are being secured by bringing about closer liaison with the Development Departments including Family Planning and securing the participation of experts such as Agricultural Extension Officers, Doctors etc. in field programmes to answer questions from the audience. Quantitatively, the member of film shows held by Fiend Publicity Units had increased, indicating fuller utilisation of staff and equipment.

Capital investment in Heavy Industries in Madhya Pradesh

3991. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Developmeut and Science and Technology** be pleased to state the total amount of capital invested in the heavy industries in public and private sectors, separately, in the State of Madhya Pradesh ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

The total amount of capital invested in the heavy industries in public and private sectors in Madhya Pradesh is Rs. 504.88 crores and Rs. 158.76 crores respectively.

5 अगस्त, 1972 के ब्लिट्ज में "आउस्टदीज एलियन्स फ्राम स्ट्रैटेजिक बाडंर एरियाज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

3992. **श्री वयालार रवि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1972 के ब्लिट्ज में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशियों ने तथा मिशनरियों ने भूमि के बहुत बड़े-बड़े प्लाटों पर अधिकार किया हुआ है और इस क्षेत्र में विदेशियों की संदेहास्पद गतिविधियां चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ. एच. मोहिसिन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, त्रिवेन्द्रम के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का चयन

3993. **श्री वयालार रवि :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, त्रिवेन्द्रम के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करने हेतु बम्बई में मार्च, 1972 में साक्षात्कार किया गया था और इसमें उच्च योग्यता प्राप्त लगभग 12 प्रत्याशियों ने भाग लिया था;

(ख) क्या चयन समिति में कोई भी शासकीय योग्यता प्राप्त सदस्य नहीं था और क्या इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या अध्यक्ष ने अनुभवी तथा वास्तव में उपयुक्त प्रत्याशियों के चयन की सम्भावना को समाप्त कर दिया है और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि स्थल चयन समिति में प्रशासनिक योग्यता प्राप्त कोई सदस्य नहीं था। अध्यक्ष को कोई शिकायत नहीं हुई है।

(ग) थुम्बा में चल रही सभी गतिविधियों को एक सम्मिश्र (विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र) के अन्तर्गत लाने के अन्तर्गत लाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नियन्त्रक के पद पर एक अत्यन्त वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो केन्द्र में सभी प्रशासनिक विषयों एवं उनसे सम्बन्धित मामलों को देखेगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान करने के लिये दिल्ली आने का निमंत्रण

3994. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान करने के लिये दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया, उनके, राज्यवार, नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य से कुल आवेदनकर्त्ताओं में से इन व्यक्तियों को छांटने की क्या कसौटी थी;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये ऐसे आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या किस आधार पर निश्चित की गई; और

(घ) इस दल का नेता चुनने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) राज्य-वार सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** — 3565/72]

(ख) चयन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया गया था।

पात्रता के लिए उनको सुझाई गई कसौटी इस प्रकार है:—

(1) स्वतन्त्रता सेनानी ने देश की स्वतन्त्रता के लिए कम से कम छः महीने की जेल काटी हो।

(2) जो आयु में बड़े हैं तथा किसी पद पर नहीं हैं और अन्यथा सार्वजनिक जीवन में प्रमुख नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

(3) राज्य सरकारें उन मामलों पर विशेष रूप से विचार कर सकती हैं जिनमें स्वतन्त्रता सेनानियों को मृत्यु दण्ड दिया गया था बाद में बदलकर उसे आजीवन कारावास कर दिया गया अथवा लम्बी अवधि के लिए जेल में रहे थे और अन्यथा कष्ट सहा था।

(4) प्रत्येक जिले से कम से कम एक स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए;

(5) उन क्षेत्रों से जो अब पाकिस्तान और बंगला देश में हैं, पात्र स्वतंत्रता सेनानियों पर भी विचार किया जाना चाहिए, जो भारत के नागरिक हैं और राज्यसंघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे हैं।

(ग) किसी राज्य में जिलों की संख्या और राज्य में स्वतन्त्रता सेनानियों की सम्भावित संख्या आधार था। बाद में कुछ और नाम भी शामिल किये गये थे।

(घ) राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों ने उन व्यक्तियों के नामों का सुझाव दिया था जिन्हें ताम्रपत्र प्रदान समारोह में प्रधान मंत्री के हाथ से ताम्रपत्र प्राप्त करने थे।

युद्ध में शहीद हुये विभागीय कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता

3995. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क, उन विभागीय कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान अपना कर्त्तव्य पूरा करते हुये अपने जीवन को बलि चढ़ा दिया,

(ख) क्या उन कर्मचारियों के आश्रितों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी के आश्रितों को दी गई वित्तीय सहायता की मोटी रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (1) श्री सुशील मार्दी; चौथी श्रेणी, बलूरघाट प्रधान डाकघर (पश्चिम बंगाल)।

(2) श्री कालिपद चक्रवर्ती, विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर जलघर (बलूरघाट)।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक कर्मचारी के आश्रितों को सर्कल कल्याण निधि से 350 रुपये और उसकी सेवा की सराहना के तौर पर 500 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा डाक-तार अनुग्रह निधि से भी प्रत्येक कर्मचारी के आश्रितों को 1,000 रुपये की राशि मंजूर की गई है।

मुर्शिदाबाद में नवाब के महल 'हजरदबाड़ी' में कलाकृतियों की चोरी

3996. **श्री के० मालन्ना:** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित नवाब के महल से, जो कि 'हजरदबाड़ी' के नाम से प्रसिद्ध है, लगभग एक करोड़ रुपये की कलाकृतियां चोरी हुई हैं;

(ख) क्या चोरी की जाँच के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को केन्द्रीय जांच व्यूरो की सेवायें उपलब्ध करायेगी; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया था कि वह महल को अपने नियंत्रण में ले ले तथा प्राचीन स्मारक अधिनियम के अन्तर्गत इसका रखरखाव करे और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मुर्शिदाबाद में नवाब के महल से एक गुलदस्ता जो सोने के कलश से सुसज्जित था, कलश तथा अन्य कलश चुरा लिये गये थे। वस्तुएं पुरातत्त्व महत्त्व की थीं और उनका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक नहीं आंका गया है।

(ख) ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को नहीं भेजा गया था।

दिल्ली में एक डी० एस० पी० को निलम्बित किया जाना

3997. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी दिल्ली का एक डी० एस० पी० निलम्बित है और इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित करने के क्या नियम हैं और इन नियमों के अन्तर्गत एक कर्मचारी कितने समय तक निलम्बित रखा जा सकता है; और

(ग) इस मामले पर कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है और इसमें पाँच वर्ष से अधिक समय विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान्, नई दिल्ली में कोई भी डी० एस० पी० पाँच वर्ष से निलम्बित नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए 1972 की चयन सूची

3998. **श्री हरि सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये 1972 की चयन सूची तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा को ग्रेड एक के कुछ ऐसे अधिकारियों को पदोन्नति देने पर विचार करने का प्रस्ताव है जिनकी पहली जुलाई, 1972 को पांच वर्ष का अपेक्षित सेवा काल पूरा नहीं हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इससे केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के उपबन्धों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड एक तथा सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति / विनियम, 1964 का उल्लंघन नहीं होगा; और

(घ) अपात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ): सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्रता को साँविधिक नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और केवल ऐसे अधिकारी जो कि पात्रता के मानदण्ड की पुष्टि करते हैं, उनके सम्बन्ध में ही विचार किया जाएगा।

भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के कर्मचारियों के लिए आवास

3999. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) उनके लिये कुल कितने क्वार्टर बनाए गए हैं; और

(ग) सभी कर्मचारियों / श्रमिकों को क्वार्टर देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)

(क) भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में इस समय कुल 514 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड की अपनी कोई बस्ती नही है और इसने अपने कर्मचारियों के लिए अब तक क्वार्टर नहीं बनवाये हैं। हां, 135 क्वार्टर निकटवर्ती माइनिंग एण्ड मशीनरी से किराये पर लिये हैं और उनको प्रवरता के आधार पर भारत आपथेल्मिक ग्लास लि० दुर्गापुर के कर्मचारियों को आवंटित कर दिया है। हाल में भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए 348 क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है।

आकाशवाणी में 'वर्क मुन्शियों' का खपाना

4000. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी में वर्क मुन्सियों के सम्बन्ध में 20 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3733 के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, नई दिल्ली में वर्कमुंशियों को नियमित संस्थानों में लगाने के मामले में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) आकाशवाणी के प्रत्येक जोन में कितने-कितने व्यक्तियों को खपाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : पदों के बनाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण वर्क मुंशियों को आकाशवाणी की नियमित सिब्बंदी में खपाने के प्रस्ताव पर आगे कार्यवाई करना सम्भव नहीं हो सका है ।

आकाशवाणी में द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों को वर्क मुंशियों के रूप में कार्य पर लगाना

4001. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय श्रेणी के उन क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें 'वर्क मुंशियों' के रूप में (आकाशवाणी, नई दिल्ली में कार्य-प्रभारित स्टाफ) काम पर लगा लिया गया है;

(ख) कितने मामले अभी विभाग के विचाराधीन हैं; और

(ग) अनिर्णीत मामलों के बारे में निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : आकाशवाणी में लिपिक ग्रेड-2 का पद नियमित पद है और उनको वर्क मुंशियों जो कार्य-प्रभारित कर्मचारी है, के रूप में लगाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

स्वतंत्रता की 25 वीं जयन्ती पर ताम्रपत्र प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को सम्मिलित न किया जाना

4002. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की स्वतंत्रता की 25 वीं जयन्ती के अवसर पर ताम्रपत्र प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में आजाद हिन्द फौज के किसी भी सैनिक को सम्मिलित नहीं किया गया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आजाद हिन्द फौज के एक भूतपूर्व जनरल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिला था; और यदि हाँ तो प्रतिनिधि मण्डल ने क्या मांग की थी और सरकार ने उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी नहीं, श्रीमान् । दिल्ली के लाल किले में 15 अगस्त, 1972 को ताम्रपत्र प्राप्त करने के लिए आजाद हिन्द फौज के अनेक आदमियों को स्वतंत्रता सैनिकों की सूची में सम्मिलित किया गया था ।

(ख) एक शिष्ट मंडल ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी । इसके पश्चात् जनरल मोहन सिंह से प्रधान मंत्री को एक पत्र मिला था जिसमें इस सम्बन्ध में एक अपील की गई थी कि आजाद हिन्द फौज के आदमियों को अन्य राजनैतिक पीड़ितों जो भारत की जेलों में गये थे के समान समझा जाय । आजाद हिन्द फौज के आदमी जो अन्य स्वतंत्रता सैनिकों के लिए निर्धारित की गई शर्तों

(जैसे तत्कालीन भारत में 6 महीने की सजा भोगना) को पूरा करते हैं उन्हे ताम्रपत्र दिए जा रहे हैं और जहाँ पेंशन के पात्र हैं पेंशन दी जा रही है।

अनुरोध के अन्य पहलुओं की जाँच की जा रही है।

उपग्रह प्रणाली प्रभाग का थुम्बा से बंगलौर को स्थानान्तरण

4003. **श्री एन. एम. जोजफ** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष केन्द्र के सम्पूर्ण उपग्रह प्रणाली प्रभाग को थुम्बा से बंगलौर को स्थानान्तरित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र देने पर हुआ व्यय

4004. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र देने के लिए लाल किले में हुये समारोह पर लगभग कितना व्यय हुआ ;

(ख) इस बारे में समूचे वर्ष के लिए बनाये गये कार्यक्रमों पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस बारे में इस वर्ष होने वाले कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) : ताम्रपत्र देने के लिए लाल किले में हुए समारोह पर लगभग 98,000 रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ख) : 25 वीं जयन्ती कार्यक्रम 15 अगस्त, 1972 से आरम्भ हो कर सारे वर्ष चलना हैं। अतः सम्भावित व्यय की राशि बताना इस अवस्था में सम्भव नहीं है।

कार्यक्रम में कम से कम समारोह शामिल किये गये हैं। अधिकांश मद विकास, कल्याण तथा शैक्षणिक कार्यों से सम्बन्धित हैं जो अधिकांशतः योजना में पहले ही सम्मिलित हैं और कुछ के लिये कुछ अतिरिक्त धन स्वीकृत किया जा सकता है। इन कारणों से "जयन्ती समारोह बजट" के रूप में ऐसी कोई चीज न तो सम्भव है और न आवश्यक।

(ग) 25 वीं स्वतंत्रता जयन्ती-राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशिका की मुद्रित पुस्तिका सदन के पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 3566/72]

अखबारी कागज की चोर बाजार में बिक्री

4005. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाटियों द्वारा अखबारी कागज अपने निर्धारित कोटे को चोर बाजारी से बेचने के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान कितने आरोप प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : 1969, 1970 तथा 1971 के वर्षों के दौरान आयातित अखबारी कागज की कथित बिक्री एवं दुरुपयोग के दस मामले आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के ध्यान में आये। छः मामलों की जांच अभी जारी है। एक के बारे में कानूनी तथा विवर्जन कार्यवाही की जा रही है। दो समाचार-पत्रों के प्रकाशकों को दो वर्ष के लिए लाइसेन्सों के लिए आवेदन करने से विवर्जित कर दिया गया है तथा एक पत्र के प्रकाशक को एक वर्ष के लिए उसके 50 प्रतिशत कोटे से विवर्जित किया गया है।

देश की जेलों में भूमिगत नागा, मिजो, कूकी तथा मनीपुर के विद्रोही

4006. **श्री रोबिन ककोटि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश की विभिन्न जेलों में कितने-कितने भूमिगत नागा, मिजो, कूकी तथा मनीपुर के विद्रोही बन्दी हैं ;

(ख) उक्त बन्दियों में अनुमानतः कितने चीनी तथा प्रशिक्षित विद्रोही हैं ; और

(ग) क्या कोई चीनी, अरकेनी विद्रोही भी भारत के बन्दी हैं।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ.एच. मोहसिन) : (क) से (ग) : संबंधित राज्य सरकारों से ब्यौरे मालूम किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त क्षेत्र में एक परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव

4007. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल की एकाधिकारिक फर्मों के साथ एक संयुक्त परियोजना स्थापित करने का विचार व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : पश्चिम

बंगाल सरकार ने बताया है कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजना प्रयोजित कर रहा है।

1 सीमेंट संसत्र-पुरुलिया में। 2. घड़ी फेक्टरी-दार्जिलिंग में।

3. टायर तथा ट्यूब संयत्र-हल्दिया में। 4. नायलोन (6) फिलामेंट संयंत्र

5. स्कूटर परियोजना 6. हल्की व्यावसायिक गाड़ी परियोजना

चूंकि निगम इन योजनाओं पर होने वाला समूचा व्यय उठाने की स्थिति में नहीं है उसने इन योजनाओं के कार्यान्वियन में निजी पूंजी लगाये जाने का प्रस्ताव किया है। इस सम्बन्ध में निगम ने ऐसे विशिष्ट प्रस्तावों पर अभी अंतिम निश्चय नहीं किया है।

केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि जहां लाइसेंसी कृत परियोजनाओं में राज्य औद्योगिक विकास निगम अन्य पार्टियों को सम्बन्द्ध करना चाहता है वहां कारपोरेशन के शेयर 26 प्रतिशत से कम नहीं होंगे तथा अन्य किसी भी पार्टी की 25 प्रतिशत से अधिक इक्विटी नहीं होगी। केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना बड़े औद्योगिक गृह सम्बद्ध नहीं किये जा सकते। जब भी निगम से निजी पूंजी लगाने के प्रस्ताव प्राप्त होंगे इन अनुदेशों के अनुसार उस पर विचार किया जायेगा।

Letter of Intent for Setting up a Nitrous Oxide Factory at Dewas (M.P.)

4008. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a Letter of Intent has been issued for setting up a Nitrous Oxide Factory at Dewas (Madhya Pradesh) ;

(b) if so, the name of the party to whom the said letter of intent has been issued and the proposed annual capacity of this factory; and

(c) the estimated cost of the said factory as also the number of people to be employed therein and the time by which this factory will start production?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, sir.

(b) A letter of intent has been granted to Shri H.V. Navani of Indore, for setting up a Nitrous Oxide factory at Dowas (Madhya Pradesh) with a capacity of 120 million litres per annum.

(c) The estimated cost of land, building and machinery has been indicated by the party as Rs. 35 lakhs. 112 workers are likely to be employed in the unit. The factory is expected to go into production within twelve months from the date of grant of import licence for capital goods. The goods import application has not yet been received from the party.

"उज्जैन से प्रकाशित होने वाले 4 जून, 1972 के समाचार पत्र "दैनिक अवन्तिका" में एक संसद् सदस्य जिसने डाकुओं को भी मात दे दी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*4009. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उज्जैन से प्रकाशित होने वाले 4 जून, 1972 के समाचार पत्र दैनिक "अवन्तिका" में 'एक संसद् सदस्य जिसने डाकुओं को भी मात दे दी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, समाचारों में लगाये गये आरोप स्पष्ट नहीं हैं, अतः मामले की काई जाँच पड़ताल कराने का उनका विचार नहीं है ।

Settiug up of Whole-Sale Trade Corporation for Consumer Goods

4010. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri B. S. Bhaura :

Will the Minister of **Industrlai Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme for setting up a Whole-sale Trade Corporation for consumer goods; and

(b) if so, the salient features of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : Government have under consideration a scheme for maintaining price stability and ensuring availability of essential commodities at reasonable prices. This scheme includes, inter-alia, recommendations about the role of the public sector in the wholesale trade in certain essential consumer goods.

युद्ध के चित्र लेने के लिये विदेशियों को अनुमति

*4011. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध में विदेशियों द्वारा चित्र लेने के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या हाल ही के भारत-पाक युद्ध के दौरान विदेशियों को चित्र लेने की अनुमति दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) और (ख) : भारत सुरक्षा नियम 1971 के नियम 52 में प्रनिबन्धित अथवा संरक्षित स्थानों अथवा क्षेत्रों अथवा किसी ऐसे स्थानों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायं के चित्र लेने पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है।

(ग) प्रत्यायित विदेशी सम्वाददाताओं तथा केमरामैनों को विशेषरूप से पदनामित संचालन अधिकारियों द्वारा युद्ध के विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया था। उन्हें आवश्यक सुरक्षा अनुमति दिये जाने के पश्चात चित्र लेने तथा उन्हें विदेश भेजने की आज्ञा प्रदान की गई थी।

Central Assistance to Madhya Pradesh Under Fourth Plan

Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have recently requested the Central Government to increase the amount of Central assistance under the Fourth Five Year Plan in view of the poor financial condition of the State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :

(a) & (b) : Yes, Sir. The request of Government of Madhya Pradesh for additional Central assistance was recently discussed by the State Chief Minister with the Deputy Chairman, Planning Commission. As a result of these discussions, the State Government will further review the position and furnish to the Planning Commission a list of proposals on receipt of which their request for additional Central assistance will be considered.

मैसूर एकाधिकार गृहों द्वारा मैसूर में उद्योगों की स्थापना

*4013. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मैसूर राज्य के उद्योग मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह अपने राज्य में एकाधिकार गृहों से उद्योगों की स्थापना करने के लिये कहेंगे :

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनका उक्त वक्तव्य केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुरूप है, और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु लाइसेंस देने की शक्तियों को विकेन्द्रीकृत करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैसूर के उद्योग मंत्री ने हाल ही में इस आशय का बयान दिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के लिये स्वीकृति दिए जाने की स्थिति में राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में एकाधिकार गृहों द्वारा उद्योग स्थापित करने में मैसूर सरकार को कोई एतराज नहीं होगा।

(ख) प्राप्त हुये आवेदनों पर भारत सरकार की वर्तमान नीतियों औद्योगिक लाइसेंस नीति और एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक प्रक्रिया अधिनियम के संदर्भ में विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं ।

बिहार के सहरसा जिले में संथाल आबादी का जलाया जाना

*4014. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सहरसा जिले की सम्पूर्ण संथाल आबादी जला दी गई थी ;

(ख) क्या इस जिले के संथालों को कुछ महीनों से उत्पीड़ित किये जाने की शिकायतें मिली थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भविष्य में ऐसी घटनायें रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ़. एच. मोहसिन) : (क) से (ग) :—राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि हाल के वर्षों में भूमि के कारण हुए कुछ झगड़ों में सहरसा जिले के ब्राहसर गांव के भू-स्वामियों तथा संथालों के बीच अनेक बार मुकदमेबाजी हुई है । 23/24 जून 1972 को कुछ हथियार बन्द व्यक्तियों ने ब्राहसर गांव के सन्थाल टोला में तथाकथित घेरा डाल दिया और घर के लोगों को बाहर निकलने का आदेश देने के बाद 17 घरों को आग लगा दी । मामले की जाँच हाथ में ली गई और 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । अब पुलिस ने आरोप पत्र दे दिए हैं और मामला न्यायाधीन है। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/117 के अधीन कार्रवाई की गई है ।

राज्य सरकार ने घटना से पीड़ित व्यक्तियों को नकदी, खाद्यान्न, तिरपाल तथा साड़ियों का वितरण करके राहत उपायों को हाथ में लिया है । प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक श्रम योजना भी प्रारम्भ की है । राज्य सरकार ने आगे रिपोर्ट दी है कि इस घटना के बाद सन्थाल टोला के अन्दर सुरक्षा के उपायों के रूप में पुलिस बल के साथ एक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षित युवकों के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

*4015. **श्री पी० के० देव**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कुछ चुने हुये युवक भारत की धर्म निर्पेक्षता की प्रतिज्ञा को भंग करने के लिये समूचे राज्य में फैल गये हैं और इसका शिमला में होने वाली भारत-पाकिस्तान उच्चस्तरीय वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा (हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाँक 22 जून, 1972); और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की टिप्पणियों का अध्ययन किया है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ़.एच. मोहसिन) : (क) और (ख) : सरकार ने 22 जून, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी सम्बन्धित रिपोर्ट को देखा है । उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

अमरीका की फर्मों के साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग

*4016. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजल पुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अमरीकी फर्मों के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग करने के कितने प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों में पूंजी निवेश की पद्धति क्या होगी तथा इनका राज्यवार वर्गीकरण क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विगत 3 वर्षों अर्थात 1969, 1970, 1971 में सरकार द्वारा नये एकक लगाने, वर्तमान एककों में नई वस्तुएं बनाने हेतु यू० एस० ए० की पार्टियों के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग के 93 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है ।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात 1969, 1970 और 1971 में सरकार द्वारा अनुमोदित 33 मामलों में कुल अमरीकी निवेश 499. 63 रुपये है । इन 33 मांमलों में से सीमित सुविधा प्रदान करने हेतु मशीन टूल तथा इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात् की अमरीका को केवल 1 मामले में बहुलांश सहयोग की अनुमति दी गई है । राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है, राज्यवार जानकारी अनुमोदित पत्रों में दी गई भारतीय पार्टियों के पतों के अनुसार है ।

विवरण

अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावो की राज्यवार सूची

क्रमांक	राज्य का नाम	स्वीकृतियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	38
2.	दिल्ली	25
3.	पश्चिमी बंगाल	10
4.	आन्ध्र प्रदेश	4
5.	तामिल नाडु	4

6.	गुजरात	3
7.	मैसूर	2
8.	उत्तर प्रदेश	2
9.	हरियाणा	2
10.	बिहार	1
11.	राजस्थान	1
12.	मध्य प्रदेश	1
	कुल योग	93

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौंपे गये मामलों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच

4017. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश द्वारा जुलाई, 1971 से जून, 1972 तक कितने मामले केन्द्रीय सरकार को भेजे गये और उनमें कितने मामलों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच की गई है ;

(ख) उक्त अवधि में राज्य के कितने मामलों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा स्वतः जांच की गई; और

(ग) जाँच पूरी हो जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग): मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई, 1971 से जून, 1972 तक की अवधि के दौरान, 7 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को निर्दिष्ट किए गए थे । एक मामले के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी है जो कि न्यायालय में दायर किया गया है, 3 मामले जांचाधीन हैं, जब कि अन्य 3 मामले जांच होने के बाद दर्ज किये जाने हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसी अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में 20 प्रारम्भिक जांच के मामले तथा 54 नियमित मामले स्वतः जांच करने के लिए हाथ में लिए ।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा स्वतः दर्ज किए गए मामलों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों या केन्द्रीय सरकार के उन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों से है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा उन मामलों के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सांभर साल्टस लिमिटेड द्वारा सोडियम सल्फेट, सोडा एश और अमोनिया उर्वरकों का उत्पादन

*4018. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साँभर साल्ट्स लिमिटेड ने सोडियम सल्फेट, सोडा एश और अमोनिया उर्वरकों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) कम्पनी अभी भी इन वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगा रही है।

31 जुलाई, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "वेरियस माइनारिटीस इन सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल लिव इन फियर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*4019. **श्री ऐच०एम० पटेल :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" (पृष्ठ6) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में अनेक अल्प संख्यक समुदाय भय की स्थिति में रहते हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस समाचार का सावधानी से अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : (क)से(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित समाचार में तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनाँक 25 जून, 1972 को वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में एक होटल के मालिक तथा स्थानीय कर्मचारी के बीच एक झगड़ा हो गया था जिसमें विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्रवाई की गई तथा स्थिति को शीघ्र ही नियन्त्रण में ले आया गया। यह कहना ठीक नहीं होगा कि सिलिगुड़ी में अल्प संख्यक समुदाय के लोग भय की स्थिति में हैं। स्थानीय शान्ति समिति के प्रयत्नों तथा प्रशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप विभिन्न समुदायों के बीच तुरन्त सद्भावना पुनः स्थापित कर दी गई।

साम्प्रदायिक शक्तियों को भड़काने वाले विदेशी ऐजन्ट——राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा दी गई कथित चेतावनी

*4020. **श्री एम० एम० जोजफ :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एजेन्ट देश में साम्प्रदायिक शक्तियों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 30 जुलाई, 1972 को कानपुर में चेतावनी दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जुलाई, 1972 को कानपुर में अपने भाषण के दौरान देश में शत्रुतापूर्ण विदेशी तत्वों तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक मेलमिलाप को भंग करने के प्रयत्नों की सम्भावनाओं का उल्लेख किया था। विदेशी एजेन्टों की गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा बनाने रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है।

Demand for Guarantee Against Curtailment of Autonomy of Jammu and Kashmir

4021. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Mirza Afzal Beg has demanded an effective guarantee against the curtailment of the autonomy of the Jammu and Kashmir State under section 370 of the Constitution;

(b) whether in his speech at Srinagar he has stated that no permanent solution of Kashmir can be found out of Indo-Pak Summit talks until and unless Government of India have a talk with Sheikh Abdullah; and

(c) If so, the reaction of Government of India in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of space. Shrimati Indira Gandhi

(a) Government have seen a Press report to this effect.

(b) Government are not aware of any statement made by Mirza Afzal Beg to this effect. However, according to Press reports Shri Beg is reported to have moved a resolution in a public meeting at Srinagar on the 20th June, 1972 that summit meeting between Prime Minister of India and the President of Pakistan would not serve any fruitful purpose unless representatives of Kashmir participated in it.

(c) As regards part (a), Government do not agree with the view implied in the reported statement of Mirza Afzal Beg. Regarding part (b), since Indo-Pakistan summit talks are held on behalf of the Government of India and Pakistan the question of associating anyone elso does not arise.

समुद्री उपयोग के लिये आणविक शक्ति प्रोपलशन

*4022. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री समुद्री उपयोग के लिये आणविक बिजली प्रोपलशन के विकास के सम्बन्ध में 31 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 1070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परियोजना प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने का उद्देश्य विषय का केवल सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना प्रतिवेदन को समुद्री उपयोग के उद्देश्य से कब प्रयोग में लाया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृहमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : समुद्री जहाजों को चलाने में न्यूक्लीय ऊर्जा के प्रयोग से सम्बन्धित विकास कार्यों की रूपरेखा देने वाली भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट सँवीक्षाधीन है । व्यावहारिक प्रयोगों से सम्बन्धित आगे की कार्यवाही इस रिपोर्ट की संवीक्षा से प्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगी ।

Impact of Import of Foreign Films on Indian Films

4023. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether foreign films are still being imported in large numbers;

(b) whether as a result of releasing such films, the tendency of exhibiting nudity and sex in the Indian films too has increased ; and

(c) if so, whether Government are contemplating reduction in import of the foreign films?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :

(a) Foreign films are being imported but not in large numbers. The agreement with M. P. E. A. A. for import of films from U.S.A has not been renewed after 30-6-1971. Further, Government have recently canalised import of films through the State Trading Corporation.

(b) No, Sir. Under the Cinematograph Act, 1952, no film can be exhibited in India unless it is certified by the Central Board of Film Censors as suitable for public exhibition. The Board has strict instructions that nothing is passed which lowers the taste or morale of the audiences or is obscene or otherwise objectionable.

(c) Does Not arise.

Number of People living in Bihar Below Poverty Line

4024. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2277 on the 16th August 1972 regarding people living below poverty line and state:

(a) the number of people in Bihar out of the 22 crores living below poverty line in India, and the broad outlines of the schemes to be implemented to ameliorate their condition; and

(b) the estimate of the expenditure to be incurred on such schemes and the share of the Central and State Governments therein ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :

(a) State wise official estimates of population living below poverty line are not available. However, non-official researchers have attempted some estimates based on National Sample Survey data which may be indicative of the Broad position. According to Dandekar and Rath, 37.33 per cent of the rural population in Bihar in 1960-61 had a monthly per capita consumption expenditure of less than Rs. 15 which, in their view, was necessary to ensure, in the conditions of lcihar, a daily diet with an intake of 2250 calories. In the country as a whole, 38 per cent of the rural population were estimated to have inadequate intake of calories. As for the urban population, 41.28 percent of them in Bihar were estimated to suffer from inadequacy of calories as against 54 per cent in the entire country.

Apart from general schemes of development under the plan, a number of special schemes are under implementation to ameliorate the condition of the poor in Bihar, as in the rest of the country. These include special package scheme for small farmers, programmes of animal husbandry to support marginal farmers and landless farmers, pilot projects for dry farming, drought prone area programme, and crash scheme for rural employment. The effort in this direction is proposed to be given further impetus in the remaining period of the Fourth Plan and the Fifth Plan.

(b) The allocation of funds during the Fourth Plan period for the above mentioned central special scheme is as under:

	Total	Bihar
	(Rs. crores)	
Small Farmers Development Agency	67.5	4.5
Marginal Farmers and Agricultural Labour Development Project	47.5	2.0
Drought Prone Area Programme	100.0	6.0
Pilot Projects for Dry Land Farming	20.0	N.A.
Crash Programme for Rural Employment	150.0	13.5
Total :	385.0	N.A.

पूना स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा नारियल जटा मज्जा से गास्केटों के निर्माण की प्रक्रिया का विकास

***4025 श्री राजदेव सिंह :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने नारियल जटा मज्जा से गास्केटों के निर्माण की एक प्रक्रिया का विकास किया है जो कि आयातित कार्क कणिकाओं का स्थान ले लेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार आयात स्थानापन्न कार्यक्रम के अधीन ऐसे गास्केटों का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) : जी, हां ।

(ख) वाणिज्यिक प्रयोग के हेतु उद्योगों को वितरित करने के लिये प्रक्रिया राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली को भेजी गई है।

भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार

*4026. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व नरेश सरकारी निदेशों के उपरान्त भी रक्षक तैनात करने, निःशुल्क बिजली आदि जैसे अपने पुराने विशेषाधिकारों का अभी भी उपयोग कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ०एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु विदेशों में जाने वाले तकनीकी दलों पर व्यय

*4027. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान विदेशों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिये भारत से भेजे गये तकनीकी दल तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने वाले ग्रुपों पर कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Percentage of Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Total Population

4028. Shri R. R. Sharma :
Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

the percentage of the present population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in comparison to the total population of each State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

The percentage of the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to total population in each State and Union Territory according to the 1971 Census is given in the Statement enclosed. **[Placed in Library No. L. T. 35/72]**

Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various Districts of Rajasthan

4029. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the various Districts of Rajasthan at present district-wise; and

(b) the percentage thereof out of the total population of Rajasthan State and Udaipur District, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) and (b) : The total population, and the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their percentage to total population of Rajasthan as well as the individual districts of Rajasthan according to the 1971 Census are given in the enclosed statement. **[Placed in the Library See No. 3568/72]**

वैज्ञानिकों के लिए रोजगार उत्पान्न करने सम्बन्धी योजनाएं

4030. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **योजना** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : वर्ष 1972-73 में विशेष रोजगार स्कीमों के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है—जिनमें 13 करोड़ रुपये शिक्षित बेरोजगारों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों (प्रारम्भिक शिक्षा, जिसके लिए प्रावधान को 1971-72 के 12 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 1972-73 में 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है, के अलावा) को जारी रखने के लिए हैं तथा 47 करोड़ रुपये नई स्कीमों के लिए हैं। इसमें से 20 करोड़ रुपये की धनराशि इंजीनियरों, प्रोद्योगिकीविज्ञों, तथा वैज्ञानिकों जैसे प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार और प्रौद्योगिकी विभाग इस समय कुछ योजनायें निर्मित करने में व्यस्त है जो कि विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से बनाई जा रही हैं;

(1) प्रौद्योगिकीय स्वावलम्बन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाएं;

(2) चालू योजना और कार्यान्वियन तन्त्र का प्रौद्योगिकीय दर्जा बढ़ाना;

(3) प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, अन्वेषण और मूल्यांकन;

(4) कृषि योग्य मिट्टी का सर्वेक्षण;

(5) चौथी और पांचवीं योजनाओं में परिकल्पित भावी संयंत्रों का निर्माण, स्थापना, परिचालन और रख रखाव;

(6) रोजगार उन्मुख नई स्कीमों को सृजन करना—जैसे उद्यमकर्ता पेशे का विकास, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र, उद्योगों के संवर्द्धन की सुविधाएं' पुनरप्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि।

ये कार्यक्रम तैयार होते ही लागू किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त 1971-72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे अब उनसे इंजीनियरी स्नातकों और अन्य विषयों के स्नातकों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। संलग्न विवरण में, बेरोजगारों की विशेष स्कीमों पर खर्च की स्कीमवार प्रगति दिखाई गई है।

अब इरादा यह है कि तैयार की गई और तैयार हो रही विभिन्न स्कीमें लागू करके, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य विषयों के स्नातकों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या आगामी वर्षों में काफी हल हो जाय।

1971-72 में केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई शिक्षित बेरोजगारी की विशेष स्कीमों पर खर्च की स्कीमवार प्रगति ।

(करोड़ रु०)

क्रमसंख्या	स्कीमें	1971-72 आवंटित राशि	1971-72 मुक्त राशि	1972-73 आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	**शिक्षण मंत्रालय** प्रारंभिक शिक्षा की क्वालिटी का विस्तार और उसमें सुधार करना	4.42	2.76	29.48+
2.	**औद्योगिक विकास मंत्रालय** उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यम-कर्त्ताओं को वित्तीय सहायता	6.50	6.39	6.50
3.	**सिंचाई व बिजली मंत्रालय** ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण	0.33	—	2.85
4.	**कृषि मंत्रालय**			
	(क) कृषि विभाग कृषि सेवा केन्द्र	0.15	0.14	0.76
	(ख) सहकारी विभाग उपभोक्ता सहकारी स्टोरों का विस्तार	0.17	0.16	0.50
5.	**परिवहन व जहाजरानी मंत्रालय** सड़क परियोजनाओं की जाँच	0·30	0.19	0.90
6.	**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय** ग्रामीण जल पूर्ति के लिए डिजाइन यूनिटों की स्थापना	0.22	—	0.44
	कुलः	12.09	9.64	41.43+

+1972-73 में कार्यक्रम के विस्तार के लिए अतिरिक्त 18 करोड़ रु० सहित ।

तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा मैसर्ज मारुति लिमिटेड के आवेदन की जाँच

4031. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्ज मारुति लिमिटेड से 6000 मीटरिक टन संरचना के काम आने वाले इस्पात के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके साथ प्रेषण लिफाफा भी है जिस पर प्रधान मंत्री सचिवालय की मुहर लगी हुई है।

(ख) यदि हाँ, तो यह आवेदन कब प्राप्त हुआ था और इस्पात कब अलाट किया गया;

(ग) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा इसकी पूरी जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : मैं० मारुति लिमिटेड से संरचना के काम आने वाले 6,000 मी० टन इस्पात के लिए 25-3-72 को एक आवेदन तकनीकी विकास के महानिदेशालय में प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार के लिफाफे में यह आवेदन प्राप्त हुआ था उसका पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के लिफाफे को सुरक्षित रखना आवश्यक नहीं है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) आवेदक को कुल 4,152 मी०टन संरचना के काम आने वाले इस्पात का आवंटन करने की सिफारिश संयुक्त संयंत्र समिति को कर दी गई है।

नेपाली भाषा के बारे में संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन

4032. **श्री रतनलाल ब्राह्मण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को दिसम्बर 1961 में भारत के सभी मुख्य दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 74 संसद् सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उनसे नेपाली भाषा को मान्यता देने तथा भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन करने जो कि इसके लिए आवश्यक है, के पश्चात् इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो नेपाली भाषा को संविधानिक मान्यता देने के लिये सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार का यह सोचा-समझा मत है कि राष्ट्रीय व्यापक हित में संविधान की आठवीं सूची का और अधिक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक सभा में

अतारांकित प्रश्न संख्या 1406 के दिनांक 29-3-1972 को दिए गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नारियल के तेल का सट्टा

4033. **श्री सी० एम० स्टीफ़न** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार नारियल के तेल का सट्टा व्यापार स्थगित करने सम्बन्धी वायदा बाजार आयुक्त के निदेश पर रोक लगाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, नहीं।

मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन के लिए अमरीकी सरकार तथा मद्रास की एक फ़र्म के बीच समझौता

4034. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अमरीकी सरकार तथा मद्रास की एक फर्म के बीच हाल में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : 26 जुलाई, 1972 को मैसर्स मद्रास रबर फैक्टरी लिमिटेड ने अपने यहां मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन में विस्तार करने हेतु पी० एल० 480 से 1 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिये अमरीकी सहायता प्राधिकारियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये थे।

(ख) ऋण पर वार्षिक 8½ प्रतिशत ब्याज लगेगा तथा वह पन्द्रह अर्द्ध वार्षिक किश्तो में अदा किया जा सकेगा। सर्वप्रथम वितरण की तिथि से पहली किश्त 12 महीनों में चुकता की जानी हैं।

भूतपूर्व नरेशों के महलों को अस्पतालों के रूप में परिवर्तित करना

4035. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूतपूर्व नरेशों के किन्हीं महलों को अस्पतालों या होटलों में परिवर्तित कर दिया गया है अथवा उन्हें किसी न्यास को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जायगी।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को दिसम्बर 1954 में सूचित कर दिया था कि सरकार द्वारा निजी सम्पत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त क्या किसी वस्तु का बिक्री अथवा अन्य प्रकार से निपटान करना उपयुक्त होगा या नहीं इसका निर्णय वे स्वयं कर सकते हैं। किन्तु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इनमें से कुछ भवनों के प्रयोग का सरकार स्वागत करेगी।

केरल में शिक्षा सम्बन्धी संकट

4036. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा अधिकार रक्षा समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने केरल में शिक्षा सम्बन्धी संकट के बारे में अपना पक्ष पेश करने के लिए 10 अगस्त, 1972 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : ऐसा एक प्रतिनिधि मण्डल 12 अगस्त, 1972 को प्रधान मंत्री से मिला और उस विवाद को हल करने में उनकी सहायता मांगी थी जिसे हाल में मित्रभाव से तय कर लिया गया है।

पालामऊ (बिहार) स्थित जपाला सीमेंट फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण

4037. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला पालामऊ (बिहार) स्थित जपाला सीमेंन्ट फैक्टरी का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

'टेल्को' का राष्ट्रीयकरण

4038. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टेल्को' का निकट भविष्य में राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केरल में शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लेने के लिये केरल सरकार का अध्यादेश

4039. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रबन्धकों द्वारा ग़ैरकानूनी तौर पर बन्द की गई शैक्षिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे गये अध्यादेश पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से इस विषय पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और किस प्रकार का पत्र व्यवहार हो रहा है, यह बतलाना इस अवस्था में वांछनीय नहीं होगा ।

Rockets Launched from Thumba Rocket Station

4040. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sat Pal Kapur :

Will be Minister of Space be pleased to state :

(a) the number of rockets so far launched from the Thumba Rocket Launching Centre ;

(b) the number of experiments of rocket launching that proved fully successful and partially successful separately ;

(c) the total expenditure incurred on the experiments during the said periods ; and

(d) the estimated expenditure likely to be incurred under this head during the financial year 1972-73 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space : (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Since November 1963 upto date 496 rockets have been launched from Thumba. Out of these 214 carried scientific experiments and the remaining were test flights of rockets being developed at Thumba which had no experiments.

(b) Of the 214 launchings for scientific experiments, 176 have been completely successful, eighteen partially successful and twenty failures. All the tests flights have provided useful data in the development and evaluation of rockets and propellants.

(c) A Total of Rs. 298 lakhs approximately has been spent in the setting up and operation of the launching station at Thumba upto March 1972. This does not include the cost of large number of rockets and payloads which have been supplied free of cost by various collaborating countries under mutual scientific agreements.

(d) The estimated operational budget for the range during 1972-73 is Rs. 59 lakhs.

Central Industrial Establishments in Faizabad (U. P.)

4041. **Shri Hukam Chand Kackwai** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether there is no Central Industrial Establishment in Faizabad Division in Uttar Pradesh ;

(b) whether the said area is very backward from the industrial point of view ;

(c) whether Goverment propose to set up a Central industrial establishment in the area ; and

(d) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) There is, at present, no Central industrial establishment in Faizabad Division in U. P.

(b) The Faizabad Division has been identified as an industrially backward region to qualify for concessional financial institutions.

(c) & (d) : There is, so far, no decision to set up any New Industrial Project in the Central public sector in this region .

Alleged Dropping of Transmitter Etc. from A Plane on Ramgarh-Patratu Runway in Bihar State.

4042. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have since ascertained facts regarding the dropping of transmitter and other objectionable articles from a plane on the Ramgarh-Patratu runway in Bihar State somtime during the middle of June, 1972 ;

(b) if so, the details of the recovered articles ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) to (c) : Facts are being ascertained.

नजफगढ़ नाले में दरार पड़ने के कारण दिल्ली में फसलों तथा घरों को हुई क्षति

4043. **श्री दलीप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की वर्षा से नजफगढ़ नाले, महिपालपुर बांध तथा असोला बांध में दरार पड़ने से दिल्ली में अनेक गांवों में खड़ी फसलों तथा गरीब हरिजनों के पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गये अथवा नष्ट हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : बाढ़-पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है किन्तु संकट आने पर प्रभावित लोगों में 13,000 रुपये के मूल्य का मुफ्त भोजन, चारा, बांस तथा सिरकियां वितरित की गई थीं ।

Rajasthan Atomic Power Project

4044. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the time by which Rana Pratap Sagar Project is likely to be completed ;

(b) whether the power generated therefrom would be supplied to Rajasthan only and not to other states ; and

(c) whether a decision in this regard has been taken ?

Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broad Casting, Minister of Space. (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) The Rajasthan Atomic Power Station consists of two units with a capacity of 200 MWe each. The first unit of the Station attained criticality on 11th August, 1972. The second unit is expected to attain criticality in March 1975. Full commissioning can be expected a few months after criticality.

(b) & (c) : The matter is under consideration.

टेलीविजन केन्द्र में ठेके के आधार पर तकनीकी कर्मचारी

4045. **श्री लालजी भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र में ध्वनि-संयोजक कैमरा मैन तथा सम्पादक जैसे तकनीकी कर्मचारी ठेके के आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायक

4046. **श्री लालजी भाई** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायकों के बारे में 24 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में कार्यरत उन वरिष्ठ तकनीकी

सहायकों की संख्या कितनी है जो कि डिग्री-धारी हैं तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं; और

(ख) उनको अगले संवर्ग अथवा अगली पदोन्नति देने के बारे में विचार न करने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में कोई वरिष्ठ तकनीकी सहायक नहीं है। यहाँ वैज्ञानिक सहायक ए, बी तथा सी काम कर रहे हैं। इनमें से केवल एक व्यक्ति डिग्री-प्राप्त है तथा वह 10 वर्ष से सेवा में है।

(ख) सन् 1967 में इस व्यक्ति की पदोन्नति हुई थी। उसकी अगली पदोन्नति के बारे में सन् 1970 में विचार किया गया तथा उसे इसके लिए अयोग्य पाया गया।

सिंचाई, विद्युत प्रजनन, प्राकृतिक संसाधनों और वनरोपण की क्षमता का अनुमान लगाने के लिये पश्चिमी घाट का सर्वेक्षण

4047. **मौलाना इसाहक सम्भली** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत प्रजनन, प्राकृतिक संसाधनों और वनरोपण की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए केरल, मैसूर तमिल नाडु, महाराष्ट्र और गोआ के पाँच राज्यों के पश्चिमी घाट का ब्यौरेवार सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सर्वेक्षण पर कितना व्यय होने का अनुमान है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : जी, हाँ। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र जिनमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं, का तेजी से विकास करने की स्वीकृत नीति के अनुसार योजना आयोग ने महाराष्ट्र, मैसूर, केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा गोवा, दमन तथा दीव संघशासित क्षेत्र से अनुरोध किया है कि वे आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे खनिज, बिजली, सिंचाई, वनरोपण, दुग्धोद्योग, बागवानी, मत्स्य पालन, पर्यटन,आदि, की क्षमताओं का विस्तृत अध्ययन करने की दृष्टि से पश्चिमी घाटों में उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगायें। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञों का एक विशेष एकक बनाया जाना चाहिए। यह प्रस्तावित एकक पश्चिम घाटों में शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करेगा तथा इस क्षेत्र की समेकित विकास योजना के निर्माण में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से आवश्यक सूचनाएं एकत्र करेगा। अभी तक यह कार्य आरम्भिक चरण में है और स्कीम को अभी साकार रूप दिया जाना है। अतः इस समय न तो स्कीम की विशेषताएं और न सर्वेक्षण की अनुमानित लागत ही बतायी जा सकती हैं।

Setting up of Paper Mills

4048. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up more Paper Mills in the country ;

(b) if so, the locations thereof ; and

(c) the estimated investment thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad)

(a) Yes, Sir.

(b) In Nowgong & Cachar Districts of Assam and in Nagaland.

(c) The estimated investment is given below :

Nowgong Project :	-Rs. 31.70 crores.
Cachar Project :	-Rs. 25 crores or Rs. 35 crores according as the capacity is 50,000 or 75,000 tonnes per annum.
Nagaland :	-Rs. 19.62 crores.

National Awards/Cash Prizes to Persons of Film Industry

4049. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information of Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the persons belonging to the film industry who were given national awards/cash prizes last year and the main features of achievements for which these have been given to them;

(b) whether Government propose to lay a list containing the above details on the Table of House; and

(c) the total amount so given to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :

(a) to (c) A statement showing the particulars of National Awards, including cash prizes given, in respect of films produced in 1971, is placed on the Table of the House. [Placed in library see No. L.T. 3569/72.] Besides, the Dadasaheb Phalke award for 1971 was conferred on Shri Prithviraj Kapoor. This award carries a cash prize of Rs. 11,000, a plaque and a shawl.

विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा अधिक विदेशी शेयरों वाली कंपनियों की संख्या

4050 **श्री वेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनकी हाल ही में विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने जांच की थी ; और

(ख) इन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनकी प्रेषण-राशि उनके पूंजी निवेष से अधिक पाई गई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी केवल एक विदेशी कंपनी अर्थात मैसर्स कोलगेट-पामोलिव (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड है जो केवल अंगराग का उत्पादन कर रही है। इस कंपनी द्वारा विदेशों को भेजी गई लाभांश की राशि निम्न प्रकार हैं---

1963	24.50 लाख
1964	23.91 लाख
1965	36.01 लाख
1966	38.00 लाख
1967	36.00 लाख
1968	24.00 लाख

इस कंपनी की पूंजी केवल 1.5 लाख रुपये थी।

विवरण

1. मै० वीकम (इंडिया) लिमिटेड, बंबई।
2. मै० ब्रिटिश ड्रग हाउस (इंडिया) प्रा० लिमिटेड, बंबई।
3. मै० वर्रफ वेलकम एण्ड कंपनी (इंडिया) प्रा० लि०, बंबई।
4. मै० कोलगेट-पाँमौलिव (इंडिया) प्रा० मिमिटेड, बंबई।
5. मै० सी० आई० बी० ए० आफ इंडिया लिमिटेड, बंबई।
6. मै० डफर इन्टरफ्रान, बंबई (पहले मै० क्रूक्स इन्टरफ्रान बम्बई, लिमिटेड के रूप में जनी जाती थी)
7. मै० जॉफ्री मैनर्स एण्ड कं० लिमिटेड, बंबई।
8. मै० जॉनसन एण्ड जॉनसन आफ इंडिया लिमिटेड, बंबई।
9. मै० स्मिथ एण्ड नेफ्यू (इंडिया) लिमिटेड, बंबई।
10. मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बंबई।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की तेल की अपेक्षा कोयला पर बल देने के लिए सिफारिश

4051 **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने तेल की अपेक्षा कोयला पर बल दिए जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या प्रगति की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हाँ, श्रीमान जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने इस बात की गवेषणा के लिए सिफारिश की है कि भारत में कोयले की अधिकता का लाभ कुछ अंश तक पैट्रोलियम उपोत्पाद के स्थान पर कोयले से निकाले हुए तरल ईंधन के उपयोग से किस प्रकार उठाया जा सकता है। समिति ने इन्जिनियर्स इन्डिया लिमिटेड से एक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सैन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जैलगोरा में स्थापित होने वाला प्रायोगिक संयत्र कोयले से तेल परिवर्तन तकनीकी की साध्यता की जाँच करेगा।

(ख) आगामी प्रगति साध्यता अध्ययन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टस लिमिटेड में विद्युतचालित टाइपराइटरों का निर्माण

4052. **श्री राजदेव सिंह :**
डा० संकटा प्रसाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड इस वर्ष के अन्त तक विद्युत चालित टाइपराइटरों का निर्माण आरम्भ कर देगा।

(ख) क्या इसके सभी पुर्जे देशीय होंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो इन टाइपराइटरों में कितने प्रतिशत पुर्जे आयातित होंगे ; और

(घ) यह टाइपराइटर संभवतः कब तक बाजार में मिलना शुरू हो जायगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड से आशा की जाती है कि वे इस वर्ष के अन्त तक या अगले वर्ष के प्रारम्भ तक विद्युत टाइपराइटरों का निर्माण कार्य चालू कर देंगे।

(ख) दो के अलावा सभी पुर्जे देशीय होंगे।

(ग) कुल पुर्जों का लगभग आधा प्रतिशत।

(घ) अगले वर्ष के दौरान।

उद्योग समूहों के आसपास छोटे उद्योगों की स्थापना

4053. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों और योजना आयोग ने भी देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये बड़े उद्योग समूहों के आसपास अनेक लघु उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने बड़े उद्योग समूहों के आसपास और सहायक उद्योग स्थापित करने की सम्भावना का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगकि विकास मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा आयोजित एक "रोजगार उत्पन्न करने संबंधी संयुक्त वर्कशाप" जो अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं के आस-पास सहायक उद्योगों का आयोजन करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं।

(ख) और (ग) : सरकार वृद्धि की गति में तेजी लाने तथा सहायक उद्‌योगों का विकास करने के अर्थों पर विचार करती रही है और इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाये गये हैं।

भूमि सुधारों की प्रगति के सम्बन्ध में योजना आयोग का अध्ययन

4054. **श्री पम्पन गौडा** :

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में भूमि सुधारों की प्रगति के संबंध में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी महत्त्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है। बहरहाल, योजना आयोग के सम्बद्ध अनुभाग ने देश में भूमि सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए एक कार्यकारी दस्तावेज तैयार किया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 3570/72]

लघु उद्योग विकास निगम में राज्य व्यापार निगम द्वारा अंश खरीदा जाना

4055. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग विकास निगम में अंश खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात लघु उद्योग निगमों की इक्विटी पूंजी में अलग-अलग 10 लाख तक लगाने के निवेदन पर विचार किया है ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया भवन की धनराशि के दुरुपयोग के बारे में लगाये गये आरोपों की जांच

4056. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस ट्रस्ट आफ इन्डिया के महाप्रबन्धक और ठेकेदारों तथा नई दिल्ली स्थित प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के भवन के आर्किटेक्टों द्वारा धन के दुरुपयोग संबंधी आरोपों के बारे में की जाने वाली जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और क्या अब सरकार का विचार इस मामले की केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा और जांच करवाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत किया गया था । रिपोर्ट की विस्तार से जांच करने के पश्चात् कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे । कम्पनी से प्राप्त उत्तर की कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया का पुनर्गठन

4057. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के शासी निकाय के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया पर एकाधिकारियों का नियन्त्रण समाप्त करने के लिए उसका पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जब सरकार प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया को अधिकतम वित्तीय सहायता दे रही है और यदि हां तो कब ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. डा० एन. बी. पूरलेकर, सकाल, पूना—अध्यक्ष
2. श्री ए. के. सरकार, आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता

3. श्री जी. कस्तूरी, हिन्दू, मद्रास
4. श्री रामनाथ गोएंका, इन्डियन एक्सप्रेस, मद्रास
5. श्री सी. आर. इरानी, स्टेट्समैन लि०, कलकत्ता
6. श्री पी. सी. गुप्त, डेली जागरण, कानपुर
7. श्री जी. एन. साही, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
8. के. एम. मैथ्यू, मलयाला मनोरमा, कोट्टायम
9. श्री सी. सी. शाह, जन्मभूमि, बम्बई
10. डा० सी. डी. देशमुख
11. श्री के. टी. देसाई, अध्यक्ष, बैनिट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि०
12. श्री ए. के. राय, भूतपूर्व कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया।
13. श्री जी. पार्थसारथी, उप कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

(ख) तथा (ग) : ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

देश में जमाखोरों तथा चोर बाजारियों की गिरफ्तारियां

*4058 **श्री शशि भूषण :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, जुलाई तथा अगस्त, 1972 के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गिरफ्तार किये गये जमाखोरों तथा चोर बाजारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन व्यक्तियों के नाम तथा अन्य विवरण क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ; और

(ग) क्या कोई ऐसा कानून पेश करने का विचार है जिससे कि इन राष्ट्र विरोधी तथा समाज-विरोधी तत्वों को कड़ा दण्ड दिया जा सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से जानकारी मंगाई गई है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कानून में अधिक सख्ती लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

देश में भारत रक्षा नियमों के अधीन लोगों को गिरफ्तार किया जाना

*4059. **श्री शशि भूषण :**

श्री सत पाल कपूर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आज तक भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों के अधीन देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार, गिरफ्तार किये व्यक्तियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक रिहा किया गया है और उनके नाम क्या हैं तथा गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3571/72]

श्रोता अनुसंधान अधिकारियों द्वारा किया गया पैनल सर्वेक्षण

*4060. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में श्रोता अनुसंधान अधिकारियों (लिस्नर रिसर्च आफीसर्स) ने कितने पैनल सर्वेक्षण किये हैं ;

(ख) 1971-72 में उक्त अधिकारियों ने कितने तदर्थ डाक (मेल) सर्वेक्षण किये हैं ; और

(ग) 1971-72 में किये गये इन सर्वेक्षणों पर आकाशवाणी ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) 238.

(ख) 124.

(ग) पैनल सर्वेक्षणों तथा डाक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों पर प्रत्येक केन्द्र की श्रोता अनुसन्धान समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें तैयार करने के लिये उपयुक्त कार्यवाई की जाती है ।

टेलीविजन में समाचार पढ़ने वालों का दोषपूर्ण उच्चारण

*4061. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि टेलीविजन में समाचार पढ़ने वाले कर्मचारी नामों तथा अन्य शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं जैसे कि कई दिनों तक श्री पी० एन० हक्सर का उच्चारण 'हस्कर' तथा मिसेज सुशीला रोहतगी का उच्चारण मिसेज सुशीला रोहतांगी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) टेलीविजन से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों का चयन किस आधार पर किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अशुद्ध उच्चारण के मामलों का नियमित रूप से प्रतिदिन होने वाली कार्यक्रम सम्बन्धी बैठकों में पुनर्विलोकन किया जाता है और शुद्ध उच्चारण सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए व्यक्तियों का चयन उम्मीदवार की विषय में अपेक्षित निपुणता के अतिरिक्त टेलीविजन योग्य व्यक्तित्व, धाराप्रवाह अभिव्यक्ति, पर्याप्त शैक्षणिक पृष्ठभूमि और व्यावसायिक अनुभव के आधार पर किया जाता है।

बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में भेजने में विलम्ब

*4062. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्लिन फिल्म समारोह में राय द्वारा निर्मित सीमाबद्ध फिल्म तथा "फिर भी" "दस्तक" और "दो राहा" नामक फिल्मों को देरी से भेजने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप पहली तीन फिल्में बर्लिन में समारोह के तीन सप्ताह बाद पहुंचीं तथा चौथी फिल्म वहाँ पहुंची ही नहीं ;

(ख) कैन्नेस फिल्म समारोह में कोई भी फिल्म न ले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) फिल्म समारोहों के लिए अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा समिति का क्या कार्य है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) कैन्नेस फिल्म समारोह में भारत को आमन्त्रित नहीं किया गया था, इस लिए सरकारी रूप से कोई फिल्म प्रविष्ट नहीं की गई थी।

(ग) सलाहकार समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है :—

1. श्री के० एम० अभलादी—फिल्म आलोचक, "हिन्दुस्तान टाइम्ज"
2. श्री मोहम्मद शमीम—फिल्म आलोचक, "दि टाइम्ज आफ इण्डिया"
3. श्री आर० गणपति—सूचना अधिकारी (फिल्म-विदेश मंत्रालय, विदेश प्रचार प्रभाग)

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्टि के लिए समिति का कार्य फिल्मों को देखने के पश्चात् उनकी उपयुक्तता का निर्णय करना है।

विवरण

बर्लिन फिल्म समारोह के नियम इस मंत्रालय में 28 जनवरी, 1972 को प्राप्त हुए थे तथा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उनको 7 फरवरी, 1972 को फिल्म एसोसिएशनों के पास भेज

दिया गया था। प्रविष्टियां भेजने की अन्तिम तिथि 20 अप्रैल, 1972 थी, व्यू प्रिन्टों के समारोह अधिकारियों के पास पहुंचने की तारीख 10 मई, 1972 तथा स्वीकृत फिल्मों की प्रिंटों के उनके पास पहुंचने की तारीख 31 मई, 1972 थी। किसी भी फिल्म एसोसिएशन ने अन्तिम तिथि तक कोई भी फिल्म प्रविष्ट करने का सुझाव नहीं दिया। तथापि, 15 मई, 1972 को 'सीमाबद्ध' के निर्माता से समारोह में अपनी फिल्म प्रविष्ट करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था। बर्लिन में स्थित भारत के कन्सुलेट जनरल से प्रविष्टि की तिथि 31 मई, 1972 तक बढ़वाने के लिए केबल द्वारा तत्काल सम्पर्क किया गया। अनुकूल उत्तर प्राप्त होने पर, निर्माता को 20 मई, 1972 को प्रविष्टि फार्म तथा प्रिंट तुरन्त बर्लिन भेजने के लिए कहा गया। निर्माता ने 31 मई, 1972 को मंत्रालय को यह सूचित किया कि प्रिंट 30 मई, 1972 को बर्लिन भेज दी गई है। ऐसा लगता है कि फिल्म 31 मई, 1972 तक बर्लिन नहीं पहुंची।

फिल्म "फिर भी" के निर्माता ने अपनी फिल्म की प्रविष्टि के लिए 9 मई, 1972 को आवेदन भेजा। फिल्म का प्रोव्यू सलाहकार समिति द्वारा 10 मई, 1972 को किया गया। 11 मई, 1972 को बर्लिन में स्थित भारत के कन्सूलैट जनरल से एक केबल द्वारा अनुरोध किया गया कि वह इस फिल्म को समारोह के अधिकारियों से स्वीकृत करवाएं। बर्लिन में स्थित भारत के कन्सुलेट जनरल ने 15 मई, 1972 को इस मन्त्रालय को सूचित किया कि समारोह अधिकारियों को फिल्म स्वीकार्य है। उसी दिन निर्माता को तार द्वारा सूचित कर दिया गया कि वह प्रिन्ट को 31 मई, 1972 से पूर्व बर्लिन पहुंचा दें। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि फ़िल्म वहाँ बहुत देर से पहुंची, फिर भी चयन समिति ने फिल्म को देखा किन्तु प्रतियोगिता प्रदर्शन के लिए इसको मंजूर नहीं किया।

बर्लिन फ़िल्म समारोह के निदेशक डा० बोएर ने फ़िल्म प्रभाग, बम्बई को दिनांक 29 फरवरी, 1972 के अपने पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ 'दस्तक' तथा 'दो राहा' नामक फिल्मों को आमन्त्रित किया। फ़िल्म 'दस्तक' के निर्माताओं को अपनी प्रिन्ट भेजने के लिए सुविधाएं 24 अप्रैल, 1972 को मुहैया की गई थीं, किन्तु ऐसा लगता है कि प्रिन्ट 31 मई, 1972 से पूर्व बर्लिन नहीं पहुंची। फिल्म 'दो राहा' उपयुक्त नहीं समझी गई और प्रविष्टि के लिए मन्जूर नहीं की गई।

हैवी इलेक्ट्रकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में आरक्षित पद

4063. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अवर श्रेणी लिपिकों और टाइपिस्टों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके तथा कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हैवी

इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में अवर श्रेणी लिपिक तथा टाइपिस्ट का कोई भी अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद रिक्त नहीं है। बार-बार विज्ञापन देकर तथा विदित मानकों को शिथिल करके पदों को भरने की व्यवस्था की गई है ; किन्तु, अवर श्रेणी लिपिक तथा टाइपिस्टों के अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित कुछ पद मानकों के शिथिल करने तथा बार-बार विज्ञापन देने के बावजूद भी उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण, भरे नहीं जा सके हैं। प्रबन्ध संचालक फिर से विज्ञापन देकर जन जातियों के योग्य उम्मीदवार प्राप्त करने का और भी प्रयत्न कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के रायपुर डिवीजन में टेलीफोन सेवा

4064. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के रायपुर डिवीजन के जिला बस्तर में टेलीफोन की अकुशल सेवा की जानकारी है,

(ख) क्या सरकार इस समूचे डिवीजन की सामान्य शिकायतों को देखते हुए रायपुर डिवीजन में अलग से एक नया एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त नया एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, किन्तु शिकायतें सामान्यतः ट्रंक सेवा में विलम्ब के बारे में हैं। रायपुर और जगदलपुर के बीच ताँबे के तार की इकहरी ट्रंक लाइन के साथ एक और ए० सी० एस० आर० ट्रंक लाइन जोड़ी जा रही है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। तथापि रायपुर नगर से दो मेनुअल एक्सचेंजों की जगह एक नया आटो एक्सचेंज लगाने का काम चल रहा है। आशा है कि यह नया एक्सचेंज 1973 के अन्त तक काम करने लगेगा।

राजस्थान द्वारा पिछड़े राज्यों को अधिक सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की नीति का पुनरीक्षण करने की मांग

4065. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्यों को पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता देने की अपनी नीति का पुनरीक्षण करे ताकि पिछड़े राज्यों को उक्त सहायता का बड़ा भाग मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : राज्यों को दी

जाने वाली सहायता से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई खास अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में भेजे गए राज्य की पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण नामक प्रलेख में, पांचवीं योजना के संदर्भ में वर्तमान प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

पाँचवीं योजना से सम्बन्धित मामलों, जिनमें केन्द्रीय सहायता के आवंटन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है, के बारे में भारत सरकार को अभी अपना दृष्टिकोण निश्चित करना है। उपयुक्त समय पर निःसन्देह राजस्थान सरकार के विचारों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा श्रृंगार सामग्री का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों की जांच

4066. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री श्रृंगार सामग्री निर्माता कम्पनियों के बारे में विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा अध्ययन के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रृँगार सामग्री का निर्माण करने वाली अधिकांश विदेशी पूंजी वाली उन ग्यारह कम्पनियों के क्या नाम हैं, जिनकी विदेशी पूँजी-निवेश बोर्ड ने जांच की है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी प्रेषण-पूँजी उनकी निवेशित पूँजी से अधिक पाई गई; और

(ग) जितनी अवधि के लेखों की उक्त बोर्ड ने जाँच की थी उसके दौरान इन कम्पनियों ने वस्तुतः कितनी पूंजी प्रेषित की ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : विदेशी विनियोजन बोर्ड ने हाल ही में भारत में अंगराग उद्योग के सामान्य तौर पर अनेक पहलुओं की जांच की है। या तो पृथक रूप से या दवायें आदि जैसी अन्य वस्तुओं के साथ विभिन्न प्रकार के अंगराग का निर्माण करने हेतु, वाली फर्मों में से 5 कम्पनियों सतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ हैं। और 6 में पर्याप्त विदेशी इक्विटी सहभागिता है। इन 11 कम्पनियों के नाम संलग्न हैं। ऐसी केवल एक विदेशी कंपनी अर्थात् मै० कोलगेट-पामोलिव (इन्डिया) प्रा० लि० है जो केवल अंगराग का उत्पादन कर रही है। इस कंपनी ने विदेशों को लाभांश की जो राशि प्रेषित की है वह निम्न प्रकार है :—

1693	24.50 लाख
1964	23.01 लाख
1965	36.01 लाख
1966	38.00 लाख
1967	36.00 लाख
1968	24.00 लाख

इस कंपनी की पूंजी केवल 1.5 लाख रुपये थी।

विवरण

1. मै० वैकम इण्डिया लि० बम्बई
2. मै० ड्रग हाउस इण्डिया प्रा० लि० बम्बई
3. मै० कोलगेट पालमोलिव (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई
4. मै० वरोज वैलकम एण्ड कं० इण्डिया प्रा० लि० बम्बई
5. मै० रेकिट एण्ड कोलमन लि० कलकत्ता
6. मै० सी० आई० वी० ए० आफ इण्डिया लि० बम्बई
7. मै० जान्सन एण्ड जान्सन आफ इण्डिया लि० बम्बई
8. मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० बम्बई
9. मै० स्मिथ एण्ड नेफ्यू (इण्डिया) लि० बम्बई
10. मै० डूफर इंटरफ्रो बम्बई (पहले मै० कुक्स इंटरफ्रेन लि०)
11. मै० ज्याफ्रेरे मैनर्स एण्ड कं० लि० बम्बई ।

भारतीय अंतरिक्ष गवेषणा संगठन द्वारा गठित अध्ययन दल

4067. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय अंतरिक्ष गवेषणा संगठन द्वारा गठित अध्ययन दल के प्रस्ताव के बारे में, 8 अगस्त, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह अध्ययन वर्ग, अन्तरिक्ष विज्ञान एवं उसके अनुप्रयोगों सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में 7 अगस्त, 1972 से 12 अगस्त, 1972 तक अहमदाबाद में आयोजित सेमिनार के लिए गठित छः अध्ययन वर्गों में से एक था। विभिन्न पहलुओं विशेषरूप से कार्यक्रम पर हुए खर्च तथा उससे राष्ट्र को पहुँचने वाले लाभ के तुलनात्मक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार की सिफारिशों पर यथासमय विचार किया जायेगा।

Shortage of Polyethelene in Plastic Factories

4069. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :

(a) whether several plastic factories are not working to their full capacity, because they are not getting required quantity of raw material of high density Polyethelene and low density Polysethelene ;

(b) whether the producers of aforesaid raw material supply most of their products of big industries; and

(c) whether Government propose to make proper arrangements for the supply of the necesssry raw material to small industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) There have been some complaints regarding shortage from both small and large units.

(b) The producers maintain that they distribute the raw materials, by and large on the basis of past off-take of various units whether big or small.

(c) Steps have been taken to import 9,000 tonnes of low density polyethelene through the STC. The import of low density polyethelene has been allowed to actual users in the current import policy,

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या

4070. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों की मासिक उपलब्धि भत्तों सहित 1,000 रुपये से अधिक है; और

(ग) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनका वेतन-मान क्या है ?

गृह मंत्रालय में और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : रोजगार तथा प्रशिक्षण के महानिदेशालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 1972 को की गई जन गणना के अनुसार 31 मार्च, 1970 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी:—

(क) सभी श्रेणियों के सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 28,511 लाख थी।

(ख) 1000 रुपयों से अधिक (जिसमें मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन तथा विशेष / वैयक्तिक वेतन शामिल है, किन्तु इसमें भत्ते नहीं मिलाए गए हैं) वेतन पाने वाले सिविल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 13, 604 है।

(ग) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 12,54,639 है।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के मानक वेतनमान इस प्रकार हैं—

70-1-85

75-1-82-2-95

95-3-110

बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र

4071. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बंगलौर में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना पर पाँचवी योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय विचार किया जायेगा।

बंगला देश से रजाकारों द्वारा भारत में घुसपेंठ

4072. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में बंगला देश से बड़ी संख्या में रजाकार पश्चिम बंगाल, बिहार तथा देश के अन्य भागों में घुस आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक उन में से कितने गिरफ्तार किये गये हैं और वापस भेज दिये गये हैं; और

(ग) इस घुसपैठ को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं , श्रीमान्।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से यह मालूम किया जा रहा है कि क्या गत तीन महीने के दौरान भारत में किन्हीं रजाकारों के घुसपैठ करने का पता है।

(ग) कड़ी निगरानी रखी जा रही है और भारत-बंगलादेश सीमा के आर-पार व्यक्तियों को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं।

फरक्का बांध क्षेत्र का प्रगति केन्द्र के रूप में विकास

4073. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का को प्रगति केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो फरक्का बांध के क्षेत्र के विकास के लिये क्या योजनाएं अथवा परियोजनाएं बनाई गई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : फरक्का बांध क्षेत्र का विकास करने के लिये कोई विशिष्ट योजनाएं या परियोजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजना, 1971 के अधीन फरक्का को एक नया विकास केन्द्र निर्धारित किया गया है। उस क्षेत्र के नए औद्योगिक एकक और पर्याप्त विस्तार के प्रकरण घोषित प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

Promotion of Employees in R.M.S. Rajasthan Circle

4074. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** bepleased to state :-

(a) whether the employees presently working in Railway Mail Service, Rajasthan Circle have not been promoted so far though they had passed the test in 1970;

(b) if so, the reasons for declaring the porters successful for the posts of sorters; and

(c) if they have been declared successful, the time by which they are likely to be promoted ?

The Minister of Communicaitons (Shri H.N. Bahuguna) :

(a) All the general vacancies i.e. unreserved vacancies (thirty-three in number) in the R.M.S. Branch in Rajasthan Circle were filled up according to merit from qualified candidates.

(b) Since it is a competitive test, only the required number can be promoted out of those who have qualified in the test.

(c) In view of answers to (a) and (b) above, the question does not arise.

मध्य प्रदेश के सतना जिले में डाकघर

4075. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या सँचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पन्ना तथा सतना जिलों में कितने डाकघर तथा उप-डाकघर हैं;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 में इन डाकघरों और उप-डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पन्ना और सतना जिलों में डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :

(I) पन्ना जिला

(1) उप-डाकघर	7
(2) शाखा डाकघर	70
	77

(II) सतना जिला

(1)	प्रधान डाकघर	1
(2)	उप-डाकघर	18
(3)	शाखा डाकघर	140
		159

(ख) और (ग)—जी हां। 1972-73 में पन्ना जिले में पांच शाखा डाकघर और सतना जिले में एक उप-डाकघर और पांच शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

भूमि सुधार उपायों का ग्रामीण निर्धनता की समस्या पर प्रभाव

4076. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित भूमि सुधार उपायों का ग्रामीण निर्धनता की समस्या पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में अभी भी अधिकांश राज्यों को कानून बनाना है। इसके प्रभाव के विषय में कुछ कहना पूर्वकालिक है।

मकान किराया भत्ते के बारे में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारी संघ की माँगें

*4077. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ओखला के कर्मचारी-संघ की भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों का पुनरीक्षण किये जाने से सम्बन्धित मांगों को इस बीच प्रबन्धकों द्वारा स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या भारत सरकार के सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा मकान किराये भत्ते को बढ़ा कर 30 प्रतिशत करने के लिये जारी किये गये निदेशों के बावजूद राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रबन्धकों ने इस स्तर तक कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ते में वृद्धि नहीं की है यद्यपि निगम के निदेशक मण्डल ने नवम्बर, १९७१ में इस बात का अनुमोदन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रबन्धकों ने सरकार की स्वीकृति के अधीन मांगों को स्वीकार कर लिया है। निगम के वेतन मान लगभग सरकार के वेतन मानों के समान हैं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन मानों के पुनरीक्षण का वेतन आयोग विचार कर रहा है। इसलिये सरकार ने फैसला किया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने और उस पर निर्णय होने के पश्चात् समीक्षा की जाये।

(ख) और (ग) : सरकारी उद्यम ब्यूरों ने परिपत्र जारी किया है कि मकान किराया भत्ते की बढ़ोतरी के बारे में अनुदेश तब-तक गैर-कारगर रहेंगे जब तक कि मजदूरी और अनुषंगी लाभों पर सामान्य पुनरीक्षण के विरोध में अक्तूबर, 1971 में जारी किये गये उनके आदेश व्यवहार में हैं ।

तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की योजनाएं

***4079. श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए कोई विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) :

(क) जी हाँ ।

(ख) चौथी योजना में इसके लिए निम्नलिखित विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं:—

(1) तमिलनाडु—18 स्थानों पर 168-35 लाख रुपये की लागत से 869 क्वार्टरों का निर्माण ।

(2) उत्तर प्रदेश—30 स्थानों पर 159.45 लाख रुपये की लागत से 714 क्वार्टरों का निर्माण ।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की मरम्मत

***4080. श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में काफी मरम्मत करने की आवश्यकता है ताकि वह पूर्ण रूप से बेकार न हो जाये ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीकी विशेषज्ञों की सलाह मांगी है जिन्होंने सन्यंत्र को बदलने के लिये १ करोड़ रुपये की माँग की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है और संयंत्र को बचाने के लिये क्या योजना बनाई है ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि संयंत्र के कुछ भागों में मरम्मत करने तथा उनके डिजाइन में

सुधार करने के लिए जब-जब आवश्यक होता है तब-तब अमरीका जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी से सलाह मुफ्त प्राप्त की जाती है। कुछ कलपुर्जे जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी से मुफ्त एवं कुछ कम कीमत पर भी प्राप्त किये गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों का पुनः खोला जाना

4081. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास की वर्तमान नीति पश्चिम बंगाल से पूंजी के बाहर जाने को रोकने में कहाँ तक सफल हुई है ; और

(ख) राज्य में कितने उद्योग पुनः खुले हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) : सोलह सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन से तथा राज्य सरकार को प्रोत्साहन देने की नई योजना तथा अन्य उपायों की घोषणा से पश्चिमी बंगाल में उद्यमकर्त्ताओं ने पुनः निवेश करने में रुचि प्रदर्शित की है और 1 जनवरी 1971 से 30 जून, 1972 के बीच 135 बंद पड़े एकक जिनमें 57,311 कर्मचारी कार्य करते थे, पुनः खुल गये हैं।

Meeting of Ministers for Industries of States at Hyderabad

4082. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prasann Bhai Mehta :

Will the Minister of **Industrial Development and Science Technology** be pleased to state :

(a) whether a conference of Ministers for Industries of States was held in Hyderabad in the recent past to discuss the problems concerning industrial develop. ment;

(b) whether any new decisions were taken at the conference; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in Ministry of Industrial Development Prof. Siddheshwar Prasad):

(a): No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Telephone Facilities to M. Ps And Ministers

4083. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the Press reports containing complaints about the discrimination being made in respect of Telephone facitities to the Members of Parliament and the Ministers .

(b) if so, the main reasons stated for the discrimination ; and

(c) whether Government propose to reconsider their decision in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. **Bahguna**) :

[a] No, a few communications from Members of Parliament have, however, been received.

[b] It has been suggested to them that while there is no restriction on the local calls made from telephones working for Ministers, the existing limit, of free calls of 5400 per annum from each of their telephones in Delhi and in constituencies should at least be doubled.

[c] The P & T Department charges for all local calls as per rates prescribed under Indian Telegraph Rules. In case of M. Ps, the calls made from their telephones are paid by the Parliament Secretariat concerned. The concession demanded by the M. Ps is to be considered by the Joint Committee on Salaries and Allowance of M. Ps and the Department of Parliamentary Affairs.

बिहार के गया जिले में टेलीफोन कनेक्शन

4084. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1972 के दौरान बिहार के गया जिले में टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए कुल कितने पत्र प्राप्त हुए, और

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बिहार के गया जिले में 1970-71 में 236 और 1971-72 में 199 अर्जियां नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त हुई ।

(ख) दो अर्जियां अभी बकाया हैं क्योंकि इनमें लम्बी दूरी के कनेक्शनों की माँग की गई है, जिनके लिए काफी मात्रा में सामान चाहिए। चूंकि यह उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की जा सकी ।

अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में डाक तार मैन्युअल का मुद्रण

4085. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार के मैन्युअल केवल अंग्रेजी भाषा में ही छापे जाते हैं,

(ख) क्या हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस छापने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । ये हिन्दी में भी छापे जा रहे हैं ।

(ख) जी हां,, सर्कल अध्यक्षों को शाखा डाकघर नियम क्षेत्रीय भाषाओं में भी छपवाने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ग) सात डाक-तार मैनुअल और तीन आवधिक प्रकाशन-तार गाइड, तार संदेश कोड और सरकारी तारों के लिए तार कोड पहले ही हिन्दी में छप चुके हैं। अन्य मैनुअल हिन्दी में छापने का कार्य चल रहा है ।

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के निकट हरिजनों की कालोनी पर आक्रमण

4086. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गत 11 जून, को विशाखापत्तनम के समीप एक हरिजन कोलोनी पर आक्रमण किया गया और इसी प्रकार से एक और ग्राम यरदे में भी हरिजनों पर आक्रमण किया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री: (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 जून, 1972 को विशाखापत्तनम में एक घटना हुई थी जिसमें तथाकथित आठ व्यक्तियों के एक वर्ग ने हरिजन समुदाय के कुछ सदस्यों पर आक्रमण करके उनमें से 11 व्यक्तियों को घायल कर दिया था। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,322 तथा 324 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था । मामला विचारण के लिए लंबित है । चुनाव के बाद उस क्षेत्र के निवासियों में तनावपूर्ण सम्बन्ध तथा अन्य छोटे झगड़े इस घटना का कारण होने की रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए एहतियाती उपाय किए हैं।

राज्य सरकार को यरदा गाँव में हरिजनों पर किसी आक्रमण की घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । किन्तु नागरा समुदाय और यथा समुदाय के बीच कुछ विवाद हो गया था जब एक यथा समुदाय का लड़का चप्पल पहन कर उस गली से चला गया था जहां नागरा समुदाय के लोग एक विवाहोत्सव में भोजन कर रहे थे । रिपोर्ट मिली है कि मामले का समाधान सद्भाव पूर्ण ढंग से हो गया था ।

मनोरंजन-कर की जाली टिकटें बनाने और बेचने वाले गिरोह

4087. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन कर की जाली टिकट बनाने और बेचने वाले गिरोह का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां ।

(ख) पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 255/256/257/258/259 और 120-ख के अधीन मामला एफ०आई०आर०सं० 687 दिनांक 21 जुलाई, 1972 करौलबाग पुलिस थाने में दर्ज किया गया है । 97,574.40 रुपये के मूल्य के मनोरंजन कर की 108416 जाली टिकटें बरामद की गई । इन जाली टिकटों के निर्माण के लिए प्रयोग लाये जाने वाली फिल्म, ट्रेसपेपर, फिल्म, प्लेट और विलपिंग्स भी बरामद किये गये । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

पूर्वोत्तर डाक-तार सर्किल में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

4088. **श्री झारखंडे राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर डाक-तार सर्किल में टेलीफोन बिलों की 1.27 करोड़ रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) क्या अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं में बहुत से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभाग हैं ;

(ग) इन विभागों की ओर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) 1.6 72 को बही में बकाया की राशि 1,29,17,000 रुपये है । तथापि उस तारीख को तीन महीने से ज्यादा से बकाया राशि 80,75,000 रुपये थी ।

(ख) जी हाँ ।

(ग)	राज्य सरकारों के विभाग	19,83,000 रुपये
	केन्द्रीय सरकार के विभाग	28,33,000 रुपये

(घ) छूट वाले वर्ग के टेलीफोनों को छोड़कर अदायगी न करने वाले अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन काट दिए जाते हैं । तथापि बकाया राशि की वसूली के लिए पत्र-व्यवहार और व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके भी प्रयत्न किए जाते हैं । जिन गैर सरकारी टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन काट दिए जाते हैं, उनके मामलों में, जहां-कहीं आवश्यक हो, कानूनी कार्यवाई भी की जाती है ।

देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की विधि

4089. **श्री झारखंडे राय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए कोई स्वीकार्य विधि नहीं निकाली गई है और बेरोजगारी तथा आंशिक रूप से बेरोजगार लोगों की संख्या के बारे में अब भी भ्रम है; और

(ख) यदि हां, तो देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए कोई उचित विधि निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : योजना आयोग के आरम्भ में पहले से चली आ रही बेरोजगारी, योजना अवधि में श्रम शक्ति में होने वाली वृद्धि और योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले संभावित अतिरिक्त रोजगारों के सम्बन्ध में अनुमान तैयार किया करता था। क्योंकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और आंशिक रोजगारी की उचित परिभाषा तथा उसे नापने के लिए उपयुक्त मापदण्ड के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद था तथा उपलब्ध आंकड़ों, जैसे कि जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा रोजगार कार्यालयों से काम चाहने वालों के संबंध में एकत्रित किए गए आंकड़ों, के आधार पर तयार की गयी बेरोजगारी की मात्रा के संबंध में व्यापक मतभेदों को देखते हुए योजना आयोग ने बेरोजगारी का अनुमान और रोजगार उत्पन्न करने के संबंध में अपनाई जाने वाली विधि पर परामर्श देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने मार्च 1970 को अपनी रिपोर्ट योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी, जिसमें उसने टिप्पणी की थी कि :—

(1) विकसित अर्थव्यवस्था में अपनाये जाने वाले श्रम-शक्ति और मानव वर्षों के रूप में नापे जाने वाले बेरोजगार और आंशिक रोजगार के विचार हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त हैं क्योंकि यहाँ स्वनियोजन और घरेलू उद्यमों में उत्पादन करने का प्रभुत्व है।

(2) एक आयामात्मक मात्रा में प्रस्तुत किये गये बेरोजगारी और आंशिक रोजगार के अनुमान, आर्थिक स्थिति के रूप में, न तो अर्थपूर्ण हैं और न उपयोगी ही हैं।

(3) महत्त्वपूर्ण विशिष्ट गुणों, जैसे कि क्षेत्र, ग्रामीण-शहरी आवास, कामगर का स्तर, शैक्षणिक ज्ञान, आयु और लिंग, को ध्यान में रखते हुए श्रम-शक्ति के विभिन्न अंशों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए अध्ययन किये जाने चाहिए; तथा

(4) विभिन्न ऐजेन्सियों, जैसे कि जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और रोजगार कार्यालयों द्वारा आंकड़ों को एकत्र तथा प्रस्तुतीकरण के काम में विभिन्न सुधार किये जाने चाहिए।

समिति द्वारा दिए गए सुझावों की जांच रोजगार और जनशक्ति के काम में लगी विभिन्न ऐजेंसियों के साथ परामर्श करके की गई थी और आंकड़े संग्रहीत करने वाली ऐजेंसियों द्वारा कुछ सुझावों को क्रियान्वित भी कर दिया है।

उपर्युक्त सुझाव (3) के अनुसरण में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 27वें चक्र में अक्तूबर 1972 में एक विस्तृत श्रमशक्ति सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगार और आंशिक रोजगार के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करना है। चुने हुए परिवार के सभी सदस्यों की रोजगार की स्थिति का, पूर्ववर्ती सप्ताह के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में, विस्तृत ब्यौरा प्राप्त करने के लिए पूछताछ भी की जायेगी।

चुने हुए परिवारों के काम करने वाले प्रत्येक सदस्य से उनके द्वारा सप्ताह में विभिन्न गतिविधियों पर बाँटे गये समय का ब्यौरा प्राप्त किया जायेगा। ऐसा करने से देश में व्याप्त बेरोजगारी की अलग-अलग स्थितियों का अध्ययन करना संभव हो सकेगा। सर्वेक्षण के दौरान परिवारों के आधार-भूत गुणों, जैसे उद्योग, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर, कुशलता, वेतन और मजदूरी तथा दूर स्थित जगहों पर काम करने की सहमति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जायेगी, ताकि इन तत्त्वों को रोजगार की गहनता से सम्बद्ध किया जा सके।

Radio Stations For M. P. and Bihar Tribal Area

4090. Shri M. S. Purty :

Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration any proposal on the basis of which the tribal areas in the backward States, such as, Madhya Pradesh and Bihar may be developed by setting up radio stations there ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) :

(a) Yes, Sir ;

(b) During the current Five Year Plan period, it is proposed to implement the following schemes to augment broadcast service to tribal areas of Madhya Pradesh and Bihar :

(i) Setting up new Stations at Jagdalpur, Ambikapur, Chhatarpur und Rewa in Madhya Pradesh.

(ii) Upgrading the power of existing transmitter and construction of permanent studios at Ranchi in Bihar;

Parties Whose Members were Arrested Under D.I.R. After Indo. Pak War

4091. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the name of the parties whose members have been arrested in each State under the Defence of India Rules after Indo-Pak war ;

(b) whether some persons are still under detention under the Defence of India Rules ; and

(c) if so, the number thereof ; State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H.Mohsin):

(a) According to information received from the State Governments/Union Territory Administrations, no member of any political party have been arrested under the Defence of India Rules, 1971 in Mysore, Maharashtra, Haryana, Manipur, Punjab, Chandigarh, Arunachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island, Laccadives Minicoy and Amindivi Islands. Information in respect of the remaining States/Union Territories is awaited.

(b) and (c) : The number of persons still in custody under the provisions of the provisions of the Defence of India Rules 1971 is being furnished in answer to the Lok Sabba unstarred question No. 4059, being answered on the 30th August, 1972.

श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का सुझाव

4092. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० आर० डी० टाटा ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों में कुछ परिवर्तन करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : श्री टाटा का ज्ञापन, जिसमें औद्योगिक विकास की वर्तमान समस्याओं की समीक्षा की गई है और उसमें तीव्रता लाने के लिये उनके सुझाव दिये गये हैं, मन्त्रालय में हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

Task Force for Integrated Rural Development Project

4093. **Shri Shrikrishan Agarwal :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has set up any task force to report in regard to the Integrated Rural Development Project; and

(b) if so, the time by which the report of the task force is likely to be received?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Task Force will be submitting an interim report by the end of this month. It expects to submit the final Report by the end of the year.

भारत और नेपाल के बीच टैलेक्स सेवा

4094. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और नेपाल के बीच सीधा टैलेक्स सम्बन्ध स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के उन नगरों के नाम क्या हैं जिनमें काठमांडू से सीधा टेलीफोन और टेलीग्राफ सम्पर्क होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (क) जी हाँ ।

(ख) नया टैलेक्स सम्पर्क काठमांडू और बम्बई के बीच कार्य करता है और मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय परियात के लिए टैलेक्स, टेलीफोन और तार सुविधाएं प्रदान करता है । भारत में उन शहरों के नाम, जिनके साथ काठमाण्डू का सीधे टेलीफोन/तार सम्पर्क पहले से ही मौजूद है, इस प्रकार हैं :—

(i) टेलीफोन सम्पर्क——कलकत्ता, दिल्ली, पटना और बम्बई ।

(ii) तार सम्पर्क ——दिल्ली और पटना ।

दिल्ली और उसके निकटवर्ती नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4095. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हरियाना, पंजाब और राजस्थान राज्यों में दिल्ली के निकटवर्ती नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हाँ, तो उन नगरों के नाम क्या हैं जिन में यह सुविधा दी जाएगी; और

(ग) इन नगरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : निम्नलिखित शहरों का दिल्ली से सीधी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) से संबंध जोड़ने की योजनाएं बनाई गई हैं । इन पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है :—

गुड़गांव
सोनीपत
रोहतक
करनाल
पानीपत
हिसार
अलवर

(ग) आशा है कि गुड़गांव और सोनीपत का दिल्ली के साथ 1973-74 में एस० टी० डी० से संबंध जोड़ दिया जाएगा । अन्य मार्गों को अगली योजना में धीरे-धीरे चालू किए जाने की संभावना है ।

नासा द्वारा अन्तरिक्ष प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए चुने गए भारतीय वैज्ञानिक

4096. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अंतरिक्ष ऐजेंसी (नासा) ने अन्तरिक्ष प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण में कितने भारतीय वैज्ञानिक भाग लेंगे;

(ग) क्या ये वैज्ञानिक अहमदाबाद स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन आई० एस० आर० ओ० में कार्य करेंगे अथवा अमरीका जायेंगे ; और

(घ) भारत में अनुसंधान कार्य पर होने वाले व्यय तथा 'नासा' को जानकारी देने पर होने वाले व्यय को कौन वहन करेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : अन्तरिक्ष प्रयोगशाला की सहायता से किए जाने वाले परीक्षणों में भारतीत वैज्ञानिकों द्वारा भाग लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जर्मनी और वीनस में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत का भाग लेना

4097. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी और वीनस में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत भाग ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी, और उन का चुनाव करने का मानदण्ड क्या है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में भारत में भी ऐसे समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हां । मन्नहीम फिल्म सप्ताह तथा इन्टर्नेशनल एग्जीबीशन आफ सिनेमाटोग्राफिक आर्ट, वीनस में प्रविष्ट की गई फिल्में इस प्रकार हैं :—

मन्नहीम	**वीनस**
(9 अक्तूबर से 14 अक्तूबर, 1972 तक)	(21 अगस्त से 3 सितम्बर, 1972 तक)
फीचर फिल्में :	**फीचर फिल्में** :
1. वंश वृक्ष	1. कलकत्ता-71
2. फिर भी	2. बदनाम बस्ती
	3. शांतता: कोर्ट चालू आहे
	4. संस्कार

वृत्त चित्र :

1. क्रिएशन्स इन मैटल्ज
2. मयूर—अवर नेशनल बर्ड

वृत्ति चित्र :

1. मयूर—अवर नेशनल बर्ड
2. नाइन मन्थ्ज टू फ्रीडम

फिल्मों के चयन की कसौटी प्रत्येक फिल्म समारोह की आवश्यकता जो उसके विनियमों में दी गई होती है तथा फिल्मों की उपयुक्तता होती है जिसका निर्णय सरकार द्वारा एतदर्थ गठित सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है।

(ग) तथा (घ) : भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है। तथापि, मामला अभी विचारधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर की क्षमता का उपयोग

4098. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत आफ्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर की निर्धारित क्षमता क्या है ;

(ख) इस समय उक्त कारखाने की कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) कारखाने की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : संयत्र की निर्धारित क्षमता 300 मी० टन (तीन पालियों में) आफ्थेल्मिक ग्लास प्रति वर्ष है। वर्तमान उत्पादन करीब 5 मी० टन प्रति माह है। यह निर्धारित क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत होता है। इसकी क्षमता का कम उपयोग होने का प्रमुख कारण गंभीर श्रमिक अशान्ति है। क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। श्रमिकों के साथ विशद मजदूरी समझौता हो गया है। अधिक उत्पादन के लिये श्रमिकों को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन योजना पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है।

आकाशवाणी, नई दिल्ली से प्रसारित किए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों का सम्पादन

4099. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1972 के "स्टेट्समैन" में "स्पीकिंग फ्रीली, विद प्रायर एप्रूवल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित श्री एच० वी० कामथ के पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र उन के अपने विचार रिकार्ड करने पर और उन के भाषण को 'सम्पादन या फेर बदल' किये बिना प्रसारित करने पर सहमत नहीं हुआ ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार के सभी भाषणों का सम्पादन किया जाता है ; और

(घ) घटना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 'ट्राइस्ट विद डैस्टिनी' नाम एक फीचर के लिए एक इन्टरब्यू को रिकार्ड करने के लिये श्री एच० वी० कामथ से सम्पर्क स्थापित किया गया था । श्री कामथ ने रिकार्डिंग करने की इस शर्त पर सहमति प्रकट की थी कि उनके भाषण को प्रसारण से पूर्व सम्पादित किया जाय । तथापि, इसको स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि श्री कामथ का भाषण 28 मिनट की अवधि के फीचर में रिकार्ड किए जाने वाले लगभग 30 भाषणों में से एक था । उपलब्ध सीमित समय के कारण तथा कार्यक्रम में एकरूपता रखने के लिये, इस प्रकार की सभी रिकार्डिंगों का सम्पादन करना पड़ा था ।

नवयुवकों और छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास करने सम्बन्धी योजना

4100. **श्री समर गुह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवयुवकों और छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोई योजना तैयार की है, और

(ख) आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए प्रस्तावित धाराशि सम्बन्धीं सामान्य सिद्धान्त क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) नहीं, श्रीमान जी । परन्तु शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व, 1963 में विज्ञान में उन्नतिशील विद्यार्थियों के एक वर्ग के अभिज्ञान के लिए और उनको मूल विज्ञान में उच्चतर अध्ययन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय गवेषण योजना का निर्माण किया था । यह योजना सबसे पहले 1963 में एक प्रायोगिक संयंत्र के रूप में दिल्ली क्षेत्र में प्रयोग में लाई गई थी तत्पश्चात 1964 में इसका विस्तार सारे देश में किया गया था । उस समय से प्रतिवर्ष एक उपयुक्त संख्या में छात्रों को (अधिकतम 350) छात्रवृत्ति देने के लिए समालाप और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है । चयन किए गए छात्रों को पहले तीन वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है जो कि बी०एस०सी० तक होती है, इसके पश्चात यदि वे बी०एस० सी० में प्रथम श्रेणी प्राप्त करें तो एम०एस०सी० के लिए दो वर्ष तक, इसके उपरान्त यदि वे एम०एस०सी० में उत्तम श्रेणी प्राप्त करें तो 3 वर्ष तक पी०एच०डी० के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है । लगभग 10 छात्रवृत्तियां ऐसे छात्रों को दी जाती हैं जो गणित का अध्ययन करते हैं अथवा जो गणित में असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हैं । इस योजना में प्रतिवर्ष औसत व्यय 34 लाख है : 25 लाख (अ-योजना) और 9 लाख (योजना) ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना का विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवयव बनाया जा रहा है तथा आयोजित व्यय का निर्धारण किया जा रहा है ।

प्रेस परिषद द्वारा समाचार पत्र के विज्ञापनों की सूक्ष्म जांच

4101. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में अभी हाल में प्रकाशित अनेक अशिष्टतापूर्ण विज्ञापनों की प्रेस परिषद ने सूक्ष्म जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सूक्ष्म जांच की विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में प्रेस परिषद् ने क्या विचार व्यक्त किये हैं; और

(घ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां। प्रेस परिषद् ने अश्लील तथा अभद्र चित्रों के छापने के बारे में कई समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विरूद्ध साइन फिल्म रिफार्म एसोसियेशन आफ इंडिया, कलकत्ता से प्राप्त नौ शिकायतों पर हाल ही में निर्णय दिया था।

(ख) तथा (ग) : परिषद् ने कुछ समाचार पत्रों अर्थात् "स्टेटसमैन" "अमृत बाजार पत्रिका" तथा "धर्मयुग" तथा "विश्वमित्र" में छपे कुछ वस्तुओं के विज्ञापनों, जिनके साथ स्त्रियों के चित्र भी थे और जिनके बारे में सेक्स का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था, में कोई बात आपत्तिजनक नहीं पाई और सभी शिकायतों को पूर्ण निराधार पाते हुए रद्द कर दिया। इस प्रकार के विज्ञापनों पर टिप्पणी करते हुए परिषद् ने कहा था, "यदि इन चित्रों से सेक्स उत्तेजना होती है, तो निश्चित ही यह पाठक की असमान्य तथा विकृत अवस्था का मामला होना चाहिए ना कि स्वयं चित्रों में कुछ होने का। इनको कामुक कहते हुये शिकायतकर्त्ता के मन में जरूर वे लोग होंगे जिन्होंने उत्तेजित होने का निश्चय कर रखा है और वे ऐसा करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते हैं।"

तथापि परिषद् ने यह निर्णय दिया कि दो चित्रों, एक सिडनी बार में एक नौकरानी का तथा दूसरा "होम कम्फर्ट्स" नामक चित्र, जो ब्लिट्स, बम्बई के दिसम्बर, 1971 तथा जनवरी, 1972 के अंको में छपे थे, का कोई प्रयोजन नहीं है तथा उनको ब्लिट्स, जो एक महत्त्वपूर्ण पत्र है, द्वारा आसानी से छोड़ा जा सकता था।

साइन एडवान्स इन्टरनैशनल में छपे चित्रों, जिनको शिकायतकर्त्ता ने भारतीय स्त्री की शालीनता के प्रतिकूल बताया था, के बारे में परिषद् ने यह कहा कि "यह सर्वविदित है कि यह पत्रिका सिने संसार से सम्बन्धित है तथा इसमें सिनेमाघरों में प्रदर्शित फिल्मों के चित्र छपते हैं।" पत्रिका के स्वरूप को देखते हुए परिषद् ने इन चित्रों में से किसी को भी अश्लील या सार्वजनिक रुचि के स्तरों से गिरा नहीं समझा।

(ग) प्रेस परिषद् के विचार नोट कर लिए गए हैं।

समाचारपत्रों के एकाधिकार के बारे में विधान

4102. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों को नियन्त्रित करने वाले कुछ उद्योग गृहों ने, समाचारपत्रों के एकाधिकार पर रोक लगाने सम्बन्धी विधान को न लाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ,

(ख) यदि हाँ, तो उन उद्योग गृहों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

यनाइटिड न्यूज आफ इंडिया के कर्मचारियों का मांग पत्र

4103. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया' के कर्मचारियों ने सरकार को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का व्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं, परन्तु हाल ही में दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली न्यूजपेपर्स एम्पलाईज फैडरेशन, पी. टी. आई. एम्पलाईज यूनियन, दिल्ली तथा यू. एन. आई. एम्पलाईज यूनियन, दिल्ली द्वारा सामूहिक रूप से दो ज्ञापन प्रधानमन्त्री को दिये गये थे।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पांचवी योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विपक्षी दलों के साथ परामर्श

4104. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना की मुख्य रूपरेखा को अन्तिम रूप देने से पूर्व सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से परामर्श किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई बैठक निश्चित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : विगत वर्षों की भांति आयोजन पर संसद सदस्यों की समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इस समिति में विरोधी राजनीतिक दलों को भी यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा। गठित करने के बाद समिति की बैठक बुलाई जायेगी। पांचवीं योजना का दृष्टिकोण सम्बन्धी दस्तावेज जारी होने के बाद और

प्रारूप की रूपरेखा को अन्तिम रूप देने से पहले का समय समिति की बैठक बुलाने का उपयुक्त समय प्रतीत होता है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मुद्रणालय का निर्माण

4105. **श्री मुहम्मद शरीफ़:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने मुद्रणालय की मशीनें बनाना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या हाल ही में कोचीन की एक फर्म को कोई मशीन बेची गई है; यदि हां, तो उसका मूल्य कितना है; और

(ग) कलमसरी यूनिट (केरल) में मुद्रणालय की मशीनें बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो॰ सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) एर्नाकुलम (केरल) में एक मुद्रण मशीन एक कम्पनी को 84,600 रुपये (कारखाने से निकलते समय का मूल्य) में बेची गई है।

(ग) 1972-73 वर्ष में कम्पनी का करीब 53 लाख रुपये मूल्य की कागज काटने वाली और आटोमेटिक सिलिण्डर लेटर प्रेस मशीनें तैयार करने का कार्यक्रम है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार और उनका शोषण

4106. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर कई प्रकार अत्याचार किये जा रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीधे नियंत्रण, अच्छे प्रबन्ध और शीघ्र सुधार के लिए समाज कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन लाया जाना आवश्यक समझा जाता है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं।

(ख): गृह मंत्रालय ऐसी घटनाओं के घटने को चिन्ता की दृष्टि से देखता है तथा इस संबंध में अब भी राज्य सरकारों से सतत सम्पर्क बनाये हुए है। गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय एकता प्रभाग को, जिसकी संरचना प्रधान मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के उत्तर के दौरान घोषित की गई थी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्रभावित करने वाली सामान्य समस्याओं के साथ ही हरिजनों के विरुद्ध हिंसा के कारण उत्पन्न समस्याओं समेत अनुसूचित जातियों की शिकायतों पर कार्यवाही करनी पड़ती है। किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया कार्य गृह मंत्रालय को हस्तान्तरित किया जाय।

स्कूटर उत्पादन का विस्तार

4107. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटोमोबाइल प्राडक्ट आफ इण्डिया तथा बजाज आटो द्वारा स्कूटर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दिये गये प्रार्थनापत्रों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) दोनों आवेदन-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाना

4108. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने इस वर्ष में योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। चालू वर्ष में योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु उपायों की अनेक राज्यों ने घोषणा कर दी है।

(ख) घोषित उपायों का बिक्री कर के पुनरीक्षण, भूराजस्व, मोटर गाड़ी कर, यात्री और सामान पर कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, टिकट शुल्क, सिंचाई कर, बिजली कर तथा शुल्क आदि से सम्बन्ध है।

पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद के बारे में पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

4109. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा हाल में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कोई सीमा विवाद नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की विशेषकर ऐसी स्थिति में इस वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया है जबकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा विवाद को सुलझाने के लिए नये सीमा आयोग की माँग कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ़०एच०मोहसिन) :(क)सरकार ने इन मामलों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की कुछ उक्तियों की प्रैस रिपोर्टें देखी हैं। पंजाब सरकार ने, जिनसे सलाह की गई थी, स्पष्ट किया है कि मुख्य मंत्री ने कहा था कि तीन पड़ौसी राज्यों के बीच, जहां एक ही दल सत्ता में है, कोई विवाद नहीं है किन्तु यह सीमा विवाद के संदर्भ में नहीं कहा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक खण्डों में सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था

4110. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्री में सामुदायिक विकास खण्डों के मुख्यालयों को सार्वजनिक टेलीफोन देकर सब-डिवीजनल मुख्यालयों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य सम्भवतः किस तिथि तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं, इस तरह का कोई ग्राम प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि यदि पी०सी०ओ० खोलना लाभकर हो और उन का औचित्य हो, तो यह सुविधा दी जा सकती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में भूमि की बिक्री अथवा हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध

4111. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली भूमि (हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 30, 1972 के अनुसार ऐसी भूमि की बिक्री अथवा उसके हस्तान्तरण पर 15 जून, 1972 से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसका केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया था;

(ख) क्या अधिग्रहीत प्लाटों का रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई, 1972 तक किया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के सब रजिस्ट्रार अथवा इस त्रुटि के लिये जिम्मेदार किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : मामले की जांच की जा रही है।

सफलतापूर्वक छोड़े गये राकेटों की पुनः प्राप्ति

4112. **श्री सतपाल कपूर** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफलता पूर्वक छोड़े गये कितने राकेटों को पुनः प्राप्त किया गया; और

(ख) परीक्षण के लिये मेढक अथवा किसी अन्य जीव को राकेट में रखकर कब तक भेजा जाएगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दरा गांधी) : (क) कोई नहीं। राकेट छोड़ने के पश्चात् उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की जाती क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं होती।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योग

4113. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के बारे में 26अप्रेल,1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योग स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकारी क्षेत्र के कार्य का विस्तार करने के निर्णय के अनुसार तथा नए क्षेत्रों में इसका विस्तार करने जिसमें वे उपभोक्ता उद्योग शामिल हैं जिनके उत्पादन में काफी अन्तर बढ़ जाने की संभावना है, सरकार निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण करने के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करती आ रही है:—

(१) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एण्ड एनोड्स ;
(२) बल्ब तथा बल्ब बनाने की मशीनें ;
(३) टार्चलाइट तथा ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल के लिये ड्राई सेल ;
(४) स्टोरेज बैटरियां ;
(५) टायर तथा ट्यूबें ।

व्यावहारिक तौर पर सभी प्रस्तावों के बारे में प्रारम्भिक संभाव्य अध्ययन पूरे कर लिये गए हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों और एनाडों के मामले में संयुक्त क्षेत्र में एकक स्थापित करने की संभावना का अब पता लगाया जा रहा है। जहां तक बल्ब बनाने की मशीन परियोजना का सम्बन्ध है हैदराबाद के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स यूनिट, में एक सहायक एकक के रूप में इसकी स्थापना करने के प्रश्न पर आगे कार्रवाई की जा रही है। ड्राई सेलों, स्टोरेज बैटरियों तथा टायरों और ट्यूबों के बारे में प्राप्त प्रारम्भिक संभाव्यता रिपोर्ट विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

समाचार पत्रों के स्वामित्व के प्रसार के बारे में मन्त्रालयी समिति की सिफारिशें

4114. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्रों के स्वामित्व के प्रसार के बारे में मन्त्रालयी समिति की सिफारिशों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् की अवधि के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

4115. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की अवधि के टेलीफोन बिलों की भारी बकाया राशि को वसूल नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) आजादी से पहले की अवधि से संबंधित टेलीफोन बिलों की कोई रकम वसूली के लिए बकाया नहीं है। किन्तु तारीख 1-4-1972 को टेलीफोन बिलों की 6 करोड़ 6 लाख 14 हजार की रकम वसूली के लिए बकाया है। यह रकम उन टेलीफोन बिलों से संबंधित है जो 31-12-71 तक पिछले कई वर्षों में जारी किए गए हैं।

(ख) डाक-तार विभाग उपभोक्ताओं को उधार खाते पर टेलीफोन सेवा देता है। यह उधार खाता इस रूप में है कि विभाग उपभोक्ताओं से कालों की रकम की पूर्व अदायगी कराये बगैर उन्हें स्थानीय और ट्रंक कालें करने की अनुमति देता है। इन कालों की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है। इसलिए ऐसे विभाग में जहाँ कालें हों जाने के बाद उनके बिल बनाने की पद्धति हो और जहां 1970-71 में 124 करोड़ रुपये के बिल बने हों, वहां कुछ रकम बकाया हो जाना अपरिहार्य है। तथापि बकाया रकम की वसूली के लिए छूट वाले वर्ग के टेलीफोनों को छोड़ कर उन टेलोफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाते हैं, जिनके नाम टेलीफोन बिलों की रकम बकाया होती है। लिखा-पढ़ी और व्यक्तिगत सम्पर्क के जरिए भी बकाया रकम वसूल करने के प्रयत्न किए जाते हैं। प्राइवेट उपभोक्ताओं के मामले में, जिनके टेलीफोन कने शन बन्द कर दिए जाते हैं, यदि जरूरी होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई भी की जाती है।

योजना आयोग के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में असफल रहने के बारे में डा० के० एन० राज द्वारा दिया गया वक्तव्य

4116. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध संसाधनों का समूचित उपयोग सुनिश्चित करने में योजना आयोग के असफल रहने के बारे में डा० के० एन० राज द्वारा व्यक्त विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) सोमवार, 24 जुलाई, 1972 को बम्बई में महाराष्ट्र वाणिज्य संघ के सामने तेरहवाँ वालचन्द स्मारक भाषण देते हुए डा० के० एन० राज ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह उनके अपने विचार हैं और सरकार की इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

उपग्रह संचार के माध्यम से शिक्षाप्रद टेलीविजन कार्यक्रम

4117. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** :

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :—

(क) उपग्रह संचार के माध्यम से, जिसे 1974 में आरम्भ किया जा रहा है, शिक्षाप्रद टेलीविजन कार्यक्रमों से कौन-कौन से क्षेत्रों और कितने गाँवों को लाभ होगा; और

(ख) क्या यह उपग्रह संचार व्यवस्था वर्षा ऋतु में भी काम करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1974-75 के उपग्रह निदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग के अन्तर्गत आने वाले कुल 5000 ग्रामों में से, 3000 ग्राम कन्वैन्शनल वी. सच. एफ. टेलीविजन ट्रांसमिटरों, जो उपग्रह के शुरू होने तक चालू हो जायेंगे, की सेवा रेन्ज के अन्दर होंगे। शेष 2000 ग्रामों को 6 समूहों में उपग्रह से सीधे रिसैप्शन के लिए वर्धित सामुदायिक टेलीविजन सैट उपलब्ध किए जायेंगे।

(ख) जी, हां।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए अपेक्षित जनशक्ति

4118. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारे तत्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तरिक्ष कार्यक्रम और विशेष रूप से प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए आगामी दस वर्षों में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा संचार मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्तरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित जनशक्ति का अनुमान लगाने का काम आगामी दस वर्षों के कार्यक्रमों का निर्धारण होने के बाद शुरू किया जा सकता है। ये कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

एटमी संसाधनों से बिजली उत्पन्न करने के लक्ष्य में कमी करना

4119. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एटमी संसाधनों से बिजली उत्पन्न करने के लिये 2700 मैगावाट के निर्धारित लक्ष्य में कमी कर दी गयी है और 500 मैगावाट क्षमता वाली रिऐक्टर निर्माण परियोजना का त्याग कर दिया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1984 तक परमाणु ऊर्जा की सहायता से 2700 मैगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा करने की योजना है। तब तक 500 मैगावाट क्षमता का एक रिऐक्टर भी स्थापित करने की योजना है।

(ख) 1970-80 के दशाब्द के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास से सम्बन्धित रूप रेखा के तैयार किये जाने के बाद उत्पन्न हुए कुछ कारणों से कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है ।

राकेट प्रणोदकों (प्रोपेलेंट) में आत्मनिर्भरता

4120. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राकेट प्रणोदकों (प्रापेलेंट) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) प्रणोदकों की लिक्विड हाईब्रिड प्रणाली का विकास करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ठोस प्रणोदकों के निर्माण एवं विकास करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है । इस प्रगति का ब्यौरा परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है, जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में है ।

(ख) प्रणोदकों की लिक्विड-हाईब्रिड प्रणाली पर हमने अभी कोई काम नहीं किया है ।

पंजाब टेलीफोन निर्देशिका

4121. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब टेलीफोन निर्देशिका के हिन्दी अनुवाद के लिए जिन अनुवाद अभिकरणों ने आवेदन किया था उनके नाम और उनका पिछला अनुभव क्या था और उनमें से कौन-कौन सी पंजीकृत थीं और कौन-कौन सी गैर पंजीकृत थीं;

(ख) क्या डाक-तार विभाग में सेवारत व्यक्तियों ने, जिनकी अर्हताएं उन व्यक्तियों के बराबर थीं जिन्हें अन्तः अनुवाद-कार्य दिया गया था, अनुवाद-कार्य के लिए आवेदन किया था और उन्हें कार्य नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पंजाब टेलीफोन डायरेक्टरी का हिन्दी अनुवाद करने के लिए जिन अनुवाद एजेंसियों ने आवेदन किया था उनके नाम इस प्रकार हैं : —

(1) अनुवाद संस्थान,
बी-2/149, सफदरजंग इंक्लेव, नई दिल्ली ।

(2) डा० जय भगवान गोयल, रीडर, पंजाब विश्वविद्यालय, अध्यक्ष, हरयाणा हिन्दी साहित्य परिषद, 27-एल०, माडल टाउन, रोहतक ।

तथापि डाक-तार विभाग ने इस काम के लिए नीचे दी गई दो एजेंसियों से भी संपर्क किया था :—

(3) दिल्ली प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन,
20, थियेटर कम्यूनीकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

(4) नागरी प्रचारिणी सभा,
42, अशोक रोड, नई दिल्ली ।

डाक-तार विभाग को यह जानकारी नहीं है कि ये पंजीकृत हैं या नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Charges of Corruption Against I. A. S. and I. P. S. Officers

4122. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of I. A. S. and I. P. S. Officers against whom cases of corruption have come to light during the last two years ;

(b) whether any officer out of them has been suspended after the charges of corruption against him were proved ; and

(c) if so, their number, Statewise, and the charges against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अधिकारियों का बड़ी-बड़ी कम्पनियों में नौकरियां पाना

4123. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक आई० सी० एस० अधिकारियों ने सेवा निवृत्ति के बाद बड़ी-बड़ी कम्पनियों और व्यापार-गृहों में नौकरियां कर ली हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उन्हें उन बड़े व्यापार-गृहों में नौकरियां मिली हैं जिनके साथ उनके सरकारी सेवा काल में सम्बन्ध रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी उन अधिकारियों के सहित जो, ऐसे अधिकारी होने के पूर्व आई० सी० एस० के अधिकारी थे, उन्हें नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है, यदि ऐसा रोजगार सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पूरे होने के बाद लिया जाये । 1 नवम्बर, 1969 से आज तक की अवधि के दौरान, केवल चार अधिकारी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, आई० सी० एस० के अधिकारी रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति की दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों, उन अधिकारियों सहित, को अनुमति प्रा की जाती है जो ऐसे अधिकारी होने के पूर्व आई० सी० एस० अधिकारी थे, केवल ऐसी स्थिति में यदि सरकार संतुष्ट हो जाए कि सेवा में रहते हुए अधिकारी/पेंशन लेने वाला अधिकारी प्रस्तावित नियोक्ता से ऐसे सम्बन्ध नहीं रखता था, जिससे संदेह प्रकट हो कि उसने बाद वाले के प्रति पक्षपात किया है।

तारापुर आणविक बिजलीघर में खराबी के कारण उपभोक्ताओं को हुई हानि

4124. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्राम्बे परमाणु बिजलीघर में आंशिक खराबी के कारण उपभोक्ताओं को कितनी हानि हुई ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तारापुर परमाणु बिजलीघर से पैदा होने वाली बिजली महाराष्ट्र तथा गुजरात की आपस में जुड़ी हुई ग्रिड प्रणाली को सप्लाई की जाती है। बिजली की सप्लाई में कमी होना, ग्रिड को बिजली सप्लाई करने वाले सभी बिजलीघरों के संचालन का सम्मिलित परिणाम होता है। इसलिए यह निर्धारित करना सम्भव नहीं होगा कि ग्रिड में किसी विशेष बिजलीघर के खराब होने से उपभोक्ताओं को कितनी हानि हुई है।

TV Stations in Bihar

4125. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state when and where Television would be set up in Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):

The establishment of a TV Station in Bihar will be considered at the time of formulating our proposals for the Fifth Five Year Plan.

नरेला के कुछ प्लाट रजिस्टर करने से सब-रजिस्ट्रार का कथित इन्कार

4126. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सब-रजिस्ट्रार, दिल्ली ने किसी न किसी बहाने नरेला के कुछ प्लाटों को 8 मई, 1972 को रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया गया था जबकि उसी 'खसरा' का रजिस्ट्रीकरण कुछ अन्य पार्टियों के नाम कर दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस पक्षपात के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले कि जांच करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) : रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार संबंधित सब-रजिस्ट्रार ने नरेला में स्थित प्लाटों के सम्बन्ध में दिनांक 8-5-1972 को इन्कार नहीं किया था यद्यपि उक्त तिथि को उसी क्षेत्र में प्लाटों के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने के लिए 10 दस्तावेज प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को अधिकार में लेना

4127. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय सांख्यिकीय संस्धान के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को इस बीच अधिकार में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के राष्ट्रय नमूना सर्वेक्षण विभाग को अधिकार में लेने का निर्णय 5 मार्च, 1970 को किया गया था और उक्त निर्णय को कार्यान्वित किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते समय संगीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों के लिये बांड

4128. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते समय इस आशय के एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि किसी दुर्घटना से उन्हें वैयक्तिक चोट पहुँचने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में, या उनके सम्बन्धी सरकार से कोई मुआवजे का दावा नहीं कर सकेंगे;

(ख) क्या उक्त बाण्ड पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर कुछ आर्टिस्टों को मुअत्तिल कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार मुअत्तिल किये गये आर्टिस्टों की संख्या कितनी है और सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते समय जख्मी होने या मरने वालों की संख्या कितनी थी और क्या ऐसे व्यक्तियों को या उनके सम्बन्धियों को मुआवजा दिया गया; और

(घ) क्या वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : सशस्त्र सेना विनियमों के अन्तर्गत, सेना वाहनों द्वारा यात्रियों के रूप में ले जाये जाने वाले असैनिकों को बाण्डों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जिनमें यह वचन देना पड़ता है कि वे सरकार से किसी मुआवजा का दावा या मांग नहीं करेंगे, सिवाए उसके जो किसी अधिनियम या उन पर लागू सांविधिक या अन्य नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य हो । गीत और नाटक प्रभाग के सेना मनोरंजन स्कन्ध के आर्टिस्टों जिनको

निकटतम रेल स्टेशन से सेना द्वारा उपलब्ध किए गए वाहनों के द्वारा मनोरंजन स्थल तक यात्रा करनी पड़ती है को इस प्रकार के बान्डों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं ।

(ख) तथा (ग) : दस आर्टिस्टों जिन्होंने गीत और नाटक प्रभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए आश्वासन और स्पष्टीकरण के बावजूद भी बान्ड पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था, को जिस कार्य के लिए उनको रखा गया था, उसके उचित दायित्वों को पूरा न करने के आरोप में निलम्बित किया गया था ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्रों की यात्राओं के दौरान मृत्यु का कोई मामला नहीं हुआ है । तीन दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें कुल 13 आर्टिस्टों को मामूली चोटें आई थीं । किसी भी मामले में कोई मुआवजा नहीं मांगा गया और न ही दिया गया ।

(घ) सी० सी० एस० (एक्सट्रा आर्डीनरी पेंसन) रूल्ज, जो उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनकी, कर्त्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु हो जाती है या जिनको वैयक्तिक चोट पहुँचती है, 26 जुलाई, 1972 से गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों पर भी लागू कर दिए गए हैं । इस बारे में आगे और कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

संगीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ़ आर्टिस्टों की सेवा की अवधि

4129. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबकि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के सेवा का कार्यकाल बढ़ाकर 55 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है, गीत और नाटक विभाग के स्टाफ कलाकारों को यह लाभ नहीं दिये गये हैं;

(ख) दोनों प्रभागों की सेवा शर्तों में क्या अन्तर है;

(ग) क्या गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों की सेवाएं समाप्त किये जाने पर अथवा उनका करार समाप्त होने पर उन्हें किसी प्रकार की पेंशन अथवा उपदान दिया जाता है; और

(घ) सेवा शर्तों में दो विभिन्न मानदण्ड अपनाने के क्या कारण हैं और आकाशवाणी तथा गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों में समानता लाने में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ) : जबकि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को 55 वर्ष की आयु तक के लिए लम्बी अवधि के ठेके दिये जाते हैं; गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों की ठेके की अवधि भिन्न-भिन्न होती है; यह इसलिये है कि प्रसारण में स्वर का मूल्य होता है, जबकि गीत और नाटक प्रभाग के आर्टिस्टों को साक्षात रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करने होते हैं, कठिन क्षेत्रों के दौरे करने पड़ते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है । स्वर, शारीरिक गतिशीलता, मुख मुद्रा, रूप, शारीरिक स्वस्थता इत्यादि वर्षों तक

एक जैसे नहीं रहते, अतएव, गीत और नाटक प्रभाग के आर्टिस्टों के लिए 55 वर्ष की आयु तक के लिये ठेके की पद्धति चालू करना सम्भव नहीं है। दोनों संबंधों के मध्य सेवा शर्तों में यह भी मुख्य अन्तर है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, आर्टिस्ट अंशदायी भविष्य निधि में भाग लेने के पात्र हैं।

गरीबी दूर करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और श्रमिक संघों का भारत सरकार को सहयोग

4130. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन और श्रमिक संघ सरकारी तौर पर सहयोग देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : यद्यपि सरकार के "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम में कुछ सामाजिक संगठनों को सरकारी तौर पर शामिल कर दिया गया है, लेकिन निजी संगठनों और ट्रेड यूनियनों को अभी तक सरकारी तौर पर शामिल नहीं किया है। पांचवीं योजना में, प्रशासनिक, संस्थागत और वित्तीय प्रयासों में अधिकतम ढील देकर बेरोज-गारी अर्द्ध-रोजगारी और भयंकर निम्न-स्तर वाली गरीबी की समस्याओं पर सीधा प्रहार करने का प्रस्ताव है। गरीबी उन्मूलन के विस्तृत उपाय अभी तैयार करने होंगे। इस प्रकार के उपाय निर्धारित करने और लागू करने में सरकार जब भी आवश्यक समझे सभी सम्बद्ध संगठनों और निकायों से परामर्श करेगी और उन्हें शामिल भी करेगी।

Utilization of Licences in Madhya Pradesh

4131. **Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether licences granted for industries in Madhya Pradesh have not been utilised fully and the raw material supplied by the Central Government has also not been utilised fully ; and

(b) if so, whether Government would propose to conduct an enquiry into the matter and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad):

(a) & (b) : The nature of the information desired is not quite clear from the question. The Ministry of Industrial Development is concerned with the issue of industrial licences under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, which may be for the establishment of a new undertaking, substantial expansion or production of a new article in an existing undertaking; or, for carrying on business or shifting the location of an existing undertaking. The utilisation of an industrial licence for which new or additional capacity is sanctioned involves various steps before production could materialise. The setting up of an industry normally takes 2 to 3 years from the time of receipt of a licence. In some highly complex and capital intensive projects, this period may be even lon-

The utilisation of full licensed capacity depends upon many factors like market demand, power supply, water, transport facilities, industrial relations, good management, etc. While some of these are internal to the undertaking, others concern various authorities including the State Governments and local bodies etc.

The distribution of raw materials is regulated only in respect of certain selected scarce items. There are various administrative and statutory measures available to Government for a check on their proper utilisation. There is no information that, in these matters, the situation in Madhya Pradesh is unusually different from other States. Hence, the question of any enquiry does not arise.

वैज्ञानिक पूल में वैज्ञानिकों का पंजीकरण

4132. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वैज्ञानिक पूल में अब तक कितने वैज्ञानिकों ने अपना नाम पंजीकृत कराया है और पिछले एक वर्ष के दौरान अब तक कितने वैज्ञानिकों ने रोजगार प्राप्त किया है ; और

(ख) शेष वैज्ञानिकों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम्) : (क) पूल योजना के प्रारंभ काल से दिनांक 1-8-1972 तक 8,863 वैज्ञानिक, इंजीनियर शिल्प वैज्ञानिक चिकित्सक आदि वैज्ञानिक पूल में चुने गये थे । इनमें से 3,907 ने पूल अधिकारियों के रूप में काम संभाला था ।

विगत एक वर्ष की अवधि में 213 पूल अधिकारियों ने, भारत में नियमित रोजगार प्राप्त होने के परिणामस्वरूप पूल त्याग दिया । इसके अतिरिक्त पूल में चुने गये 57 व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में थे, अतः उन्होंने पूल में प्रवेश नहीं लिया ।

(ख) सामान्यतः पूल अधिकारी एक या दो वर्ष की अवधि में नियमित रोजगार प्राप्त कर लेते हैं । दिनांक 1-8-1972 के अनुसार पूल में कार्य कर रहे कुल 409 अधिकारियों में से केवल 17 अधिकारी पूल में बाकी हैं । इनको दो वर्ष से अधिक हो गये हैं ।

पोस्टकार्डों और लिफाफों के लिए हाथ से बने कागज का प्रयोग

4133. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टकार्डों और लिफाफों के लिए हाथ से बने कागज के प्रयोग से होने वाली बचत और अन्य लाभों का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा अध्ययन कब किया जायगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) चूंकि हाथ से बने कागज की लागत अधिक होती है, इसलिए इस काम के लिए इसका प्रयोग करने के लिए कोई गम्भीर अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा रजिस्टर किये गये मामले

4134. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्षवार कितने मामले रजिस्टर किये गये और उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये; और

(ख) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने धोखा-घड़ी और गबन के कम मामले दर्ज करने का निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1970 और 1971 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्रमशः 2144 तथा 1466 मामले (जिनमें प्रारम्भिक जांच भी शामिल है) दर्ज किए। दिनांक 22-8-1972 तक जिन व्यक्तियों पर न्यायालयों में मुकदमे चलाये गए तथा वर्ष 1970 तथा 1971 में रजिस्टर्ड किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 705 तथा 250 है।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपने कार्य-क्षेत्र के किसी भी मामले की जांच कर सकता है, सामान्यतः यह अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण मामलों पर ही ध्यान देता है। साधारण तथा छोटे-मोटे मामले सामान्यतः सम्बन्धित विभागों या स्थानीय पुलिस द्वारा ही निपटाये जाते हैं।

पार्लियामेंन्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ संसद सदस्यों द्वारा शिकायत

4135. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के कुछ अधिकारियों की ज्यादती और दुर्व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करते हुए कुछ संसद सदस्यों ने गत मई में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को पत्र लिखा था ; और

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों की शिकायत दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हां, । शिकायतें पार्लियामेंन्ट स्ट्रीट पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448/380 के अधीन मामला एफ० आई० आर० सं० 755 दिनांक 4 मई, 1972 की जांच-पड़ताल के बारे में थीं। मामला मालिक व किरायेदार के विवाद से सम्बन्धित है, जिसमें अन्तर्ग्रस्त दोनों पक्षों द्वारा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें तथा जवाबी शिकायतें की गई थीं।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल का कार्य पुलिस थाने से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय में बिना अधिकारी के केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाएं

4136. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं के नाम क्या हैं जिनका 1957 में जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय में कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) इन प्रथम श्रेणी सेवाओं से कोई भी अधिकारी न लेने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय के पद किसी विशेष सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं। ये पद कार्य की आवश्यकताओं एवं योग्यता, अनुभव तथा प्रवरण के क्षेत्र में अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर भरे जाते हैं। विभिन्न श्रेणी—1 सेवाओं में 445 अधिकारी हैं, जो कि पहले से ही केन्द्रीय सचिवालय के पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

विवरण

(क) निम्नलिखित केन्द्रीय सेवाओं में केन्द्रीय सचिवालय के कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं :—

1. पुरातत्त्व सेवा, श्रेणी —I
2. भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण, श्रेणी—I
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, श्रेणी—I
4. केन्द्रीय राजस्व रासायनिक सेवा, श्रेणी—I
5. भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, श्रेणी—I
6. भारतीय मौसम-विज्ञान सेवा, श्रेणी—I
7. भारतीय नमक सेवा, श्रेणी—I
8. व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण जहाज सेवा, श्रेणी—I
9. खान सुरक्षा का महानिदेशालय, श्रेणी—I
10. समुद्रपार संचार व्यवस्था, श्रेणी—I
11. भारतीय सर्वेक्षण, श्रेणी—I
12. भारत का प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, श्रेणी—I
13. रेलवे निरीक्षणालय सेवा, श्रेणी—I
14. दिल्ली एवं अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा, ग्रेड—I
15. भारतीय निरीक्षण सेवा, श्रेणी—I
16. डाक यातायात सेवा, श्रेणी—I (जिसमें भारतीय डाक व तार यातायात सेवा, श्रेणी—I शामिल है)
17. केन्द्रीय पूल के श्रम अधिकारी, श्रेणी—I

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ की पदेन अतिरिक्त सचिव और राज्य लोक निर्माण विभागों के चीफ़ इंजीनियरों की पदेन सचिव के रूप में नियुक्ति

4137. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की थी कि

योजनाओं को कुशलता पूर्वक क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ को भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव और राज्य-लोक निर्माण विभागों के चीफ इंजीनियरों को राज्य सरकारों में पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, उक्त सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जो कि प्रधानतः प्रश्न के विषय से सम्बन्धित हैं, उत्तर इस प्रकार है :–

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ को भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी जो कि कार्यान्वित नहीं की गई, क्योंकि विगत काल में अनेक बार इस मामले में विचार किया गया था किन्तु सहमति न हो सकी । इसके साथ ही, प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने इस विषय पर विचार किया है, का यह मत है कि इस सम्बन्ध में यथा पूर्व स्थिति कायम रखी जानी चाहिए ।

राज्य लोक निर्माण विभागों के चीफ इंजीनियरों को पदेन सचिव के रूप में नियुक्ति की सिफारिश करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना था ।

आई० पी० एस० अधिकारियों की सचिवों के रैंक पर नियुक्ति

4138. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आई० पी० एस० अधिकारियों को सचिव का रैंक दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पिछले तीन वर्षों में किसी भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को भारत सरकार में सचिव का रैंक नहीं दिया गया है । किन्तु इस सेवा के एक अधिकारी को विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ।

मोदी समूह को लाइसेंस और आशय-पत्र जारी करना

4139. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्षों के दौरान मोदी समूह को कुल कितने लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये गये और उनका उद्योग वार एवं उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : मोदी समूह की कंपनियों को पिछले तीन वर्षों में जारी किए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या और प्रकार दिखाने वाला विवरण सलंग्न है । सरकार द्वारा जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का विवरण समय-समय पर "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज", साप्ताहिक "इण्डियन ट्रेड जरनल" और मासिक "जरनल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

विवरण

वर्ष	लाइसेंस					आशय पत्र			
	एन० यू०	एस० ई०	एन० ए०	सी० ओ० वी०	योग	एन० यू०	एस० ई०	एन० ए०	योग
1969	—	—	—	—	—	—	1	1	2
1970	—	1	—	—	1	—	—	—	—
1971	—	—	—	1	1	1	—	2	3
	—	1	—	1	2	1	1	3	5

बड़ी व्यापार कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में लाइसेंसों का उपयोग

4140. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कितनी बड़ी स्वतन्त्र कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों ने उन्हें प्राप्त लाइसेंसों का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगा कर किया, और इन बड़ी स्वतन्त्र प्रथा विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में वर्ष 1970-71 और 1971-72 मे किस-किस किस्म के उद्योग स्थापित किये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : इस अवधि में केवल एक लाइसेंस जारी हुआ तथा कार्यान्वित किया गया है। मैसूर राज्य में एक पिछड़े इलाके में पर्याप्त विस्तार हेतु यह लाइसेंस मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता जो कि एक अधिक विदेशी पूंजी वाली कंपनी है, को दिया गया है।

विदेशी सहयोग वाले औद्योगिक कारखानों के लिए लाइसेंस

4141. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी सहयोग वाले उन औद्योगिक कारखानों के लिये लाइसेंस देने का निर्णय किया है जो विशेष रूप से निर्यात-प्रधान हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस वर्ष के आरम्भ में सरकार के पास ऐसे उपक्रमों के लिये कितने आवेदन विचाराधीन थे और उनमें से कितनों को मंजूर किया गया है और इस निर्णय के अनुसार जिन उद्योगों के लिये अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने व्यापार कार्यों में विदेशी भागिता की अनुमति भी देने का निश्चय किया है और यदि हाँ, तो इस प्रकार किन व्यापार कार्यों की अनुमति दी जायेगी और विदेशी सहयोगों के प्रति दृष्टिकोण में उदारता के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : विदेशी सहयोग के बारे में सरकार का दृष्टिकोण, जनवरी, 1969 में इसके सम्बन्ध में तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बता दिए गए हैं। यह दृष्टिकोण चयन पर आधारित है जिसमें उन क्षेत्रों में जिनमें प्रोद्योगिकी अथवा उत्पादन में काफी अन्तर है, देश के अन्दर द्रुतगामी प्रोद्योगिकी विकास का सुनिश्चय करने के मूलभूत उद्देश्य को पूरा करने में देश में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए जानकारी आयात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों में जबकि कम प्राथमिकता वाले अथवा गैर आवश्यक क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर सामान्य रूप से विचार नहीं किया जाता है किन्तु ऐसे मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें विदेशी सहयोगी अपने उत्पादन के अधिक अंश का निर्यात करने के लिए सहमत हो जाता है। व्यापार संबंधी कार्य-कलापों के लिए विदेशी सहयोग के लिए अनुमति न देने की सामान्य नीति में भी छूट दी जा सकती है। जहाँ इस प्रकार के सहयोग का उद्देश्य केवल निर्यात बिक्री बढ़ाना हो तो ये छूटें देने में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की आयश्यकता के महत्त्व विशेषरूप से गैर परम्परागत उत्पादों के निर्यात के महत्त्व को ध्यान में रखा जाता है।

निर्यातोन्मुख एककों के लिए विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीति में हाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) 1-1-72 को विदेशी सहयोग के 12 प्रस्ताव जिनमें फर्मों ने अपने उत्पादों का 50% अथवा उनसे अधिक निर्यात करने का प्रस्ताव रखा था, विचाराधीन थे। जनवरी, जून 1972 की अवधि में सरकार ने इस प्रकार के 9 प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी है, उनके ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3572/72]

अन्तर्राज्यीय विवाद

4142. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रयास शुरू कर दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और क्या राज्य सरकारें इस मामले में केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों से सहमत हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) :—सम्भवत: सदस्य महोदयों के मन में क्षेत्रीय दावों के कारण पैदा होने वाले अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद हैं। ऐसे तीन विवाद जो अभी विद्यमान हैं उनका संबंध :—

(1) असम नागालैण्ड सीमा।

(2) पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की सीमा।

(3) महाराष्ट्र व मैसूर और मैसूर व केरल के मध्य की सीमाओं से है।

असम नागालैण्ड की सीमा के संबंध में तथ्यों का पता लगाने और किसी समंजन की आवश्यकता तथा एक सर्वसम्मत हल भी निकालने के बारे में एक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक अन्य दो मामलों का संबंध है, संबंधित मुख्य मन्त्रियों के बीच संभावित सहमति के क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है। अभी कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आए हैं।

राज्यों के बीच सीमा-विवादों को समाप्त करना

4143. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बीच सीमा-विवादों को समाप्त करने के बारे में कुछ मुख्य मन्त्रियों ने सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को किसी मुख्य मन्त्री से राज्यों के बीच सीमा-विवादों को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

4144. **श्रीमति सावित्री श्याम** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी;

(ख) मद्रास, बम्बई, पंजाब और हरियाणा की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इसकी प्रतिशतता कम होने के क्या कारण हैं और इसे देश के समृद्ध राज्यों के बराबर लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) :—योजना के पिछले तीन वर्षों में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु 1962-63 से 1964-65 तक की अवधि के संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय के जो तुलनात्मक अनुमान भेजे गए हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाणा की औसत आय प्रतिव्यक्ति निम्न प्रकार है —

	राज्यों की तीन वर्षों की औसत प्रतिव्यक्ति आय--1962-65 (वर्तमान मूल्यों पर) (रुपये)
उत्तर प्रदेश	306
तमिलनाडु (मद्रास)	400
महाराष्ट्र (बम्बई)	478
पंजाब	492
हरियाणा	445

उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कम प्रतिव्यक्ति आय सामान्यतया कई मिश्रित कारणों का परिणाम है। इन कारणों में ये भी सम्मिलित हैं—ऐतिहासिक तथ्य, भौतिक-भौगोलिक स्थितियाँ, पर्याप्त अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की कमी, कमजोर संस्थागत ढांचा आदि।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए सूत्र इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि उससे उत्तर प्रदेश जैसे कम समृद्ध राज्यों को सहायता मिलेगी। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है :—

(क) 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है अतः इस कसौटी से उसे लाभ हुआ है।

(ख) राज्यों को आवंटित की जाने वाली दस प्रतिशत सहायता उन राज्यों को वितरित की गई जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश भी इसी वर्ग में आता है अतः उसे भी इस कसौटी पर विशेष सहायता दी गई है।

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े चुने हुए जिलों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता

विषमताएँ दूर करने के लिए उठाए गए एक महत्त्वपूर्ण कदम से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति बढ़ रही है। पाण्डे तथा वान्चू समितियों की रिपोर्टों में निर्धारित कसौटी के अनु-

सार केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में दो जिले—बलिया तथा झांसी, चुने गए हैं। चार जिले और चुनने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

(3) **वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त**

चौथी योजना में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर धन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 36 जिलों का चयन किया गया है :—

अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सुलतानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव, तथा उत्तर काशी।

(4) **पिछड़े क्षेत्र**

उत्तर प्रदेश में कई अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह इन पर विशेष ध्यान दें। ये क्षेत्र हैं: —

इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, जालौन, झाँसी, हमीरपुर, बांदा, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी, पिथौरागढ़ तथा देहरादून।

(5) **विशेष केन्द्रीय स्कीमें :**

ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए तथा अल्पकालिक एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित विशेष केन्द्रीय स्कीमें भी प्रारम्भ की गई हैं :—

(क) लघु कृषक विकास अभिकरण : ऐसी चार परियोजनाएँ हैं—बदायूं, रायबरेली, फतेहपुर तथा प्रतापगढ़ जिलों में से प्रत्येक में एक-एक।

(ख) सीमान्त कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों सम्बन्धी परियोजनाएं :—ऐसी दो परियोजनाएँ हैं—मथुरा तथा बलिया जिलों में से प्रत्येक में एक-एक।

(ग) बारानी खेती :—बारानी खेती की तीन परियोजनाएँ हैं—झांसी, आगरा तथा गाजीपुर जिलों में।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :—ऐसी छः परियोजनाएँ हैं—जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में से प्रत्येक में एक-एक।

(ङ) ग्रामीण रोजगार के लिए जोरदार कार्यक्रम :—उत्तर प्रदेश के सभी जिले इस स्कीम के अन्तर्गत हैं।

(च) मार्गदर्शी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना :--मार्गदर्शी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना के अन्तर्गत एक खण्ड में अर्थात् राज्य के बलिया जिले के वन्सदिह में एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

भारत सरकार के कार्यालयों में भरे न गए स्थान

4145. **श्री बनमाली पटनायक** :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 और 1972 में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी तथा इससे ऊंचे पदों पर अनेक पदोन्नतियां दी गई हैं ;

(ख) क्या अनुभाग अधिकारी से नीचे के अनुवर्ती पदों को या तो भरा नहीं गया है या वे समय पर पदोन्नति न दिए जाने के कारण व्यपगत हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रश्न में पूछी गई सूचना का सम्बन्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों में की गई पदोन्नतियों से है।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड तथा उससे निम्न-स्तर के ग्रेड विकेन्द्रीकृत ग्रेड हैं और उनमें पदोन्नतियां तत्सम्बन्धी संवर्गों द्वारा सुसंगत सांविधिक नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। इस विभाग को जानकारी नहीं आई है कि विकेन्द्रीकृत ग्रेडों में किसी पद को भरा नहीं गया है या समय पर पदोन्नतियां न दिये जाने के कारण व्यपगत हो गये हैं।

स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह पर होने वाले खर्च का अनुमान

4146. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : 25 वीं जयन्ती कार्यक्रम 15 अगस्त, 1972 से आरम्भ होकर सारे वर्ष चलना है। अतः सम्भावित व्यय की राशि बताना इस अवस्था में सम्भव नहीं है।

कार्यक्रम में कम से कम समारोह शामिल किए गये हैं। अधिकांश मद विकास, कल्याण तथा शैक्षणिक कार्यों से संबंधित हैं जो अधिकांशतः योजना में पहले ही सम्मिलित हैं और कुछ के लिये कुछ अतिरिक्त धन स्वीकृत किया जा सकता है। इन कारणों से "जयन्ती समारोह बजट" के रूप में ऐसी कोई चीज न तो सम्भव है और न आवश्यक।

Industrial Dispute in Bharat Electrical, Hardwar

4147. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development reached any agreement in regard to the industrial dispute in Bharat Heavy Electrical Limited, Hardwar in the first week of June;

(b) if so, with which union ;

(c) whether the said Union is a recognised one ; and

(d) if not, the reasons for dealing with unrecognised Union in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) Yes, Sir.

(b) The H.E.L. Workers Association.

(c) No, Sir.

(d) A notice of strike for 6th June, 1972 had been received from the H.E.L. Workers Association and there was a major discussion on this in the Rajya Sabha. Taking the cue from this discussion and also in the Government's anxiety to avoid interruption to production at this unit which would result in delay in the supply of equipment vital for the country's power development programme, it was considered that it would be in the public interest to discuss with the Association the issues raised by them in their strike notice. The agreement was a result of this discussion which averted the strike that should have otherwise materialised and adversely affected vital production.

वरक, इस्पात और अल्यूमिनियम के उद्योगों का गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यकरण

4148. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात और अल्यूमिनियम का गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): उर्वरक और एल्युमिनियम औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची 'ख' में आते हैं, इसके अनुसार गैर-सरकारी उद्यमियों को भी स्वयं अथवा राज्य सरकार की भागीदारी सहित इस क्षेत्र में विकास करने का अवसर प्राप्त होगा ।

औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के पश्चात गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे से समेकित इस्पात संयंत्र में इस्पात बनाने की अनुमति नहीं है । हां, निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत ढला लोहा बनाने की स्वीकृति है क्योंकि यह बहुधा सीमित प्रयोग के लिए अथवा ढलवा लोहे की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए होता है ।

मैसूर राज्य औद्योगिक पूंजी निवेश तथा विकास निगम द्वारा स्कूटरों का निर्माण

4149. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योयोगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य औद्योगिक पूंजी निवेश तथा विकास निगम के एक स्कूटर कारखाना लगाने के लिए आशय-पत्र जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां,

(ख) अभी अधिक प्रगति नहीं हो पाई है ।

Payment of Bonus to Workers in Bharat Electricals, Ranipur, Hardwar

4150. Shri Mulki Raj Saini :

ShriMukamChand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the amount of bonus paid in Bharat Heavy Electricals Limited, Ranipur, Hardwar during the years 1970-71 and 1971-72; and

(b) if no bonus has been paid, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) Nil.

(b) The Hardwar Unit of B.H.E.L. has not made any profit so far, nor has minimum bonus under the payment of Bonus Act 1965, become payable at this plant.

Report of Action Committee on Public Undertaking Regarding Bharat Heavy Electricals Ltd. Hardwar

4151. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state ;

(a) whether Shri Nitish De, Member, Action Committee on Public Sector Unde-ertakings visited Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar in the first week of August, 1972; and

(b) if so, the gist of the report submitted by him in regard to that undertaking?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) Yes, Sir.

(b) No report has been received from Shri De either by the B H E L or by this Ministry.

कोल्हापुर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

4152. **श्री राजाराम दादा साहिब निम्बालकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोल्हापुर में टेलीविजर केन्द्र स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, नहीं।

कोल्हापुर में टेलेक्स की स्थापना

4153. **श्री राजाराम दादा साहिब निम्बालकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर में टेलेक्स की स्थापना में क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मौजूदा एक्सचेंज की इमारत में टेलेक्स का उपस्कर लगाने के लिए कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आवश्यक परिवर्तन करने के बाद यह एक्सचेंज लगा दिया जाएगा।

कोल्हापुर, महाराष्ट्र में डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाली आरम्भ करना

4154. **श्री राजाराम दादा साहिब निम्बालकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोल्हापुर, महाराष्ट्र में डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाली आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) क्या इस परिवर्तन के बाद वर्तमान टेलीफोन प्रणाली का संचालन करने वाले कर्मचारियों की नौकरी को खतरा हो जाएगा ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कोल्हापुर का बम्बई तथा भारत के अन्य प्रमुख नगरों से सीधा सम्पर्क हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हाँ। कोल्हापुर के मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को आटो एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है। इसके लिए उपस्कर का निर्माण 1972-73 में किया जा रहा है। आशा है कि यह आटो एक्सचेंज 1975 तक चालू कर दिया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) 5 वीं पंचवर्षीय योजना में कोल्हापुर का बम्बई और कुछ अन्य प्रमुख नगरों से संबंध जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों को खपाया जाना

4155. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी गढ़वाल, रामपुर और बनारस की भूतपूर्व रियासतों के कई सौ कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अभी तक नहीं खपाया गया है जैसा कि भारत सरकार और इन रियासतों के भूतपूर्व नरेशों के बीच विलय के समझौते में उपबंध है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार खपाये न गये कर्मचारियों की और साथ ही उन कर्मचारियों की संख्या

कितनी है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभ प्राप्त किए बिना या तो रिटायर हो गए हैं या परलोक सिधार गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गत छः महीनों के दौरान आकाशवाणी, दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में पदों के लिए किया गया चयन

4156. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान आकाशवाणी, दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में पदों के लिए कुछ व्यक्ति चुने गये हैं ;

(ख) आकाशवाणी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कितने सम्बन्धियों को चुना गया है ;

(ग) क्या इन पदों के लिए चुने गये अधिकतर व्यक्तियों को आकाशवाणी दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में दीर्घकालीन नैमित्तिक आधार पर बुक करके प्रशिक्षण दिया गया था ; और

(घ) उन व्यक्तियों के नामों की सूची जो आकाशवाणी के कर्मचारियों के सम्बन्धी है तथा जिनको चयन से पूर्व, नैमित्तिक आधार पर बुक किया गया था, सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) (ग) तथा (घ) : दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में 9 श्रेणियों के पदों के लिए चुने गए 71 व्यक्तियों में से अभी तक 16 को नियुक्त किया गया है । इन 16 व्यक्तियों में से 6 आकाशवाणी के कर्मचारियों के सम्बन्धी हैं । इन 6 व्यक्तियों में से 4 को जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । उनके चुने जाने से पूर्व कैज्युअल आधार पर बुक किया जा रहा था ।

विवरण

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	जिस पद पर नियुक्ति हुई	कैफियत
1.	श्री ए. के. चतुर्वेदी	लाइटिंग मैन	—.
2.	श्री सुभाष चन्द्र	तथैव	श्री सुभाष चन्द्र इस बीच त्याग पत्र दे चुके हैं ।
3.	श्री पी. पी सिंह	तथैव	—
4.	श्री मुनेश कुमार	तथैव	——

प्रेस सूचना ब्यूरों के केन्द्रीय/शाखा कार्यालयों का कार्यकरण

4157. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं, उन पर कितना वार्षिक खर्च किया जाता है तथा उनके कृत्य क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रचार अधिकारियों को प्रचार कार्य के लिए मंत्रियों के साथ जाने के लिए दिल्ली से उन स्थानों तक कितनी बार हवाई यात्रा की मंजूरी दी गयी यद्यपि इस कार्य की देख-रेख के लिए तत्सम्बन्धी प्रेस सूचना ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय वहां थे ;

(ग) साथ जाने वाले इन प्रचार अधिकारियों पर इस प्रकार कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ; और

(घ) इस व्यय में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, संलग्न है ।

(ख) तथा (ग)

वर्ष	**यात्राओं की संख्या**	**व्यय की राशि**
		रुपये
1969-70	25	17,229.45
1970-71	34	11,671.20
1971-72	14	12,692.60

(घ) पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारियों को मुख्यालय से यात्रा पर दिल्ली से बाहर सम्मेलनों तथा अन्य अवसरों को कवर करने के लिए केवल तभी भेजा जाता है जब ऐसा करना आवश्यक हो ।

विवरण

(क) जिन स्थानों में पत्र सूचना कार्यालय के प्रादेशिक/शाखा कार्यालय स्थित हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. जालन्धर
2. लखनऊ
3. वाराणसी
4. जयपुर
5. भोपाल
6. श्री नगर

15. शिलांग
16. बम्बई
17. अहमदाबाद
18. नागपुर
19. पूना
20. पणजी

7. जम्मू
8. इन्दौर
9. कलकत्ता
10. कटक
11. पटना
12. गोहाटी
13. अगरतल्ला
14. इम्फल
21. राजकोट
22. मद्रास
23. बंगलौर
24. हैदराबाद
25. त्रिवेन्द्रम
26. कोचीन
27. विजय वाड़ा

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान प्रादेशिक/शाखा कार्यालय पर हुआ व्यय 31,58,446 रुपए 40 पैसे।

(ग) प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों के काम हैं :—

(1) राज्य सूचना निदेशालयों से तालमेल लगाए रखना ;

(2) उनके क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों, संगठनों तथा उपक्रमों के लिए प्रचार सम्बन्धी कार्य करना ;

(3) उनके प्रदेशों में केन्द्रीय मंत्रियों की यात्राओं को कवर करना ;

(4) मुख्यालय से प्राप्त प्रचार सामग्री को उनके क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की भाषा या भाषाओं में अनुवाद कर वितरण करना ;

(5) कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रचार सामग्री के माध्यम से भेजी गई सूचना का संभवतया अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सम्पादकों तथा समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाए रखना ;

(6) स्थानीय समाचारपत्रों द्वारा पूछी गई बातों के उत्तर देना ;

(7) प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रतिबिम्बित प्रतिक्रियाओं तथा विचारों से मुख्यालय को नियमित रिपोर्ट के द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों को सूचित करते रहना।

आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में आग न पकड़ने वाली छतों वाले मकान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता हेतु अनुरोध।

4158. **श्री टी० बालकृष्णन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में मार्च, 1972 से जुलाई 1972 तक की अवधि के दौरान आग लगने की दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों के लिए आग

न पकड़ने वाली छत वाले मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र सरकार की इस माँग पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) तथा (ख) : जून, 1972 के मध्य में प्राप्त एक पत्र में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ भागों में, विशेषतः तटीय क्षेत्रों में, अग्निकाण्ड से होने वाली क्षति से बचने के लिए आग न पकड़ने वाली सामग्री से मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि वर्तमान नीति के अन्तर्गत अग्निकाण्डों और दंगों को प्राकृतिक संकट नहीं समझा जाता है और इसलिए अग्निकाण्ड की घटनाओं व दंगों के परिणामस्वरूप अपेक्षित व्यय स्वयं राज्य सरकारों द्वारा वहन करना होता है।

केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल में फालतू कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया

4159. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल में फालतू कर्मचारियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में पहली जून, 1972 से आगे के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जबकि मुख्य बंदोबस्त आयुक्त के कार्यालय के फ़ालतू कर्मचारियों ने केन्द्रीय फालतू कर्मचारी सैल (कार्मिक विभाग) में प्रवेश किया था ;

(ख) पहले अर्थात् 1 जून, 1972 से पूर्व किस प्रक्रिया, परिपाटी का पालन किया जा रहा था ; और

(ग) क्या पहले अपनाई गई प्रक्रिया, परिपाटी में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) दिनांक 1-6-1972 से केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल के माध्यम से फालतू कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रक्रिया में केवल मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय के फालतू कर्मचारियों को ही नहीं, वरन् अन्य कार्यालयों को भी लिया गया है और इस तिथि से आगे के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया किसी प्रकार भिन्न नहीं है। फालतू कर्मचारियों को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल की सूची में उसी क्रम से लिया जाता है, जिस क्रम से कि वे उसमें वापिस किये जाते हैं और सैल को सूचित की गई रिक्तियों के लिए, उन्हें उसी क्रम से तथा उपयुक्त समय में पुनः रोजगार भी दिया जाता है, जिस क्रम से रिक्तियां सूचित की जाती हैं। फालतू कर्मचारियों को समकक्ष ग्रेडों में पुनः रोजगार देने के सम्बन्ध में प्रयत्न किए जाते हैं, किन्तु ऐसे मामलों में जहां समकक्ष पद उपलब्ध न हों, फालतू कर्मचारियों को निम्नतर वेतनमान के पदों

में पुनः रोजगार दिया जाता है, किन्तु उन्हें अपने वेतनमान को वैयक्तिक वेतन के रूप में लेते रहने की अनुमति है ताकि उनकी वित्तीय कठिनाइयां दूर हो सकें।

(ग) प्रश्न नहीं, उठता।

वैध पारपत्र लेकर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिरफ्तारी

4160. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत-पकिस्तान युद्ध के दौरान कितने पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किये गये जो वैध पारपत्र लेकर भारत आये थे ; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Leather Factory in Rajasthan

4161. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accorded approval to the setting up of a Government Leather Factory in Rajasthan;

(b) if so, the time by which it would be set up and the expenditure to be incurred thereon;

(c) whether other State Governments have also asked for permission of the Central Government for similar factories ; and

(d) if so, the name of such State Governments?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) :

(a) Yes, Sir.

(b) The project is expected to be implemented by 1972 at an estimated expenditure of Rs. 44.36 lakh on land, building and machinery.

(c) & (d) The States of Punjab,Haryana and Kerala have also been permitted to start similar factories.

चलचित्र वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित चल-चित्रों (फिल्मों) को अधूरा छोड़ देना

4162. **श्री बी०वी० नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) चलचित्र वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित कितने चलचित्रों का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया ;

(ख) इन चलचित्रों को कितनी राशि दी गयी थी ; और

(ग) इन चलचित्रों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) सात ।

(ख) निगम ने इन सात फिल्मों में कुल 15,13,723 रुपये की राशि लगाई है ।

(ग) पांच फिल्मों के पूर्ण होने के आसार कम हैं, किन्तु शेष दो फिल्मों को मुकम्मल करवाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए आवेदन-पत्र

4163. **श्री बी० वी० नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों से कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) ऐसे कुल कितने मामले हैं जिनमें अब तक पेंशन की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) इस योजना को अनुमानतः कितनी अवधि के अन्दर-अन्दर क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 25-8-1972 तक 84,426 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) 25-8-1972 तक 3095 मामलों में पेंशन की मंजूरी दे दी गई है ।

(ग) इस अवस्था में पहले से बताना संभव नहीं है क्योंकि आवेदन पत्र अभी प्राप्त हो रहे हैं ।

Competition Among States on Sale of Lottery Tickets and on Amounts of cash Prizes

4164. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether an unhealthy competition is going on among the various States on the sale of lottery tickets and the amount of cash prizes ;

(b) whether Central Government propose to enact a Central Legislation after consultation with State Governments in this regard; and

(c) if so, the main points thereof and the time by which it will be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) :

(a) Yes, Sir.

(b) & (c) : In order to have a uniform policy for State lotteries, the Central Gove-

rnment is contemplating a Central legislation in consultation with the State Governments. Details about the working of State lotteries are being collected in order to examine the above proposal.

Shortage of Salt in Ladakh

4165. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the steps proposed to be taken to meet the shortage of salt in Ladakh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development(Prof. Siddheshwar Prasad) :

According to the information available with the State Government, there is no shortage of salt in Ladakh.

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के लिए केन्द्र द्वारा राज सहायता

4166. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में 9 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के आरम्भ होने पर जिन्होंने दस प्रतिशत राज सहायता के लिए आवेदन पत्र दिये थे उन उद्योगों तथा उनके मालिकों के जिलावार नाम क्या हैं ;

(ख) उद्योगवार यदि कोई राशि मंजूर को गयी हो तथा वितरित की गयी हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज सहायता सम्बन्धी कितने तथा किस-किस के आवेदन पत्र पर अभी मंजूरी देनी बाकी है ; और बिलम्ब के क्या कारण है ; और

(घ) प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कौन से विशेष उपाय पहले ही किये गये हैं तथा कौन से विचाराधीन हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : पिछड़े क्षेत्रों के ऐसे औद्योगिक एककों की एक सूची जिन्हें राज्य स्तर की समितियों से 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3573/72**] सहायत्ता की राशि अभी वितरित की जानी है।

प्राप्त हुए तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों सम्बन्धी विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं।

इस विषय में राज्य सरकारों को योजना के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए लिखा गया है। निकट भविष्य में कार्यान्वियन को सुप्रवाही बनाने और विचार विमर्श करने के लिए राज्य उद्योग सचिवों का सम्मेलन करने का भी प्रस्ताव है।

त्रिपुरा में दुर्गम क्षेत्र भत्ता

4167. **श्री दशरथ देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में कंचनपुर, दासदा, जामपुर तथा माछूमारा के डाक-

तार कर्मचारियों से 'दुर्गम क्षेत्र भत्ता' के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर वित्त मँत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

शिक्षित बेरोजगारो कों रोजगार देने सम्बन्धी कार्यक्रम को लागू करना

4168. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने सम्बन्धी कार्यक्रम की क्रियान्विति निर्धारित लक्ष्य से कम रही ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखियेसंख्या एल० टी० 357472]

दुग्ध उत्पादों का देश में उत्पादन

4169. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री दुग्ध उत्पादों के देश में उत्पादन के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डेरी उत्पाद संयंत्रों की यूनिट-वार क्षमता तथा उत्पादन कितना है ;

(ख) प्रत्येक यूनिट का कितना विस्तार करने का विचार है और उनको आयातित तथा स्वदेशी उपकरणों तथा फालतू पुर्जों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) क्या मंत्रालय के विभिन्न 'सेलों' में उनके प्रसार तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवेदन पत्रों की जाँच पड़ताल करने में बहुत समय लगता है ; यदि हां, तो इस बिलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वाँछित जानकारी संलग्न विवरणों में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 3575/72]

(ग) इस प्रकार के आवेदन पत्रों की प्रक्रिया में कुछ समय लगना अवश्यम्भावी है किन्तु विभिन्न स्तरों पर सख्त निगरानी और सजग निरीक्षण द्वारा प्रविधि सम्बन्धी तथा अन्यान्य प्रकार से लगने वाले परिहार्य विलम्ब को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है ।

डाक-तार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

4170. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों की लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के बारे में 1962 में किसी समय आदेश जारी कर दिये थे ;

(एक) जिन्होंने 1962 में या इससे पूर्व मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी ;

(दो) जो स्थायी अथवा अर्ध स्थायी पदों पर थे ;

(तीन) जिन्होंने सेवा में लगने के बाद मैट्रिक परीक्षा पास की ;

(ख) क्या उपरोक्त आदेशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इन आदेशों को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) प्रोत्साहन योजना लागू करने के बारे में आदेश 1963 में जारी किये गये थे । इस योजना में यह निर्दिष्ट था कि यदि विभागीय कोटे में नीचे के ग्रेड से पदोन्नति के लिए निर्धारित सभी 50 प्रतिशत रिक्त स्थान विभागीय परीक्षा में पर्याप्त उम्मीदवारों के पास न हो पाने के कारण न भरे जा सकें, तो तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की जिन्होंने विभाग में कुल मिलाकर कम से कम छह वर्ष तक सेवा की हो और जो स्थायी या अर्ध स्थायी हों विभागीय कोटे के 10 प्रतिशत तक रिक्त स्थान भरने के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जा सकती है । 1968 में ऐसे आदेश भी जारी किए गए थे कि इस तरह पदोन्नति पाने के लिए उन्हें कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए । ये आदेश 1969 के शुरू में लागू किए गए ; तथापि इस समय यह सीमा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती ।

(ख) जी नहीं । ये आदेश अभी भी लागू हैं और जो उम्मीदवार पदोन्नति पाने के पात्र हैं, उन्हें क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति दी जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Social Boycott of Harijans in Pratapgarh District (U.P.)

4178. Shri Sarjoo Pandey :

Shri Ishaque Sambhali :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Harijans living in the area of Ranijang Police Station in Pratapgarh District are subjected to social boycott ;

(b) whether they are neither allowed to purchase goods from shops nor to fetch water from wells; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a) to (c) : According to information received from the State Government, following a local dispute, demonstrations weie organised by some persons in Hariharganj bazar area, District Pratapgarh, on July 28, 1972 with a view to preventing the Harijans from purchasing goods in the market. There were also some complaints of harassment. The Sub-Divisional Magistrate visited the area and enquired into the matter. Proceedings have been initiated under section 107 of the Code of Criminal Procedure and are sub-judice. The Police are also investigating specific complaints lodged by some Harijans.

टेलीविजन केन्द्र आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाना

4171. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र, आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा फ्लोर मैनेजर, साउन्ड रिकार्डिस्ट और प्रोडक्शन एसिस्टेन्टों के पदों के लिये हाल ही में किये गये चयन में इंटरव्यू के लिए अयोग्य व्यक्तियों को बुलाया गया था;

(ख) क्या आवश्यक योग्यताओं वाले आकाशवाणी के कुछ स्थायी आर्टिस्टों को इंटरव्यू के लिये भी नहीं बुलाया गया था; और

(ग) इन पदों के लिये आवेदन करने वाले आकाशवाणी के स्थायी आर्टिस्टों को आकाशवाणी दिल्ली के टेलीविजन प्राधिकारियों द्वारा न बुलाये जाने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन पदों के लिए आवेदन करने वाले आकाशवाणी के जो स्टाफ आर्टिस्ट आवश्यक अर्हताएं नहीं रखते थे उनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

राष्ट्रीय कृषि-औद्योगिक निगम तथा अखिल भारतीय ग्रामीण युवक कांग्रेस द्वारा दुर्विनियोग करने की शिकायतें

4172. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि-औद्योगिक निगम तथा अखिल भारतीय ग्रामीण युवक कांग्रेस (समिति

पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत) द्वारा धोखे से ब्याज-रहित सरकारी ऋण, बैंक अग्रिम तथा ऋण प्राप्त करने और बिना उचित अनुमति के आयातित समिति की जीपों की अप्राधिकृत बिक्री से लाखों रुपये का दुर्विनियोग करने के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) तथा (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण

4173. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकार के सब विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिये स्थान आरक्षित रखे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके लिये स्थानों का उचित आरक्षण करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)

(क) तथा (ख) : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से सभी विभागों के उनके अधीन पदों/सेवाओं में रिक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करनी अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों द्वारा इन आदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को आरक्षित रिक्तियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से, भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसमें इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में विभिन्न रियायतें अर्थात् आयु-सीमा तथा उपयुक्तता के मानदण्ड में छूट देने की व्यवस्था की गई है। आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षण आदेशों में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उनमें यह भी व्यवस्था की गई है न भरे गये आरक्षणों को बाद के आने वाले तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत करने तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विनिमय करने और इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए इन आरक्षित रिक्तियों को तीसरे वर्ष तक अग्रनीत करने की व्यवस्था की गई है।

जहां तक राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 16 (4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए राज्यों के अधीन सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था करना तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करने के आदेश भी तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं।

क्विलोन में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के निर्माण में बिलम्ब

4174. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**
श्री वयालार रवि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन (केरल) में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के निर्माण का कार्य, जिसके लिए 1967 में मंजूरी दी गई थी, आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं: और

(ग) परियोजना के निर्माण कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा एक्सचेंज में अभी इतनी समाई है कि उसमें 600 लाइनों का और विस्तार किया जा सकता है। जा इस विस्तार से मौजूदा और निकट भविष्य की टेलीफोन की मांगों की पूर्ति की जा सकेगी। जब टेलीफोनों की काफी मांग बढ़ जाएगी, तब दूसरा एक्सचेंज खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और उसके बाद जिस प्रकार का उपस्कर उपलब्ध होगा उसी के मुताबिक इमारत का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।

(ग) क्विलोन में एक अन्य टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के प्रश्न पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ही इसका औचित्य सिद्ध होगा, दूसरा एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई जाएगी और उपलब्ध उपस्कर के अनुकूल इमारत बनाने के लिए कार्यवाई की जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन योजना

4175. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों सम्बन्धी 'स्व-नियोजन' योजना आन्ध्र प्रदेश में सफल रही है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष, 1972-73 के लिए कोई नये प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3576/72**]

हैदराबाद में टेलीविजन केन्द्र

4176. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;—

(क) क्या हैदराबाद में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क)तथा (ख) : हैदराबाद में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना पर पांचवी योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय विचार किया जायेगा।

राजस्थान के रेगिस्तान का हरियाणा की ओर बढ़ना

4177. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा हाल ही में किये गये भूगोलिक सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि राजस्थान का रेगिस्तान प्रतिवर्ष 8 किलोमीटर की दर से हरियाणा की ओर बढ़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है, और

(ग) रेगिस्तान को और अधिक बढ़ने को रोकने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) हरियाणा की ओर राजस्थान के रेगिस्तान के बढ़ने के बारे में योजना आयोग द्वारा हाल में कोई भूगोलिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। योजना आयोग को यह भी मालूम नहीं है कि किसी अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा हाल के वर्षों के दौरान कोई इस प्रकार का भूगोलिक सर्वेक्षण किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने अस्थायी तौर से यह विचार व्यक्त किया था कि राजस्थान का रेगिस्तान प्रतिवर्ष आगे बढ़ रहा है। यह विचार, 1935 से 1945 के वर्षों में तैयार किए

गए कुछ भूगोलिक मानचित्रों पर आधारित था। तत्पश्चात् विशेषज्ञों की जांच से पता चला कि रेगिस्तान के ठीक-ठीक बढ़ने के बारे में वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त वार्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के रेगिस्तान को हरियाणा तक बढ़ने से रोकने के लिए कोई उपाय अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की स्थिति सुधारने की दिशा में काफी उपाय किए गए हैं। जोधपुर में केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट) का पुनर्गठन किया गया है और यूनेस्को की मदद से इसे सुदृढ़ किया गया है। चरागाह विकास और वनरोपण जैसे कार्यकलापों के माध्यम से रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएँ शुरू करने के वास्ते चौथी योजना में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

समाज के अल्प संख्यक तथा कमजोर वर्गों के साथ न्याय करने के संबंध में विधेयक :

4179. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि समाज में अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के साथ न्याय हो ;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुसरण में राज्यों द्वारा कौन से वैधानिक तथा अन्य उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई विधेयक आगे लाने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) इस विषय में प्रधान मंत्री के विचार सर्वविदित हैं। उन्होंने सदैव समाज के अल्प संख्यकों तथा कमजोर वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर बल दिया है। हाल में देश के विभिन्न भागों में बुलाये गए राज्य अधिकारियों के क्षेत्रीय परिषद् सम्मेलनों में सम्बन्धित अधिकारों के विरुद्ध प्रकट रूप से कठोर व्यवहार तथा कार्यवाही करने के महत्व पर बल दिया गया है। अधिकारियों पर जोर देकर यह भी कहा गया था कि कानूनी तथा संवैधानिक संरचना के अन्तर्गत उनको उपलब्ध स्वनिर्णय का यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए कि अल्प संख्यकों तथा कमजोर वर्गों को न्याय मिले तथा समाज में अपनी कमजोर स्थिति के कारण अक्षमतावश उन्हें कोई हानि न हो।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर उपयुक्त वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। प्रस्तावित वैधानिक उपायों में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के संशोधन सम्बन्धी एक विधेयक का उल्लेख किया जा सकता है जिसका आशय इसका क्षेत्र बढ़ाने तथा उसके उपबंधों को कठोर बनाने का है, जिसे पुरःस्थापित किया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक योजनायें जैसे छोटे किसान विकास एजेन्सी, आंशिक किसान तथा कृषि मजदूर ऐजेन्सी योजना तथा आदिवासी विकास एजेन्सी परियोजना हाथ में ली गई हैं।

———

भारत-पाकिस्तान वार्ता के बारे में

Re : INDIA-PAKISTAN TALKS

Shri Jagannathrao Joshi (Shajpur) : How far is it fair on the part of the Government to issue a statement outside the House when Parliament is in Session ?

श्री समर गुह : (कन्टाई) : मैंने एक स्थगत प्रास्ताव की सूचना दी है। मेरा स्थगन प्रस्ताव बंगलादेश को मान्यता दिलवाने में असफल रहने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री अपना वक्तव्य किस समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ समय बाद वक्तव्य देंगे।

———

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मनीराम बागड़ी द्वारा उपाध्यक्ष महोदय को लिखा गया पत्र जिसमें उन पर आक्षेप किये गये हैं।

Shri R.N. Sharma (Dhanbad) : Mr. Bagri, the General Secretary of the Socialist Party has sent a telegram to the hon. Deputy Speaker condemning his action in not allowing the question raised by Mr. Shiv Shanker Prasad. He has praised the Member in his telegram.

In this connection I would like to say that Shri Shiv Shanker Prasad raised his point of order regarding the famine conditions in Bihar when Shri Swaminahan was making a speech on the Bill regarding nationalisation of General Insurance. The hon. Deputy Speaker disallowed saying that there was no point of order. After that the hon. Member resumed his seat. Again when Shri Ram Singh Bhai Verma rose to speak the said hon. Member again started interrupting the proceedings and on this Shri U.S. Chawla lost objection. The hon. Deputy Speaker then said that he will have to name the Member if the Member continued to interrupt the proceedings. The hon. Member then leg the House. There was no such thing as has been mentioned in the telegram.

श्री समर गुह : तकनीकी तौर पर किसी तार के सन्देश को तभी ठीक माना जाता है जबकि उसकी पुष्टि में कोई पत्र भी प्राप्त हो। सबसे पहले श्री बागड़ी को एक पत्र लिखकर पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का कोई तार भेजा है अथवा नहीं। तभी आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए तथा सभा में इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर विचार किया जाना चाहिए।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I would request you not to take cognizance on this telegram. This matter should be dropped.

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रस्ताव में एक मूल गलती है। श्री मनीराम बागड़ी सोशलिस्ट पार्टी के महा मन्त्री नहीं वह सोसियलिस्ट पार्टी 'लोहियावाली' के यहां मंत्री है। इस गल्ती को ठीक किया जाना चाहिए।

श्री बी. पी. मौर्य (हापुड़) : क्या इस तार पर श्री बागड़ी के हस्ताक्षर हैं ? तार किसी भी व्यक्ति द्वारा भेजा जा सकता है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस मामले की जाँच की जानी चाहिए कि इस तार को श्री मनीराम बागड़ी ने भेजा है अथवा नहीं, हम उनको अनावश्यक तौर महत्त्व दे रहे हैं। इस तार में विशेषाधिकार भंग हुआ है और सदन का अपमान भी हुआ है फिर भी मेरा निवेदन है कि इसको अधिक महत्त्व न दिया जाये। हमें इसकी केवल निन्दा ही करके मामले को समाप्त कर देना चाहिए।

Shri Jaganathrao Joshi : All this has happened because the hon. Member wanted to say something but he was not allowed. Today I have not been permitted to raise the matter. This sort of discrimination treatment results in such kind of thing.

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात पर एक अन्य सदस्य ने आपत्ति की थी। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि तार घर में तार श्री बागड़ी के नाम से ही प्राप्त हुआ है। परन्तु वास्तव में उन्होंने इसे भेजा है अथवा नहीं इस बात की जांच करनी होगी।

मैंने इस तार को आपके पास कार्यवाही के लिए भेज दिया था। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है और इसे सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए। श्री बनर्जी ने ठीक कहा है कि हमें हर प्रकार की आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। परन्तु मैं तो इस सभा की कार्यवाही चला रहा था। अब इस बात का निर्णय करना है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति सभा के चलाये जाने के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर सकता है।

मैं अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को लिए जाने पर जोर न दें।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री बागड़ी किस प्रकार के व्यक्ति हैं इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। यदि उन्होंने कोई गलती की है तो इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना चाहिए।

Shri B. P. Maurya : Once the privilege motion is aceepted, it should be pursued. But I would request that privilege motion should not be based on telegrams.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवारा) : प्रक्रिया संबंधी नियमों के अन्तर्गत इसे विशेषाधिकार

भंग का प्रश्न माना गया है। इस बात का निर्णय कि तार किसने भेजा है समिति करेगी। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री वसंत साठे (अकोला) : स्पष्टरूप से यह विशेषाधिकार भंग का मामला है। इसको सिद्ध करने के लिए किसी चर्चा अथवा तर्क की आवश्यकता नहीं है। इस तार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे विश्वास है कि यह तार श्री बागड़ी द्वारा ही भेजा गया है परन्तु मैं उनको आवश्यक महत्त्व नहीं देना चाहता।

श्री मधु दंडवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि सभा के किसी सदस्य को कोई तार मिलता है जिसकी दृष्टि किसी पत्र द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से नहीं की जाती तो क्या आप उसके आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको उठाने की अनुमति इस लिए दी थी क्योंकि इसमें अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था। भविष्य में ऐसे तारों पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

Shri Jagannathrao Joshi : If somebody raisis objection regariding running of the House outside or in then newspaper the what will be the position.

Mr. Speaker : We don't admit privilege motion based on newspaper reports.

श्री बसंत साठे : आप की इच्छा को देखते हुए मैं प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री राम नारायण शर्मा : मैं भी इस पर जोर नहीं देना चाहता।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The motion was by leave, withdrawn

Mr. Speaker : I receive many letters in addition to telegrams. These days people have little control over their tongue When I received this telegram, I felt very much shocked to find this type of language. It is not known whether it is I genine or not. We have to decide as to what action shoule be taken if such a telegram comes in future.

भारतीय खाद्य निगम की जांच से सम्बन्धित पत्रों के बारे में

Re. Papers relating to F. C. I. Enquiry

Shri Sadhu Ram (Phillam) : Mr. Speaker, Sir, the reply to the charges levelled by the Employees' Association against the chairman of F. C. I. should be laid on the Table of the House.

Mr. Speaker : It is scheduled to be discussed day after tomorrow. The relevant papers would also be laid on the Table of the House.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह सभा-पटल पर कुछ कागज रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) विज्ञान और प्रोद्योगिकी सम्बन्धी वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3549/72]

भारतीय तार संशोधन नियम

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 398 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3550/72]

बीमा संशोधन नियम, 1972, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 960 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3551/72]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 964 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3552/72]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 371 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3553/72]

काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं काफी बोर्ड के वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 3554/72]

मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन, वचन तथा प्रतिज्ञाएं

संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

निम्नलिखित विवरण जिनमें लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 25	छठा सत्र, 1968
(दो) विवरण संख्या 24	सातवां सत्र, 1969
(तीन) विवरण संख्या 23	आठवां सत्र, 1969
(चार) विवरण संख्या 24	दसवां सत्र, 1970
(पांच) विवरण संख्या 15	ग्याहरवां सत्र, 1970
(छः) विवरण संख्या 14	बारहवां सत्र, 1970

पाँचवी लोक सभा

(सात) विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 1971
(आठ) विवरण संख्या 7	तीसरा सत्र, 1971
(नौ) विवरण संख्या 5	चौथा सत्र, 1972

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3555/72]

भारतीय प्रेस परिषद का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं प्रैस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रैस परिषद् के वर्ष 1971 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3557/72]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :—मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3556/72]

सीमा सुरक्षा बल द्वारा चाँदमारी के दौरान हताहत हुए असैनिकों के बारे में दिनांक 24 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7320 के उत्तर में शुद्धि :

Correction of Answer to USD no. 7320 dated 24th May, 1972 re. injuries to Civilians During Field Firing by Border Security Force.

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

अतारांकित प्रश्न सं० 7320 के भाग (क) के उत्तर में, रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर मैने कहा था कि प्राप्त सूचना के अनुसार महिला को जो चोट लगी थी वह घातक नहीं थी। अब त्रिपुरा सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि 13 अप्रैल, 1972 को सीमा सुरक्षा बल गोकुलनगर क्षेत्र में सेना द्वारा की गई चांदमारी में गोली लगने से जो महिला घायल हुई थी, उसकी; सरकारी हस्पताल में दाखिल करने के 23 दिन बाद मृत्यु हो गई। चूंकि मृतक का कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं था; अतः मृतक के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

Statement Showing Reasons for delay in Correcting the Above Answer.

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)

24 मई 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7320 के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि प्राप्त सूचना के अनुसार 13 अप्रैल 1972 को सीमा सुरक्षा बल गोकुलनगर क्षेत्र में सेना द्वारा की गई चाँदमारी में जो चोट महिला को लगी थी वह घातक नहीं थी। उक्त उत्तर रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित था। बाद में त्रिपुरा सरकार की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि महिला की सरकारी हस्पताल में दाखिल होने के 23 दिन पश्चात मृत्यु हो गई थी। चूंकि त्रिपुरा सरकार तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचनाओं में असंगति थी अतः रक्षा मंत्रालय से उचित सत्यापन के पश्चात् सही स्थिति बताने का अनुरोध

किया गया। रक्षा मंत्रालय से तदनुसार अपने नीचे के संस्थापनों से स्थिति का सत्यापन किया है तथा उक्त व्यक्ति की हस्पताल में मृत्यु हो जाने की पुष्टि की है। अतः लोक सभा में पहले दिये गये उत्तर को सुधारने में हुई देरी के लिये खेद व्यक्त किया जाता है।

Review by Government on the Working of and the Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi:

The Deputy Minister in the Ministry of Industril Development (Shri Siddheshwar Prasad) :

I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 1970-71.

(2) Annual Report of the Natioual Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 1970—71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. L. T. 3559/72]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है : कि राज्य सभा 29 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 25 अगस्त, 1972 को पास किये गये पुरावशेष और 'बहुमूल्य कलाकृति विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
(49वां प्रतिवेदन)

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : वर्ष 1970–71 संबंधी विनियोग लेखे (सिविल), डाक और तार (रेल) तथा (सेवाएं) में बताये गये अनुसार स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय तथा समिति के 29वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
(चौथा प्रतिवेदन)

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं अधीनथ्य विधान सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(ग्यारहवां प्रतिवेदन)

कुमारी कमला कुमारी (पालामऊ) : मैं शिक्षा और कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) गुजरात में जनजाति विकास खंडों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ ।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका

PETITION REG. GRIEVANCES OF THE EMPLOYEES OF SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED CALCUTTA

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ, जिस पर श्री अलोकमय मुखर्जी तथा अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : कल मर्यादा के प्रश्न पर इतना समय लग गया कि 2 सितम्बर, 1972 को सदन की कार्यवाही पूरी करने के लिए बैठने के अतिरिक्त अब और कोई विकल्प नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब इससे सहमत होंगे ।

भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में हुई बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MEETING OF THE REPRESENTATIVES OF INDIA AND PAKISTAN IN NEW DELHI

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रधान मंत्री ने 19 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि शिमला समझौता पर दस्तखत होने के बाद से जो घटनाएं हुई हैं उन पर विचार विनिमय करने के लिए और अनसुलझी समस्याओं को शिमला समझौते के नियत भावना के अनुसार आपसी विश्वास के साथ निपटाने की भावी समस्याओं से सम्बद्ध शंकाओं को दूर करने के लिये दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक होनी

चाहिए। इसके जवाब में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 22 अगस्त को जवाब भेजते हुए कहा कि पाकिस्तान इस बात का सुनिश्चय करने के लिए दृढ़ संकल्प है कि शिमला समझौते पर उसकी भाव और भाषा के अनुरूप अमल हो और इस बात के लिये भी कि यह समझौता हमारे दोनों देशों के बीच भावी सम्बन्धों का आधार बने। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनके विशेष दूत श्री अजीज अहमद और उनकी सहायता के लिये राष्ट्र के विशेष सहायक श्री रफी रजा वरिष्ठ अधिकारियों के एक छोटे दल के साथ 25 अगस्त को नई दिल्ली पहुंच जायेगा।

2. श्री अजीज अहमद और उनके प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्यों ने 25 अगस्त, से 29 अगस्त 1972 तक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल से, जिसके नेता प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव श्री पी० एन० हक्सर थे, शिमला समझौते के बाद की घटनाओं पर इस इरादे से निःसंकोच और व्यापक बातचीत की कि इस संदर्भ में अगर कोई शंकाएं उठ खड़ी हुई हों तो उन्हें दूर किया जाये। सदन की मेज पर एक सम्मिलित वक्तव्य का पाठ रख दिया गया है जो कि इस बातचीत की समाप्ति पर प्रेस के लिये जारी किया गया था।

3. माननीय सदस्यों को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव ने 14 जुलाई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विशेष सहायक श्री रफी रजा को युद्ध से प्रभावित उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के जान और माल की सुरक्षा का सुनिश्चय करने की आवश्यकता के विषय में पत्र लिखा था जो पाकिस्तान के उन प्रदेशों में ही बने रहे थे जिन पर सिन्ध में हमारी सेनाओं ने कब्जा कर लिया था अथवा जो इधर भारत में चले आये थे। जब इसका कोई जवाब नहीं आया तो इस विषय पर मैंने पाकिस्तान सरकार के राजनीतिक कार्य एवं संचार मंत्री, श्री गुलाम मुस्तफा खान जातोई को 4 अगस्त को पत्र लिखा। श्री जातोई ने 22 अगस्त को पत्र का उत्तर देते हुए स्पष्ट लिखा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उनकी सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के बहुत इच्छुक हैं कि युद्ध से प्रभावित व्यक्ति यथाशीघ्र पाकिस्तान में अपने घरों को लौट आएं। पाकिस्तान ने सिन्ध प्रोविन्शल ऐसेम्बली के सदस्य राणा चन्दर सिंह और थापरकर के दो संसद सदस्यों को इस क्षेत्र का दौरा करने के लिये भेजने का निश्चय किया है, यद्यपि यह क्षेत्र भारतीय सेना के अधिकार में है, ताकि वहां अब भी जो लोग रह रहे हैं उन्हें पुनः आश्वस्त किया जा सके, उनके इस दौरे का एक उद्देश्य इस इलाके के बहुत से प्रमुख नेताओं को, जो इस वक्त भारत में हैं, निमंत्रण देना भी है जिससे कि ये उनसे इस इरादे से बातचीत कर सकें कि प्रभावित व्यक्तियों के वापस लौट आने पर जोर दिया जाये। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी अपने पत्र में हमारी प्रधान मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि यह प्रभावित व्यक्ति न सिर्फ खुशी से वापस अपने घरों को लौट सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रिकों के रूप में उनके जीवन और उनके सम्मान की सुरक्षा का भी उन्हें आश्वासन मिलेगा। भारत सरकार ने यह सुझाव इस आशा में स्वीकार कर लिया था कि इससे ऐसा आवश्यक वातावरण और ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिनमें प्रभावित व्यक्ति रह सकें अथवा पाकिस्तान में अपने घरों को लौट सकें और वहां जान और माल की हिफाजत के साथ रह सकें।

4. 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध-विराम के परिणामस्वरूप जम्मू तथा कश्मीर में स्थापित

वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबन्धित भारतीय सैनिक कमांडर तथा पाकिस्तानी सैनिक कमांडर के बीच वार्ता में कुछ मतभेद हो गये थे। भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलों की वार्ता से ये मतभेद दूर हो गए हैं और इस पर सहमति हो गई है कि जम्मू और कश्मीर की समूची नियंत्रण रेखा अंकित कर दी जाएगी और इस रेखा के साथ बने नक्शों का दोनों पक्षों द्वारा आदान-प्रदान होगा। रेखांकन 4 सितम्बर 1972 तक पूरा हो जाएगा। शिमला समझौते की शर्तों के अधीन दोनों पक्षों द्वारा इस रेखा की अलंघनीयता को सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि दोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने परस्पर सहमति प्रकट की है शिमला समझौते की शर्तों के अधीन वापसी 15 सितम्बर 1972 तक अब पूरी कर दी जाएगी।

5. जहां तक युद्ध बंदियों और असैनिक नजरबन्दियों की वापसी का प्रश्न है हमने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल से फिर से यह कह दिया है कि बंगला देश सरकार के सम्मिलित हुए बिना तथा उसकी सहमति के बिना यह प्रश्न नहीं तय हो सकता। हमने पाकिस्तान सरकार से जोर देकर यह बात कही है कि बंगला देश को मान्यता प्रदान करने में किसी भी प्रकार के बिलंब से स्थायी शांति तथा सम्बन्धों को सामान्य बनाने में बाधा उत्पन्न होगी तथा इससे शिमले समझौते के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी देर होगी। हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान उप महाद्वीप की नई स्थिति की सच्चाइयों को मान्यता प्रदान करने में और विलम्ब नहीं करेगा। यह उप महाद्वीप के तीनों देशों के हित में है कि वे अपने मतभेद पारस्परिक बातचीत द्वारा दूर करें।

अखबार के लिए संयुक्त वक्तव्य

भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हाल ही में हुए पत्र-व्यवहार के अनुसार दोनों पक्षों के प्रतिनिधि 25 से 29 अगस्त 1972 तक नई दिल्ली में मिले। पाकिस्तानी शिष्टमंडल में श्री अजीज अहमद, पकिस्तान के राष्ट्रपति के विशेष दूत, श्री रफी रजा, पाकिस्तान के र ष्ट्रपति के विशेष सहायक, और श्री अब्दुल सत्तार, विदेश मंत्रालय के महा निदेशक थे। भारतीय शिष्टमंडल में श्री पी० एन० हक्सर, भारत के प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव, श्री टी० एन० कौल, विदेश सचिव, श्री एस० के० बनर्जी, विदेश मंत्रालय में सचिव और श्री ए० एस० छिब, संयुक्त सचिव शामिल थे।

2. दोनों पक्षों ने शिमला करार पर हस्ताक्षर होने के बाद हुई घटनाओं की समीक्षा की और दोनों पक्षों को यदि कोई आशंकाएं हैं तो उन्हें दूर करने की आवश्यकता तथा करार के निर्विघ्न क्रियान्वयन पर विचार किया। उन्होंने इस महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के लिये शिमला करार की व्यवस्थाओं के भाव एवं भाषा के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए दोनों सरकारों के संकल्प की पुष्टि की।

3. दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सरकारों को निम्न सिफारिशें की :

(i) जम्मू-कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को हुए युद्ध विराम के फलस्वरूप निर्धारित नियंत्रण रेखा का पूरी दूरी तक रेखांकन होगा यह दोनों पत्रों द्वारा, बिना किसी स्वीकृत स्थिति

के पूर्वाग्रह के, मान्य होगा। दोनों पक्ष इस रेखा को बताने वाले नक्शों का परस्पर आदान-प्रदान करेंगे। शिमला करार के अनुच्छेद 4 (2) के अनुसार दोनों पर इस नियन्त्रण रेखा की अलंघनीयता को सुनिश्चित करेंगे। इस पर सहमति हो गई थी कि सीमा का रेखांकन 4 सितम्बर, 1972 तक पूरा कर दिया जाएगा।

(ii) कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के पैदा हो जाने के कारण सेनाओं की वापसी का काम शिमला करार में निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सकेगा। तदनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर फौजों की वापसी का काम 15 सितम्बर, 1972 तक पूरा होगा।

(iii) थारपरकर के राजनीतिक नेता भारतीय सेना द्वारा अधिकृत सिंध क्षेत्र का दौरा करेंगे ताकि वे उस क्षेत्र के रहने वालों को यह विश्वास दिला सकें कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन के निदेशक द्वारा 21 अगस्त, 1972 को भारत के सैन्य संचालन के निदेशक को दी गई योजना (अनुबंध देखिए) के अनुसार वे भारत स्थित शिविरों से लौटकर सुरक्षा एवं सम्मान के साथ वहां रह सकेंगे या पाकिस्तान में अपने घरों को लौट सकेंगे। भारतीय पक्ष इस योजना को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सुविधा देगा।

परिशिष्ट

21-8-72 को पाकिस्तान के सैनिक कार्यवाही के निदेशक द्वारा भारत के सैनिक कार्यवाही के निदेशक को युद्ध के परिणाम स्वरूप विस्थापित अल्पसंख्यकों को सिंध में पुनर्वास के लिये दी गई योजना।

1. पाकिस्तान के राष्ट्रपति का विचार है कि युद्ध के परिणामस्वरूप सभी विस्थापित व्यक्तियों को जहां तक भी सम्भव होगा उनके घरों में बसा दिया जायेगा और उनके जीवन, सम्पत्ति और अधिकारों की रक्षा की जायेगी जिससे कि वह सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें, जो कि युद्ध के कारण अस्तव्यस्त हो गया था।

2. इसकी प्राप्ति के लिये, राष्ट्रपति के निदेशन में आवश्यक मशीनरी का गठन किया गया है, योजनाएं बना दी गई हैं और विस्थापितों के पुनर्वास के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करने के लिये कारगर साधन जुटा दिये गये हैं।

3. योजना की रूपरेखा निम्नलिखित पर आधारित है :—

(क) भारतीय अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इससे पहले कि वे सिंध के क्षेत्र को खाली करें, वे अधिक से अधिक पाकिस्तान के विस्थापित राष्ट्रिकों को, जो युद्ध के दौरान या बाद में भारत आ गये थे उन्हें अपने घर वापस भेजने की व्यवस्था करेंगे।

(ख) शेष पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो किन्हीं कारणों से वापस जाने में असमर्थ हैं, भारत स्थित कैम्पों में अस्थायी रूप से रखा जायेगा।

(ग) सिंध क्षेत्र भारतीय सेनाओं से खाली होते ही पाकिस्तानी सेनायें इन क्षेत्रों में आ जायेंगी। इसके तुरंत बाद असैनिक प्रशासन स्थापित किया जायेगा जिसका कार्य पुनर्वास की व्यवस्था करना होगा।

(घ) असैनिक प्रशासन की पुनर्स्थापना के साथ पुलिस और अर्ध सैनिक प्रशासन की व्यवस्था की जायेगी जो कि संघीय आधार पर डाक एवं चलती फिरती सुरक्षित सेवाओं का प्रबंध करेगा, जिससे कि लौटने वाले अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्यवाई न हो सके।

(ङ) सहायता समितियां, समाज कल्याण संस्थाएं और जिनमें राष्ट्रीय एवं प्रभावग्रस्त राज्यों की असेम्बलियों के सदस्य और अन्य प्रतिष्ठित लोगों के बीच सदभावना कायम करने का प्रयत्न करेंगे।

(च) पाकिस्तान में सीमा के पास उचित जगहों पर स्वागत केन्द्र खोले जायेंगे जो कि भारतीय कैम्पों में रुके हुए शेष विस्थापित लोगों का स्वागत करेंगे।

(छ) इन स्वागत केन्द्रों में आये हुए व्यक्तियों को धीरे-धीरे उनके घर भेज दिया जायेगा।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो सका पैरा 3 (क) से (च) पर कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् ही बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों को जो सिंध के अन्दरूनी इलाकों में कैम्पों में रह रहे हैं और जो उन क्षेत्रों से हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय भी रह रहा है, उन्हें वहां से लाकर घरों में बसाया जायेगा।

(झ) इन प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस और अन्य न्याय लागू करने वाली एजेंसियों की शक्ति बढ़ानी है जिससे कि अल्पसंख्यकों की अधिक कारगर ढंग से सुरक्षा की जा सके।

उपरोक्त पैरा 3 (ख) से सम्बद्ध फुटनोट : जब यह स्वागत केन्द्र चालू हो जायेंगे तो इसकी सूचना भारतीय अधिकारियों को दे दी जायेगी।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकरण उपबन्ध विधेयक

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISION BILL

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति के लिये राज्य सभा से सिफारिश

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री जमना लाल बरेवा द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में; उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री जमना लाल बरेवा द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) विधेयक

FORMER SECRETARY OF STATE SERVICE OFFICERS (CONDITION OF SERVICE) BILL

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : कि भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में कुछ विषयों के बारे में परिवर्तन या उनका प्रतिसंहरण करने के लिये, और उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में कुछ विषयों के बारे में परिवर्तन या उनका प्रतिसंहरण करने के लिये, और उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTION (AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री पी० गंगा देव
(2) श्री पी० के० घोष
(3) सरदार महेन्द्र सिंह गिल
(4) श्री एस० बी० गिरि
(5) श्री एच० आर० गोखले
(6) श्री जगन्नाथ राव जोशी
(7) श्री जे० जी० कदम
(8) श्री एस० ए० कादर
(9) श्री रोबिन ककोटी
(10) श्री ए० केविचुसा
(11) श्री पीलू मोदी
(12) श्री समर मुखर्जी
(13) श्री प्रताप सिंह नेगी
(14) श्री तारकेश्वर पांडेय
(15) श्री रसिक लाल पारिख
(16) श्री झारखण्डे राय
(17) श्री राजदेव सिंह
(18) श्री जे० रामेश्वर राव
(19) श्री एस० एस० संजीवीराव
(20) श्री एस० सी० सामन्त
(21) श्री एस० के० जफ्फर शरीफ
(22) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(23) श्री नवल किशोर सिंह
(24) श्री सुन्दर लाल
(25) श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
(26) श्री एम० जी० डइके
(27) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
(28) श्री वीरभद्र सिंह
(29) श्री जी० विश्वनाथन्
(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी

और राज्य सभा के 15 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय किया गया था कि इस प्रस्ताव को चर्चा किये बिना स्वीकार कर लिया जायेगा।

प्रश्न यह है कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री पी० गंगा देव
(2) श्री पी० के० घोष
(3) सरदार महेन्द्र सिंह गिल
(4) श्री एस० बी० गिरि
(5) श्री एच० आर० गोखले
(6) श्री जगन्नाथ राव जोशी
(7) श्री जे० जी० कदम
(8) श्री एस० ए० कादर
(9) श्री रोबिन ककोटी
(10) श्री ए० केविचुसा
(11) श्री पीलू मोदी
(12) श्री समर मुखर्जी
(13) श्री प्रताप सिंह नेगी
(14) श्री तारकेश्वर पांडेय
(15) श्री रसिक लाल पारिख
(16) श्री झारखण्डे राय
(17) श्री राजदेव सिंह
(18) श्री जे० रामेश्वर राव
(19) श्री एस० एस० संजीवीराव
(20) श्री एस० सी० सामन्त
(21) श्री सी० के० जफ्फर शरीफ
(22) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(23) श्री नवल किशोर सिंह
(24) श्री सुन्दर लाल
(25) श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
(26) श्री एम० जी० उइके
(27) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

(28) श्री वीरभद्र सिंह
(29) श्री जी० विश्वनाथन्
(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी

और राज्य सभा से 15 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष महोदय करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

इंडियन कापर कार्पोरेशन (उपक्रम का अर्जन) विधेयक
INDIAN COPPER CORPORATION (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : कि राष्ट्र के सर्वाधिक लाभ के उद्देश्य से बिहार राज्य के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित संरक्षण और विदोहन करने के लिये और देश में तांबे की आवश्यकताओं को देखते हुये जन कल्याण की दृष्टि में तांबे के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिये इण्डियन कापर कार्पोरेशन लिमिटेड के उपक्रम का अर्जन करने के लिये और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभा को याद होगा कि 4 अप्रैल, 1972 को इण्डियन कापर कारपोरेशन के प्रबन्ध का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसने बाद में विधि का रूप धारण किया था। इस विधेयक में प्रबन्ध ही नहीं बल्कि स्वामित्व को भी अपने हाथ में लेने का उपबन्ध किया गया है। मार्च 1972 से इण्डियन कापर कापरेशन का प्रबन्ध हिन्दुस्तान कापर के हाथ में है जो 10 मार्च 1972 से भारत सरकार की ओर से कस्टोडियन के रूप में कार्य कर रहा हैं पिछली बार जब इस विषय पर चर्चा की गई थी क्ब भारतीय सदस्यों ने पूछा था कि सरकार सीधे रूप से अतीत क्यों नहीं कर रही है। उस समय कम्पनी की परिसापत्रियों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया था ताकि इस आधार पर उसको मुआवजा दिया जा सके। हमने धारा ।। के अन्तर्गत तथ्य किया है कि इन परिस्थितयों में मुआबजे की उचित स्थिति 7½ करोड़ रुपये होगी। इस बारे में हमने इस कम्पनी के शेयदों के बार मूल्यों के रूप में पुदन्त पूंजी पर और

कम्पनी कीं लागत पर अर्थात देयताएं निकाल कर शेष परिस्थितियों पर भी विचार किया है। इ न सब बातों पर ध्यान देने के बाद हम इस राशि को देना उचित समझा है।

इस राशि के भुगतान के लिये हमें एक कापर स्मैल्टर और शोधक कारखाना तथा उपकरण मिलेंगे और खनन के काम आने वाला सभी सामान मिलेगा जिससे हमें 10,000 टन तांबा तैयार कर सकेंगे। फिर एक पुरानी परावर्तन (रेवरबेरटरी) भट्ठी को चालू कर के, जो पिछले प्रबन्धकों ने लगभग बन्द कर रखी थी, ताँबे का उत्पादन 25,000 टन तक बढ़ाया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने के लिये हमें खनन सुविधाओं में वृद्धि करनी होगी और उसके लिये पूंजी निवेश बढ़ाना होगा। यदि हमने 10,000 टन तांबा तैयार करना हो तो हमें इससे कहीं अधिक धन राशि खर्च करनी होगी। अतः 7½ करोड़ रुपये की राशि अधिक नहीं है। इण्डियन कापर कापोरेशन गत 34 वर्षों से चल रही है। गत वर्ष के अन्त में फ्लैश मीटर लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त खनन की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये भी काफी पूंजी लगाई गई है। यदि हम इसकी तुलना खेतड़ी तांबा परियोजना से करें तो पता चलेगा कि वहां 31,000 टन तांबा तैयार करने के लिये 90 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा; मेरे विचार से 7½ करोड़ रुपये की राशि बिल्कुल उचित है। जहां तक इस राशि के भुगतान का सम्बन्ध है हम अंशधारियों को मुआवजे का किस्तों में भुगतान करने के पक्ष में नहीं हैं। छोटे अंशधारियों को कुछ अधिक और बड़े अंशधारियों को कुछ कम मुआवजा दिया जाना चाहिये। इण्डियन कापर के अंश अनेक लोगों के पास हैं। ऐसे अंशधारियों की संख्या लगभग 16000 है जिनके शेयर 2 रु० से लेकर 1000 रु० तक के हैं। 5000 और अंशधारियों के पास 1001 रुपये से 2000 रुपये तक के अंश हैं। फिर 1600 अंशधारियों के पास 2001 से 4000 रुपये तक शेयर हैं। अंशधारियों की कुल संख्या 23,620 है। 22,600 अंशधारियों के पास अंशों के कुल मूल्य के 40 प्रतिशत अंश है, 20 प्रतिशत अंश जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट, सामान्य बीमा कम्पनियों बैंकों के हैं। शेष पिछले मैनेजिंग एजेंटों या बहुत बड़ा स्टाक रखने वाले लोगों के पास हैं। किश्तों में भुगतान करने में कठिनाई यह है कि इण्डियन कापर कार्पोरेशन स्टर्लिंग कम्पनी है। इसको रुपये में भुगतान करने में कठिनाई होगी। यह कम्पनी इंगलैंड में पंजीकृत है हालांकि विदेशियों के लगभग 4 प्रतिशत या इससे भी कम अंश है। कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी संख्या कम है। यदि हम किश्तों में मुआवजा देते हैं तो इंगलैंड में रहने वाला कोई स्टर्लिंग अंशधारी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, वह अधिनियम की मान्यता को चुनौती भी दे सकता है और हमें मुकदमेबाजी में फ़ंसा सकता है। इसलिये कानूनी सलाह पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह जोखिम वाला काम है। अतः पूरी कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

पूरी कम्पनी को नियंत्रण में लेने के बाद यकमुश्त मुआवजा देने के सिवाय और क़ोई विकल्प नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों के संशोधनों को देखने से पता चलता है कि उनके विचार में मुआवजा देने की आवश्यकता ही नहीं हैं। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था हम बना रहे हैं उसमें कुछ न कुछ मुआवजा देने के लिये हम वचनबद्ध हैं। विशेषकर जब हम किसी ऐसी कम्पनी से कुछ ले रहे हैं जिसमें छोटे लोगों के अंश हैं। यही नीति का औचित्य है। हमने जब से इण्डियन कापर कारपोरेशन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, तब से उत्पादन के आँकडे इस प्रकार के हैं :—

जनवरी 1972 में 111 टन, फरवरी में 273 टन, मार्च में 624 टन, अप्रैल में 614 टन, मई में 753 टन, जून में 1114 टन, जुलाई—1146 टन और इस प्रकार उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। आरम्भ में हमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था परन्तु इन कठिनाईयों पर काबू पाने के बाद उत्पादन लगभग 13,000 टन प्रति वर्ष हो जायेगा।

जनवरी से जुलाई तक तांबा अयस्क का 3,40,340 टन था और जनवरी से जुलाई 1972 तक वह 3,81,123 टन था। अर्थात् उसमें 40,000 टन की वृद्धि हुई है। फिर जुलाई 1972 से 'वायर बार' का उत्पादन 810 टन था। इण्डियन कापर कार्पोरेशन के इतिहान में यह एक रिकार्ड है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से इसके उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। बल्कि हमें आश्वस्त हो गये हैं कि भविष्य में ताँबे के उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि राष्ट्र के सर्वाधिक लाभ के उद्देश्य से बिहार राज्य के सिंहभूम क्षेत्र में ताँबे के निक्षेपों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित संरक्षण और विदोहन करने के लिए और देश में तांबे की आवश्यकताओं को देखते हुये जन कल्याण की दृष्टि में तांबे के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिये इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड के उपक्रम को अर्जन करने के लिये और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के 6 महीने के अन्दर राष्ट्रीयकरण का यह विधेयक लाया गया है। प्रबन्ध अपने हाथ में लेने सम्बन्धी पिछले विधान के अधीन 75,000 रुपये प्रतिमास का भुगतान किया गया है और इन 6 महीनों में उन्हें बिना कोई काम किये 4.5 लाख रुपये मिल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

फिर सरकार कम्पनी की सभी देयताओं को भी अपने ऊपर ले रही है जबकि सरकार कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधेयक पर चर्चा करते समय श्रमिकों और कर्मचारियों की देयताओं को भी अपने ऊपर लेने पर सहमत नहीं हुई थी। मंत्री महोदय ने कहा था कि नियंत्रण में ली गई परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था और पुरानी कम्पनियां देयताओं को भुगतान करेंगी। परन्तु इस विदेशी कम्पनी को सरकारी खजाने से 7.5 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की जा रही है और कम्पनी की परिस्थितियों और देयताओं की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली जा रही है। कोयला कम्पनियों और इण्डियन कापर में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यह कम्पनी उसे प्राप्त होने वाली राशि में से अपनी देयताओं का भुगतान क्यों नहीं कर सकती? फिर हमें यह भी नहीं बताया गया है कि इस कम्पनी की देयताओं का ब्यौरा क्या है। हमें यह भी नहीं बताया गया कि परिसम्पत्तियाँ कितने मूल्य की हैं। उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि इस प्रकार का उपक्रम स्थापित करने पर कितनी धनरशि लगानी पड़ती है। पहले यह व्यवस्था थी कि किस उपक्रम या सम्पति के अर्जन करने के लिये बाजार मूल्य या पर्याप्त मुआवजा दिया जाना

चाहिये । बाद में यह ठीक ही महसूस किया गया कि मुआवजे के लिये बाजार मूल्य को आधार नहीं बनाया जाना चाहिये । इसीलिये अनुच्छेद 31 सी लाया गया और अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया ताकि धनराशि के मामले को न्यायालय में न ले जाया जा सके । मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु कम से कम संसद को तो यह बताया जाना चाहिये कि धन राशि का हिसाब किस आधार पर लगाया गया है ।

खंड 11 में कम्पनी के अधिग्रहण हेतु 7.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है । यह राशि लगभग 100 मास के वेतन के बराबर है । मानवीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कम्पनी का प्रबन्ध बहुत अच्छा था । यह एक अच्छी बात है । इस बारे में हम अनावश्यक रूप से कुछ नहीं कहना चाहते परन्तु हम इतना अवश्य जानना चाहते हैं कि कम्पनी भूतकाल में अपने लाभ का उपयोग किस प्रकार से करती रही । यदि लाभ की राशि का उद्योग के विचार से फिर से निवेश कर दिया गया होता तो कम्पनी की अधिष्ठापित क्षमता में अवश्य ही विस्तार हो गया होता । अतः अधिग्रहण का मुआवजा देने का आधार—न्याय संगत नहीं है । यह संविधान के सिद्धातों के विरुद्ध है ।

इस कम्पनी के 23,000 अंशधारियों में से 22,000 अंशधारियों के अधिकार में 40 प्रतिशत शेयर थे । इस विधेयक में मुआवजे की राशि अंशधारियों में वितरण करने के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं की गई है । सामान्य बीमा विधेयक में यह व्यवस्था की गई कि कम्पनी अंशधारियों के मुआवजे में से तुलनात्मक राशि दे । परन्तु इस वर्तमान विधेयक में सरकार ने 22,000 छोटे अंशधारियों के हितों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया है । फिर यह भी नहीं बताया गया है कि विदेशी कम्पनी द्वारा मुआवजे की इस राशि का किस प्रकार से उपयोग किया जायेगा । क्या इसे फिर से भारत में निवेश करने की अनुमति दी जायेगी अथवा इसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करके विदेशों को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जायेगी ।

कम्पनी का प्रबन्ध हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को दिया जा रहा है । इस का कार्य पहले ही ठीक तरह से नहीं चल रहा है । राष्ट्रीयकृत उपक्रमों का कार्य अधिक दक्षता से होना चाहिये । खेतड़ी ताँबा पारियोजना में जुलाई 1972 से उत्पादन प्रारंभ होना था परन्तु अब इस तिथि को बढ़ाकर 1974 कर दिया गया है । इसकी अनुमानित लागत 94 करोड़ रुपये से बढ़कर 154 करोड़ रुपये हो गई है ।

कम्पनी के उत्पादन संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि अधिग्रहण के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि हुई है । यह बहुत प्रसन्नता की बात है । परन्तु इस बारे में मैं एक बात जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध के विचारसे हिन्दुतान कापर लिमिटेड के कितने अधिकारी इस कम्पनी में नियुक्त किये गये हैं ? उत्पादन में यह सुधार कम्पनी के कर्मचारियों के प्रयासों का फल है, अथवा यह सुधार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के निर्देशन के अन्तर्गत हुआ है ।

मेरा सुझाव यह है कि इण्डियन कापर लिमिटेड जैसी सुप्रबन्धित कम्पनी का कार्य संचालन ऐसी संस्था को न दिया जाए जिनका अपना प्रबंध ही ठीक नहीं है । वह कम्पनी अपना ही प्रबंध सुधारे और खेतड़ी परियोजना में शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रयास करे ।

सामान्यतया यह कहा जाता है कि ताँबा उद्योग के लिए अनुभवी लोग पर्याप्त संख्या में भारत में उपलब्ध नहीं हैं। यदि हम देश में तांबे के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। जिससे कि भविष्य में इन उपक्रमों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध हो सकें। सरकार को इस बारे में कोई योजना बनानी चाहिये।

प्रबन्ध ग्रहण करने वाले विधेयक में यह उपबन्ध था कि कस्टोडियन, हिन्दुस्तान कापर द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा से निकाला जा सकता है। यह एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी। इस वर्तमान विधेयक में यह प्रबन्ध रखा गया है कि इण्डियन कापर के अधिग्रहण के पश्चात भी पुराने कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाएं बनी रहेंगी। फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि पिछले विधान के अन्तर्गत कितने अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया था? हम सरकार से यह भी आश्वासन चाहते हैं कि बड़े-बड़े कर्मचारियों को छोड़कर साधारण कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। कम से कम सेवा से निकाली जाने वाली शक्ति हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को नहीं दी जानी चाहिये।

देश में आज यह भावना व्याप्त हो रही है कि देश में तांबे का वर्तमान वितरण प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो रहा है। इसके वितरण की समुचित पद्धति होनी चाहिये। जिससे कि किसी राज्य को अथवा प्रदेश विशेष को आवश्यकताओं से वंचित न रहना पड़े। यह नहीं होना चाहिये कि एक राज्य को तो उसकी आवश्यकताओं का 75 प्रतिशत प्राप्त हो और दूसरे राज्य को उसकी आवश्यकताओं का 10 प्रतिशत ही प्राप्त हो।

Shri Ram Narain Sharma (Dhanbad): Government is providing for a compensation of Rs. 7·5 crores for acquising Indian Copper Corporation. It was a Sterling Company. But foreign companies held only 2½ per cent shares. From then the Government feared them and because of the fear of its being challenged in a court Government has proposed so much of Compensation. Recently Government paid a compensation of Rs. 16·37 crores in acquising 226 Coal mines and Coke oven plants, the same criteria for determining the quantum of compensation should have been adopted in this case also.

It has been stated that Government kept the quantum of investment in Kohetri Copper Project in view while determining the compensation for this project. But it may be pointed out that while fixing the amount of compensation for nationalised Coal Mines the investment being made into Monidih and Sidamdih projects of H.C.D.C. was not considered. An amount of Rs. 4·65 crores was invested in this company, they had been earning profits and even then we are paying them a compensation of Rs. 7·50 crores. This amount should be reduced.

This company was not properly exploiting the copper wealth. Government should pay its attention to this aspect also. It may also he kept in view that there may be certain contracts entered into by the previous management which might not be in good faith. Government could make a provision in the Bill for terminating such contracts and for preventing such an action in a court. It should also be ensured that Government should not acquise sweeping powers with regard to workers which could be misused against security of service of workers.

Shri Sarju Pandey (Gazipur) : There are certain persons in our country who are trying to discredit the public sector. They want to make believe that the performance of private sector is poor. It is a pity that the Government is not taking any step to counter this move.

The whole construction work with regard to Khetri project is being carried out through contractors. These contracters are bring labour from far off places but labourers are not provided proper facilities. They do not have any protection from rain or sun. Medical facilities are not available to them. We are talking of socialism these days. We should pay our attention towards welfare of labourers. Government should outline its policy towards labour in Public Sector.

We are hearing for many days that labour should be associated with management. But even in this Bill no such provision has been made. Age old bureaucratic attitude is continuing which is not at all related to the commn man.

Working of Public Undertakings should be comparatively superior with regard to management, labour relations so that they are become model to the private sector to emulate. It would create impression that public sector is more conducive to the development of the country.

The amount of compensation being paid to the Company is very high. Government should specify the basis adopted for working out this amount . It should also be explained as to what were the reasons for adopting different basis for working out the amount of compensation for nationalising coking coal mines and this concern ?

Government should also declare that this Bill would not have any adverse effect on the terms and conditions of workers. They would continue to enjoy those rights and facilities which they were enjoying under the previous management.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : इस कम्पनी द्वारा अपनाई गई खनन प्रक्रियाओं के द्वारा पिछले 25 वर्षों के दौरान मोसाबानी खानों को काफी हानि हुई हैं।

देश में तांबा धातु का उत्पादन लगभग 9000 मैट्रिक टन है। इसके साथ ही हमने लगभग 45,000 मैट्रिक टन मात्रा का आयात किया है। यदि हमारी आयोजना ठीक प्रकार से चली तो 1973-74 में मांग के 1,27,000 मैट्रिक टन तक बढ़ जाने की संभावना है। 45,000 मैट्रिक टन के वर्तमान आयात के लिए हमें 40 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ रहे हैं। इस दृष्टि से हमें अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए। इस धातु की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। भविष्य में इसके महत्त्व में और वृद्धि की भी संभावना है। अतः हमें इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अधिक उपाय करने चाहिएं। कुछ सदस्यों ने खेतड़ी में व्यय की जा रही धनराशि तथा मोसाबानी खानों पर किए जाने वाले व्यय के बारे में कहा कि यह बहुत अधिक है। यदि हम उपरोक्त संदर्भ में उसे देखें तो प्रतीत होगा कि यह निवेश अधिक नहीं है। क्योंकि कुछ वर्षों में ही हमें उनसे लाभ होने लगेगा।

हम कर्मचारियों के अधिकारों के छीने जाने के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा खतरा धूल का है जो कर्मचारियों के फेफड़ों पर जम कर उन्हें टी० बी० का मरीज बना देती है।

कर्मचारियों को फुट के हिसाब से बोनस देकर उन्हें गहराई में जाने के लिए उकसा कर कम्पनी ने बड़ा लाभ कमाया और इसके साथ कर्मचारियों को मौत के मुंह के ढकेला, क्योंकि पैसे के लालच में उन्होंने स्वयं को खतरे में डाला। अतः फुट के हिसाब से बोनस देने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा कर्मचारियों को बारी-बारी से इस काम पर लगाया जाये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस समय उपलब्ध अयस्क पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।

अयस्क के विकास के लिए हमें दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिएं और कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

धातु बाजार पर अन्तर्राष्ट्रीय दलालों का नियंत्रण है और उनके मूल्यों के कम या अधिक होने पर उनका प्रभाव रहता है। अतः इन एककों को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार को दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए और आवश्यक हो तो तांबे का भण्डार रखें जिससे कि उपभोक्ताओं को तांबा मिल सके, मूल्यों के घटने-बढ़ने पर नियंत्रण रखा जा सके तथा अगले तीन चार वर्ष तक ताँबे के निर्यात को बन्द किया जा सके।

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : जबकि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय तांबा निगम का केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने का मुख्य उद्देश्य सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के संसाधनों से वैज्ञानिक ढंग से तांबा निकालना था, पर इसके बाद भी देश में तावें की कमी है। परिणाम स्वरूप उसका मूल्य बढ़ता चला गया और तांबे के तारों की चोरी बढ़ गई।

1973-74 में देश में ताँबे की मांग 128,000 मीट्रिक टन होने की सम्भावना है जबकि इस समय 81,000 मीट्रिक टन की कमी है और 65 प्रतिशत मांग की पूर्ति निर्यात से की जाती है। अतः सरकार को छिपी अलौह धातुओं को निकालने के लिए भूगर्भीय सर्वेक्षण करने चाहिएं।

विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मेरा यह कहना है कि मैं प्रबन्धकों को 75,000 रुपये का मुआवजा देने के विरुद्ध हूं। जब सरकार कम्पनी की सभी देयताओं की जिम्मेदारी उठा रही है तब मुआवजा देने में कहां की तुक है। और भी अनेकों विदेशी एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है, तो क्या सरकार उन सबको मुआवजा देगी ?

मशीनों के मूल्य में कुछ वृद्धि हो सकती है पर पूंजीगत लागत को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। तांबे की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण आर्थिक नियंत्रण और तकनीकी और प्रबन्ध कर्मचारियों का आत्म संवर्धन है।

चौथी योजना में 1973-74 तक तांबे की क्षमता 9,600 मीट्रिक टन से बढ़ा कर 47,000 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। यह कार्य भारतीय ताँबा निगम और खिरकी परियोजना का विस्तार करके किया जायेगा। पुनरीक्षित योजना के अनुसार 1973-74 में तांबे का उत्पादन

मूल योजना के 31,000 मीट्रिक टन के बजाय 14,000 करने का है। आशा है माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे।

हाल ही के भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि मध्य प्रदेश के बेलाघाट जिले में मेघागंज में तांबे का बड़ा भण्डार है। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? अलवर में दरीबा में तथा चांदमारी में पाये गये भण्डारों से तांबा निकालने में भी क्या प्रगति हुई है?

ब्रिटेन से खेतरी परियोजना के लिए मिलने वाले 1.58 करोड़ रुपये में से अब तक सरकार को कितना रुपया मिल चुका है।

इन शब्दों के साथ मैं मुआवजे के उपबन्ध के अतिरिक्त विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : I support this Bill as it is for the taking over of Indian Copper Corporation. In view of the shortage of copper in the country it is a good decision.

Hindustan Copper Limited will look after the management of Indian Copper Corporation. There has been gross mismanagement of its affairs. I hope the hon. Minister will not protect its officers out of the way.

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटन) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बज रही है।......अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

Shri Shivnath Singh : Government should increase the production of Copper by taking over Indian Copper Corporation. The labourers should also be given due representation in the management. If that is done they will take more interest in their work.

We are lagging much behind the target in the case of Khetri project. To achieve the target we should give due representation to labourers in the management. We should change our attitude towards the labourers in the public undertakings.

With these words I support the Bill.

Shri Ram Rattan Sharma (Banda) : I support the Bill regarding taking over of Indian Copper Corporation. In this connection I would like to submit that the nationalisation which we actually want to do can only be done by giving representation to the labourers in the management.

We are spending Rs. 60 crores on the import of copper every year. This amount can be saved by exploiting Copper from newly found copper fields of Madhya Pradesh.

Government should employ more specialists to locate the copper deposits in the country.

I am against the provision of compensation of section II (I) of the Bill. There is no justification in paying Rs. 7.5 crores to the company having capital investment of Rs. 4 crores. Proper thought should be given to the matter of compensation.

Better service conditions and pay of the workers should be ensured.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : देश में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की व्यापक गतिविधियाँ हैं । आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार के भंडारों को इस कम्पनी के गठन से निकाला जा सकता है । यदि वे इसका उत्तरदायित्व संभालते हैं और यदि यह फलदायक सिद्ध होती है तो समूचे देश के लिए यह एक अच्छी बात होगी परन्तु यदि यह फलदायक सिद्ध नहीं हुई तो देश के सभी सरकारी उपक्रमों की बदनामी होगी ।

मंत्री महोदय जब उड़ीसा गये थे तो उन्होंने यह वचन दिया कि 60 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना जो सीसा प्रद्रावक और निकल संयंत्र के लिये होगी और क्रमशः सरगीयल्ली और सुकिन्दा में स्थापित की जायेगी । आशा है मंत्री महोदय अपने शब्दों से नहीं डिगेंगे ।

देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है, इसका केवल एक विशेष कारण है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक वचन बद्ध प्रबन्धक नहीं है । उनकी अपनी कोई नीति नहीं है । जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध नीति का सम्बन्ध है ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की अपनी कोई कार्मिक प्रबन्ध नीति नहीं है। अतः मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व स्वयं पर लेना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुस्थापित कार्मिक प्रबन्ध नीतियां हों । यदि राष्ट्रीयकरण के पश्चात यह तांबा निगम सुचारु रूप से कार्य करेगा तो सरकार और उसके उपक्रमों के प्रबन्धकों का भी नाम होगा ।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : There are vast copper diposits in Mahakaushal, Balaghat and Chhatarpur and along the banks of Narmada in Madhya Pradesh. Similarly there are deposits of iron ore in Vindhya Pradesh and Banda Tehsil in Sagar District. If they are exploited, people will get employment.

श्री एस. मोहन कुमार मंगलम : श्री सोमनाथ चटर्जी ने कई प्रश्न पूछे । 'इस्को' के मामले में हमारा यह इरादा नहीं है कि इसे पूर्व प्रबन्ध को वापस दे दिया जाये ।

जहां तक इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने का सम्बन्ध है माननीय सदस्य इस पर सभा के बाहर चर्चा कर सकते हैं ।

जहां तक विदेशी कम्पनी को मुआवजा देने का सम्बन्ध है, भारतीय तांबा निगम इस अर्थ में विदेशी कम्पनी नहीं है । इसमें 4.41 प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनियों के हैं । अतः जहां तक मुआवजा दिये जाने का सम्बन्ध है, उसका केवल 4.41 प्रतिशत विदेशों को जायेगा इससे अधिक नहीं । माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि धन विदेशों में नहीं जायेगा । श्री रामनारायण शर्मा ने पूछा है कि हम मुआवजे की राशि को निर्धारित करेंगे जबकि प्रदत्त पूंजी 4.88 करोड़ रुपये हैं यद्यपि प्रदत्त अंश पूंजी 4.88 करोड़ रुपये है परन्तु बाजार में अंश पूंजी का मूल्य 9.50 करोड़ रुपये हैं । उन्होंने पूछा कि सरकार ने यही तरीका कोककारी कोयला के राष्ट्रीयकरण में तो

नहीं अपनाया। जो मुआवजा हमने आयुक्त के पास कोककारी कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में अदायगी के लियेजमा कराया था उसके निर्धारण में हमने देनदारियों पर ध्यान नही दिया है। अतः मुआवजा अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि देनदारियों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हमने यह राशि 7½ करोड़ रुपये कैसे की, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमने देनदारियों को निकाल कर आस्तियों को लिया है। हमने कई बातों जैसे कम्पनी के वास्तविक मूल्य, अंशों का बाजार मूल्य और पूंजीकरण तथा लाभांश प्रतिलाभ पर विचार किया है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद हमने 12 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का निर्णय किया। हम इसे एक उचित औसत पर ले आये। इस प्रकार हमने इस राशि को 7½ करोड़ रुपये का निर्णय किया है।

श्री चटर्जी ने पूछा कि किन-किन अधिकारियों को निकाला गया और किन-किन को नहीं। दो ऐसे अधिकारियों को निकाल गया है जिनको ठेके के अनुसार नोटिस दिये जाने के बाद हटाया गया है। एक सुरक्षा अधिकारी को हटाया गया है। शेष किसी को नहीं निकाला गया है।

एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया कापर के अन्दर किसी नये व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है जो अधिकारी तथा कर्मचारी इसमें पहले कार्य कर रहे थे, वे ही कार्य कर रहे हैं।

श्रमिकों और साधारण कर्मचारियों की सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जो उनके अहित में हो। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात के प्रति सतर्क रहेंगे कि इस खंड का कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध प्रयोग न हो।

श्री चटर्जी ने वितरण के बारे में पूछा। प्रतिवर्ष लगभग 9600 से 10.000 मीट्रिक टन के उत्पादन में से 6,000 मीट्रिक टन सीधा सरकारी विभागों, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को दिया गया और उसका काफी भाग रक्षा मंत्रालय को भी दिया गया। खेतड़ी और घाटसिला में भारतीय तांबा निगम द्वारा औद्योगिक पीतल के लिए सेलिंग प्रयोजन हेतु लगभग 2000 मीट्रिक टन तांबे का उपयोग किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद हमने हिन्दुस्तान कापर को 1972 में औद्योगिक पीतल में रोलिंग के लिए 4000 मीट्रिक टन का प्रयोग करने की अनुमति इसलिए दी कि हमने इस बात को ध्यान में रखा कि तांबे का उत्पादन पहले से थोड़ा अधिक होगा। यदि बंगाल को कोई हानि हुई है तो माननीय सदस्य ब्यौरा दे सकते हैं, मैं उसकी जांच करूंगा।

जहां तक खेतड़ी में श्रमिकों की हड़ताल आदि का प्रश्न है, उस विषय का इस विधेयक की विषय-वस्तु से सम्बन्ध नहीं है अतः उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।

जहां तक महाकौशल और बालाघाट में ताबे के भंडारों का सम्बन्ध है, हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं तथा वहां निश्चय ही एक प्रदावक स्थापित करेंगे।

मैं श्री कलिंगारायार से इतना कहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; कि राष्ट्र के सर्वाधिक लाभ के उद्देश्य से बिहार राज्य के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित संरक्षण और विदोहन करने के लिए और देश में तांबे की आवश्यकताओं को देखते हुए जन कल्याण की दृष्टि में तांबे के निक्षेपों का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड के उपक्रम का अर्जन करने के लिए और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड वार चर्चा होगी । खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है । अतः प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clanse 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद : मैं अपना सँशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूँ । क्या सरकार को इस पर कोई आपत्ति है ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : यह संशोधन भ्रम पर आधारित है क्योंकि यद्यपि मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है परन्तु पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के खेतड़ी नगर में है । मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 13 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोम्बी के दो संशोधन हैं परन्तु वह अनुपस्थित हैं। अतः प्रश्न यह है "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ। इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि अधिग्रहण के पश्चात भी मुकदमे अथवा कोई कार्यवाही केन्द्र सरकार के विरुद्ध न होकर हिन्दुस्तान कॉपर के विरुद्ध चलती रहे। इसलिए मैंने पृष्ठ 3 पंक्ति 18 में "इस अधिनियम के आधीन" शब्द जोड़ कर सुझाव दिया है।

श्री एम. मोहन कुमारमंगलम : खण्ड 5 (4) तथा 6 (2) सामान्य उपबंध हैं तथा इन्हें सभी परिसम्पत्तियों दायित्वों आदि के लिए शामिल किया जाता है। जिनका अधिग्रहण किया जाता है, अतः उक्त शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clanse 6 was added to the Bill

खण्ड 7 तथा 8 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 7 and 8 were added to the Bill

खण्ड 9

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तथा श्री शर्मा अनुपस्थित हैं।

अतः प्रश्न यह है "कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 6 तथा 7 प्रस्तुत करता हूँ। कृपया इन्हें अलग-अलग मतदान के लिये रखें।

संशोधन संख्या 6 पर सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha devided on Amendment No. 6

पक्ष में 28 विपक्ष में 103
Ayes 28 Noes 103

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे संशोधन संख्या 6 का अभिप्राय खण्ड 11 से उप खण्ड (2) को निकालना है जिसमें 7.5 करोड़ रुपये पर ब्याज देने का उपबन्ध है। जब मंत्री महोदय इस कार्य को "काफी उचित" बताते हैं तो फिर 4 प्रतिशत ब्याज की दर रखने का क्या कारण है?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति को नहीं समझ सका शायद यह किसी विशिष्ट तारीख से ब्याज देने के बारे में है। यह किसी भी विधेयक की एक सामान्य व्यवस्था है कि धनराशि जमा कराने के बाद ब्याज की अदायगी की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 7 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 11 तथा 12 से 15 तक विधेयक अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 11 तथा 12 से 15 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 11, 12 to 15 were added to the Bill

खण्ड 16

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नारायण शर्मा का संशोधन है परन्तु वह अनुपस्थित हैं अतः प्रश्न यह है : "कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 16 was added to the Bill

खण्ड 17

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 8, 9, 10, 11, तथा 12 पेश करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन श्री राम नारायण शर्मा का भी है परन्तु वह अनुपस्थित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे इन संशोधनों का अभिप्राय यह है कि खण्ड 5(3) के अनुसार ही खण्ड 17 में भी "कार्यकारी प्रबंध" की व्यवस्था की जाये ताकि अनुबंधों तथा करारों का अन्त किया जा सके। संक्षेप में जो व्यवस्था खण्ड 5(3) के अधीन की गई है उसे खण्ड 17 के अधीन लाना भी अपेक्षित है।

श्री ऐस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य देखेंगे कि जहां खण्ड 5(3) में "अनुबन्ध तथा कार्यकारी प्रबंध" शब्द है वहां खण्ड 17 में "अनुबंध तथा करार" ये शब्द हैं। मुझे सलाह दी गई है कि "करार शब्द स्वयं इतना व्यापक है कि शब्द "कार्यकारी प्रबंध" जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और यह उचित भी है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 से 12 सभा में मतदान के लिये रखे ग तथा अस्वीकृत हुए
Amendments No. 8 to 12 were put and negatives.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 17 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई संशोधन नहीं है। अत : प्रश्न यह है "कि खण्ड 18, 19 खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 18, 19, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा वि ोयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये हैं।

Clauses 18, 19, Clause 1, the Enacting Formula and the Tile were added to the Bill

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कीटनाशी (संशोधन) विधेयक

INSECTICIDES (AMENDMENT) BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : मैं, श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूँ।

"कि कीटनाशी विधेयक, 1968 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य कीटनाशी अधिनियम 1968 में संशोधन करना है जिससे कि इस की अवधि को 31 दिसम्बर 1972 तक बढ़ाया जा सके ताकि कीटनाशक दवाओं के बहुत से निर्माताओं, आयात कर्ताओं तथा विक्रेता अपने को जो निर्धारित समय पर पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र नहीं दे सके, भारत सरकार की पंजीकरण समिति को अपने उत्पादों के पंजीकरण तथा राज्य अधिकारियों से लायसेंस लेने के लिये आवेदन पत्र दे सकें। ऐसे लोगों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाने से राज्य इन उद्योगों से कीटनाशक दवायें खरीद सकेंगे और सारे देश में सूखे के कारण खाद्यान्नों तथा दूसरी आवश्यक कृषि वस्तुओं को हुई भारी क्षति को ध्यान में रहते हुए उत्पादन को बढ़ाने हेतु इस आवश्यक वस्तु की सप्लाई को अस्त-व्यस्त होने से बचा सकेंगे इस संशोधन के फलस्वरूप बहुत-सी निर्माता कंपनियाँ बन्द होने से बच जायेंगी तथा विशेष कर ऐसे समय में जबकि हमें अपनी फसलों की रक्षा के लिये बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता है। ये उत्पादकर्त्ता कई कारणों से जैसे लायसेंस एजेंसी की स्थापना में विलंब, प्रचार की कमी, राजपत्र अधिसूचनाओं के उपलब्ध न होने के कारण अपने आवेदन पत्र समय पर नहीं दे सके थे तथा फलस्वरूप लायसेंस नहीं प्राप्त कर सकें थे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया ; "कि कीटनाशी विधेयक 1968 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक का सीमित उद्देश्य पंजीकरण कराने तथा लायसेंस प्राप्त करने हेतु समय

अवधि में वृद्धि करना है। अतः माननीय सदस्य इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। श्री एस०पी० भट्टाचार्य ?

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : इस विधेयक का मैं समर्थन करते हुए एक-दो बातें कहना चाहता हूँ। हमें यह निश्चय करना चाहिये कि नकली तथा मिलावटी रसायनों द्वारा गरीब किसानों को ठगा न जाये। साथ ही उन्हें इन रसायनों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिये अन्यथा ये खतरनाक भी सिद्ध हो जाते हैं। डी. डी. टी. को हम प्रायः उपयोग में लाते हैं परन्तु इस दवा के बाद के परिणाम बड़े ही भयंकर होते हैं। अमरीका में तो इस का उपयोग बन्द कर दिया गया है। अतः हमें ऐसे रसायनों के सभी प्रभावों की जानकारी होनी चाहिये। होना तो यह चाहिये कि कीटाणुओं का नाश करने के लिये कोई अन्य उपाय खोजा जाये। सोवियत संघ में पक्षियों तथा अन्य प्रकार के कीड़ों का उपयोग किया जाता है।

इन चेतावनी भरे शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : It is really a very small and innocent Bill, and I support it. It is good that the time limit has been extended for taking a licence and in the event of failure to do so punishment has been provided. But there is a big problem of adulteration these days, and it is really very surprising that there is no mention of it in this Bill. I have myself seen, insecticides, for example D.D.T. proving totally ineffective, although it is sold at exorbitant rates. So it is evident that adulteration is being done without any let or hinderance. It would be stopped forthwith.

Much has been said and claimed about the green revolution in the country. But it should also be realised that fertilizen, insecticiders, seeds and irrigation facilities are also very essential for it. These insecticides are not available at least in our block and the same can be had in the blackmarket. So, there should be proper distribution arrangements. Only then the purpose of this Bill will be properly served.

With these words, I support the Bill.

***श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम)** : अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कजगम की ओर से मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। इस संशोधन विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 9,13,17 तथा 18 को संशोधित करने का प्रस्ताव है, मंत्री महोदय ने कहा था कि राज्यों ने समय पर लायसेंस एजेन्सियां स्थापित नहीं कीं तथा अनेक कीटनाशी निर्माताओं को गजट अधिसूचनायें उपलब्ध नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने राज्यों पर दोष मढ़ा है। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया ? वह सभा को यह भी बतायें कि मुख्य अधिनियम की धारा 9 तथा 13 कब से लागू हुई।

क्योंकि हम देश में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग कर रहे हैं इस लिये पौधों की रक्षा करने के लिये कीटनाशी दवाओं का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह बताया गया है कि कीटनाशी औषधियों के प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रम को कीटनाशी औषधियों की उपयुक्त समय पर अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया है। जहां तक पौधों के संरक्षण का सम्बन्ध है, 1971-72 के लिये 5 करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु वास्तव में 3.5 करोड़ हेक्टेयर में पौधों का संरक्षण किया गया। पौधों का संरक्षण करने वाली योजना को 1.5 करोड़ हेक्टेयर में लागू नहीं किया जा सका है। कीटनाशियों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण 16.3 करोड़ हेक्टेयर के कुल फसल वाले क्षेत्र के एक तिहाई भाग में भी यह योजना लागू नहीं की गई। खाद्य तथा कृषि दल संगठन के एक अध्ययन दल ने अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये की फसल को क्षति होती है क्योंकि समय पर पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी उपलब्ध नहीं होते। अतः अत्यन्त अनिवार्य है कि कीटनाशियों के निर्माताओं को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाये।

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : The bill has been brought to protect the crops of the farmers from insects. I support this bill. Our Government machinery is also suffering from a disease because of which our schemes do not fructily. May I know whether the Hon. Minister has paid his attention to it. The Government manufactures insecticides and supplies it to Government centres for distribution. But the corrupt officers-who are charged with the duty of distribution of these insectisides do not distribute them properly. Insecticides are not available to farmers at a proper time. The Government should look into the matter. With these words I support the Bill.

कृषिमंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें उठाई हैं। इन औषधियों के प्रयोग में सावधानी बरतने की बात कही गई है। यह भी कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे लोगों को यह पता चल जाये कि अमुक कीट-नाशी औषधि विषैली है जिससे उसे सावधानी से प्रयोग किया जा सके। ऐसे मामलों में हम विशेष सावधानी बरतते हैं। इन कीटनाशी औषधियों पर लेख चिपकाये गये हैं। जिन पर लिखा गया है कि ये औषधियाँ विष हैं। लेबिलों पर प्रतिकारक भी निर्दिष्ट किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती से इन कीटनाशी औषधियों का प्रयोग कर लेता है तो वह इन प्रतिकारकों का प्रयोग करके स्वस्थ हो सकता है। इस प्रकार इनके सम्बन्ध में प्रत्येक सावधानी बरती जाती है।

विधेयक में उन लोगों को दंड देने का उपबन्ध किया गया है जो कीटनाशी औषधियों के पंजीकरण के लिये आवेदन देते हैं तथा जो 17 मास के बाद आवेदन नहीं भेजते। कीटनाशी औषधियों का पंजीकरण कराया जाना इसलिये आवश्यक है कि सरकार उसके गुण-दोषों का परीक्षण कर सके। यदि समय पर पंजीकरण नहीं कराया जाता तो हम दंड की व्यवस्था करते हैं। यह व्यवस्था केवल पंजीकरण तथा आयात कर्ताओं और निर्माताओं तथा बड़े लोगों के लिये हैं। छोटे वितरकों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की दण्ड व्यवस्था का विरोध करने की तो कोई बात समझ में नहीं आती।

जहां तक इन कीटनाशियों के मूल्य का प्रश्न है हमने सदैव यही प्रयत्न किया है कि इनके मूल्य कम से कम हों।

कहा गया है कि कीटनाशी औषधियां उपयुक्त समय पर सप्लाई नहीं की जाती हैं। हम किसानों को औषधियों को सप्लाई करने तथा आँतकित क्षेत्र में विमानों से औषधियाँ छिड़कने की ओर पूरा ध्यान देते हैं। यह कार्य केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकार को करना होता है। हम इस कार्य के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देते हैं। राज्य सरकारें भी अनुदान देती हैं। इन औषधियों का मूल्य कम रखने के लिये हम सहायता देते हैं।

इन कीटनाशियों की किस्मों पर नियंत्रण रखने के लिये ही हमने पंजीकरण की व्यवस्था की है। विधेयक में औषधियों की किस्मों पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं दिये गये हैं अतः मैं सभी खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है "कि खंड 2 से 5, खंड १ अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 से 5, खंड १ अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 2 to 5, Clause 1 the Enacting formula and the Title were added to the Bill

प्रो० शेरसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक
RICE MILLING INDUSTRY (REGULATION) AMENDMENT BILL

प्रो० शेरसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का जम्मू और कश्मीर राज्य पर विस्तारण करना है और यह आवश्यक है कि धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 को उस राज्य पर लागू किया जाये। यह आवश्यक है कि जम्मू और कश्मीर

राज्य में चल रही धान मिलों को भी धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 के कार्य-क्षेत्र में लाया जाये। जिससे जम्मू और कश्मीर राज्य में धान मिलों के नियंत्रण और विकास के मामले में समानता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

यह एक छोटा-सा विधेयक है जो उक्त अधिनियम को जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू करने के सम्बन्ध में है। आप लोगों को यह निश्चित करना है कि उक्त अधिनियम का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के लिये किया जाये अथवा नहीं।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं, परन्तु मुझे इस संबंध में कुछ बातें कहनी हैं।

पहली बात यह है कि ये धान कुट्टन मिलें काले बाजार तथा अपमिश्रण और जमाखोरी का साधन बन गयी हैं। यदि सरकार वास्तव में निर्धन वर्गों की सहायता करना चाहती है तो धान कुट्टन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

दूसरे, धान कुट्टन मिलों से हस्थ कुट्टन उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यदि धान कुट्टन तथा भूसी निकालने का काम हाथ से किया जाये तो कम से कम गांवों में कुछ हद तक बेकारी की समस्या दूर की जा सकती है क्योंकि वहां इस उद्योग से स्त्रियों को कुछ रोजगार मिलेगा।

भूसा निकालने वाली मशीनों का श्रमिकों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भूसा निकालने के कार्य में जो श्रमिक लगाये जाते हैं मशीनें लगाने में उनकी संख्या कम हो जाती है। यदि हस्थ कुट्टन प्रक्रिया जारी रखी जाये तो बहुत-सी महिलाओं को रोजगार मिल सकता है।

मिल मालिक प्राय: चावलों पर अत्यधिक पालिश करते हैं इससे चावल के पोषक तत्त्वों की हानि होती है। क्या इस स्थिति को रोकने के लिये विधेयक में कोई व्यवस्था की गई है?

सरकार पर्याप्त चावल प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। मिलों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार कौन-से कदम उठा रही है?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में एक नयी चावल मिल स्थापित की गयी है। चार वर्ष व्यतीत हो गये हैं और मिल अभी तक चालू नहीं हुई है। इस बारे में हमें पता चला है कि मिल बासमती चावल के उत्पादन के लिये लगायी गयी है। इस जिले के लोग इस प्रकार का चावल नहीं खाते हैं। इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : इस संशोधन विधेयक के उपबन्धों से मुख्य अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर भी लागू हो जायेगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अधिनियम में विस्तार से संशोधन करके इसे जम्मू और कश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिये।

यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के अन्त तक 8 करोड़ टन धान का उत्पादन होगा और इस प्रकार चावल कुट्टन उद्योग एक वर्ष में लगभग 4 हजार करोड़ की सामग्री का उपयोग करेगा जिससे यह उद्योग देश का महत्त्वपूर्ण खाद्य उद्योग हो जायेगा। देश में 67,100 धान कुट्टन मिलें हैं। जिनमें से 57,400 सिंगल हलर मिलें हैं। इन मिलों में दोषपूर्ण तथा पुरानी मशीनों के कारण हर वर्ष 50 प्रतिशत धान बेकार हो जाता है। यदि सरकार वर्तमान मिलों के आधुनिकीकरण तथा नई आधुनिक धान कुट्टन मिलों के लगाने की योजना नहीं बनाती तो हमें 2,000 करोड़ रुपये के मूल्य के धान की हानि प्रत्येक वर्ष होती रहेगी जो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य के लिये मंहगी पड़ेगी।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सान्निध्य में अक्तूबर 1971 में जो गोष्ठी हुई थी उसमें मिलों द्वारा चावल निकालने के संबंध में जो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये उन्हें अपने देश में भी कार्यरूप दिया जाना चाहिये।

भारतीय खाद्य निगम को 24 आधुनिक चावल मिलों की स्थापना करनी थी जिसमें से अब तक 13 मिलें लगायी गयी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि शेष आधुनिक चावल मिलें कब तक लगायी जायेंगी।

सरकारी क्षेत्र में धान मिल संबंधी मशीनों के निर्माण के एक एकक की स्थापना की जानी चाहिये। इस समय कलकत्ता, भिवान्डी (महाराष्ट्र) और मद्रास में गैर सरकारी क्षेत्र के तीन एकक हैं और जहाँ तक धान मिल संबंधी मशीनों का संबंध है वे देश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० शेर सिंह। कृपया आप संगत प्रश्नों का ही उत्तर दें।

प्रो० शेर सिंह : दो बातें संगत हैं—

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : श्रीमन्, मैं भी बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था परन्तु आप यहाँ उपस्थित नहीं थे।

श्री डी० के० पंडा : कृपया 1 मिनट का समय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विधेयक का विषय क्षेत्र पता है। आप इसी क्षेत्र तक सीमित रहें।

श्री डी० के० पंडा : वर्तमान अधिनियम में चावल मिलों पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था है। यह विधेयक उक्त अधिनियम को जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू करने के विषय में

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech elivered in Tamil.

लाया गया है। हम इस अधिनियम के उपबंधों की उत्तरोत्तर क्रियान्विति के बारे में कहते आ रहे हैं किन्तु हमारे प्रयासों के उपरान्त भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हमने देखा कि यह चोर बाजारी का मुख्य साधन बन गया है। पश्चिम बंगाल में इन मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई क्योंकि खाद्य निगम द्वारा 65,000 और 70,000 के बीच चावल मिलें स्थापित कर दी जाने पर भी इस क्षेत्र में गैर-सरकारी व्यापारियों का प्रभुत्व है। ये व्यापारी चोर बाजारी करते हैं। सरकार द्वारा जिन मिलों को लाईसेंस दिया जाता है उन्हें सरकार को चावल देना होता है किन्तु वे कानून का उल्लंघन करती आयी हैं और चावल का अधिकांश भाग चोर बाजारी में बेचती हैं। इनसे कानून पालन कराने के सम्बन्ध में सावधानी बरती जानी चाहिये। यह कह कर हम अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकते कि यह राज्य सरकार का कार्य है। इस कानून का उत्तरोत्तर क्रियान्वयन कराने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपने दायित्व के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। लाइसेंस देने में भेद-भाव किया जाता है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को निदेश देना चाहिये कि छोटे लोगों द्वारा ऐसे आवेदन किये जाने पर उनके साथ न्याय किया जाना चाहिये।

प्रो० शेर सिंह : हम हस्त-कुट्टन को समाप्त नहीं करना चाहते। इसके लिये हम पर्याप्त सुविधाएं देना चाहते हैं। मूल अधिनियम का उद्देश्य यही था, जिसे अब जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य पुराने धान कुट्टन कारखानों तथा इसकी मशीनरी का आधुनिकीकरण करना था इस हेतु हम चावल कारखाने के मालिकों को पर्याप्त सहायता दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 2 और 3, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

प्रो० शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी

STATUTORY RESOLUTION Re. DISAPPROVAL OF DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

संविधि के संकल्प और दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 जून, 1972 को प्रख्यापित दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

There was no justification for promulgating the ordinance. There was no pressing situation to warrant the promulgation of the ordinance. The Government could have brought forward the Bill in Parliament. The Gajendragadkar committee in their report stated that the present character of the Delhi University should not be changed. In view of that there was no necessity for the Government to promulgate the ordinance changing the character of the University.

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwary in the Chair

The Government is attempting to change the federal character of the university. Nowody will gain by deliuting. The present measure aims at satisfying the when of the Minister. The Government is making an attempt to introduce politics in the university through teachers council. This council will not in any way benefit the teachers.

The Delhi University has been maintaining a good standard. Now it will deteriorate because of the trouble. The Government has already created trouble by passing a similor measure for Aligarh University. Now they will create trouble in Delhi University.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अध्यापकों द्वारा विरोध किये जाने के वावजूद भी मंत्री महोदय विधेयक को इस सत्र में क्यों पारित करवाना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर। प्रश्नों को पूछने का यह समय नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : यह एक गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : यदि माननीय सदस्य व्यवधान डालते रहेंगे तो मैं आपसे सुरक्षा का अनुरोध करूंगा।

श्री समर मुखर्जी : विश्वविद्यालय में तालाबंदी है......

सभापति महोदय : ये मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा।

श्री समर मुखर्जी : *

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया
Not recorded

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए ।"

मैं इस बात से सहमत हूं कि मामूली बात के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालयों के मामले में, जहाँ तक हो सके, अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिये । लेकिन इस अध्यादेश को जारी करने के कुछ कारण थे ।

इस विश्वविद्यालय के विस्तार और प्रशासनिक कठिनाइयों के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारी बहुत चिंतित हैं । छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों और महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ रही है । एक अन्य कैंम्पेस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । अन्त में उपकुलपति ने इस बात का अनुभव किया कि दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करना ही उचित होगा । विश्वविद्यालय ने समस्या का समाधान करने के लिये अन्य उपायों की खोज की ।

विद्यार्थियों की संख्या एक लाख और अध्यापकों की संख्या चार हजार है । प्रशासन के लिये एक छोटी-सी कार्यकारी परिषद से काम नहीं चल सकता । इस बात को ध्यान में रखते हुए उपकुलपति ने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया कि वे विजिटर को अध्यादेश जारी करने के लिए सलाह दें जिससे ज्योंही नया शिक्षा सत्र आरम्भ हो किसी भी व्यक्ति के लिए यह सम्भव हो सके कि वह समस्याओं के सम्बन्ध में पर्याप्त अधिकार से जांच कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि सत्र के आरम्भ होने से पहले छात्रों तथा अध्यापकों की बुनियादी आवश्यकताओं पर विधिवत् विचार किया जाये । अध्यादेश जारी किये जाने का यही कारण था । इस विधेयक द्वारा विश्वविद्यालय के वर्तमान स्वरूप का कोई विरोध नहीं होता है । सरकार का विद्या परिषदों की शक्तियों को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है । इस विधेयक तथा प्रस्तावों से विद्या परिषदों के नियंत्रण पर कोई प्रभाव अथवा उसमें कोई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का शिष्टमंडल फरवरी में मुझसे मिला था । मैंने उन्हें कहा कि यदि उनके कोई सुझाव हों तो मैं उन पर विचार करूंगा । मुझे उनसे कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुये ।

स्नातकोत्तर तथा स्नातक-पूर्व शिक्षा को अलग-अलग करने के पक्ष में मैं नहीं हूं क्योंकि इससे स्नातक-पूर्व शिक्षा निर्बल हो जायेगी । स्नातक-पूर्व शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान ये तीनों किसी भी विश्वविद्यालय के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं । यदि इसके शैक्षिक जीवन को फलना-फूलना है ।

विधेयक के प्रथम उपबन्ध में कहा गया है कि जिन महाविद्यालयों की व्यवसायिक शाखाओं में अध्ययन के पाठ्यक्रम हैं उन्हें सम्बद्ध महाविद्यालयों की अनुमति से एक ऐसे तरीके से जैसा कि विद्या परिषदें निर्धारित करें, स्वायत महाविद्यालयों के रूप में घोषित किया जायेगा । ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि यह किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये । यह अध्यापकों, विद्या परिषदों पर पूरी तरह से छोड़ा जा रहा है कि वे निश्चित करें कि किस प्रकार अनुमति ली जानी है ।

अध्यादेश में पहले हमने एक महाविद्यालय परिषद के लिए उपबन्ध किया था। किन्तु आशंकाएं उठाये जाने के कारण हमने राज्य सभा में एक संशोधन की स्वीकृति दी है जिसमें कहा गया है कि वे महाविद्यालय परिषदें नहीं कही जायेंगी किन्तु इन्हें महाविद्यालय प्रशासनिक परिषदें कहा जायेगा। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि उनका कार्य केवल प्रशासनिक होगा। यह शक्ति उन्हें कार्यकारी परिषद द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है न कि विद्या परिषद द्वारा शैक्षणिक कार्य केवल सलाहकारी कार्य हो सकते हैं किन्तु कार्यकारी कार्य विश्वविद्यालय के प्राधिकार के रूप में ही उस सीमा तक जहां तक ये उन्हें कानून द्वारा दिये गये हैं, किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में उपकुलपति ने लिखत में यह वक्तव्य दिया है। मैंने इस सभा में आश्वासन दिया था कि जहां तक कानूनों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करने को तैयार है ताकि इन विचार विमर्शों के फलस्वरूप अध्यापकों के हित में कोई मौलिक बात प्रकट हो जाये। उपकुलपति ने फिर कहा कि वह आगे कार्यान्वयन के बारे में और कार्यवाही नहीं करेंगे और वह स्थिति को स्थिर करके विचार विमर्श करेंगे और केवल तभी कोई कार्यवाही करेंगे और यह एक समर्थ बनाने वाला उपबंध है ताकि यदि कार्यकारी परिषद और इस विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद सहमत हो जाये तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

धारा 4 के अधीन संविधियों के बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। मूलतः कोर्ट और विजिटर के अनुमोदन से कर्मचारी परिषद द्वारा इन संविधियों को तैयार किया जाता है। किन्तु इसके बाद शिक्षा संबन्धी विचार इस सीमा तक उत्पन्न हुआ कि संविधि तैयार करने की किसी प्रकार की शक्ति इस कोर्ट को जिसमें इतने अधिक गैर शिक्षक मौजूद हों, नहीं दी जानी चाहिए।

यह सिद्धान्त कि कोर्ट को संविधि बनाने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये, इस सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामले में स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसे बनारस विश्व भारती और हाल ही में अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के मामले में भी स्वीकार किया गया। विद्या परिषद में शिक्षक ही हैं कालिज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बीच भेदभाव करना अनुचित होगा।

मैं माननीय सदस्यों से सदाशयता के लिये निवेदन करता हूं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अध्यापकों को इस विवेयक के बारे में बतायेंगे कि यह विधेयक उनके हित में है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव और संकल्प सभा के विचार के लिये प्रस्तुत हैं।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटन) : विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत करते समय दिये गये उद्देश्यों और कारणों में :

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह सभा इस समय, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विधेयक पर विचार कर रही है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : विवरण में दिया गया है कि यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किये गये हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि जब उक्त समिति के प्रतिवेदन सभा में नहीं रखे जाते हैं तब हम इस पर किस प्रकार विचार कर सकते हैं?

जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उक्त समिति के सभापति ने आग्रह किया था कि इस प्रतिवेदन का परिचालन रोक दिया जाये। हमें पता चला है कि सभापति द्वारा इस आशय के पत्र को आयोग के एक अधिकारी द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि उचित तो यही है कि इस विधेयक पर विचार स्थागित कर दिया जाये।

इस विधेयक के विरुद्ध दिल्ली विश्व-विद्यालय के 3500 शिक्षकों तथा सभी छात्रों और कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। जब शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारी इससे असन्तुष्ट हैं तो इसका उपयोग ही क्या है!

विश्वविद्यालय के नीति निर्धारित करने वाले निकायों में शिक्षक एवं छात्रों को प्रतिनिधित्व देने की माँग का उल्लंघन किया गया है।

विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा माननीय शिक्षा मंत्री के रवैये ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ऐसा रुख अपनाने के लिये विवश कर दिया है।

प्रस्तावित प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी किया जा सकता है।

कालेजों की वर्तमान प्रबन्ध समितियां निजी न्यासों द्वारा चलाई जा रही हैं। कालेज प्रशासनिक समितियों को अधिक शक्तियां देने को प्रस्ताव भी किया गया है। यह सुझाव दिया गया था कि अधिक से अधिक कालेजों को दिल्ली प्रशासन के अधीन रखा जाये। अधिनियम में शिक्षक की यह परिभाषा दी गई है:

"वह व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य कालेज में शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा अभिस्वीकृत है।"

इसके अन्तर्गत उप-कुलपति और मन्त्री महोदय को कैसे लिया जा सकता है?

मन्त्री महोदय को अध्यादेश को वापस लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए!

मैं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

Shri Sudhaker Pandey (Chandauli : I support this bill and my party have always been helding the views that politics should not be allowed to play a part in the educational spheres and institutions. It was for the teachers to find out ways for better education. But they could not do that. The academic council has given certain suggestions for the welfare of all concerned. If these suggestions are acceded to by the Government what is the horm.

In one department there are 4 to 5 hundred teachers but the head of the department can not prevent any of the teachers from doing anything that is against the interests of the teachers.

We are undertaking an experiment and if we do not succeed in it we shall do away with it.

There should be complete unity amongst the teachers and if there is a call for a strike from the teachers every institution should be closed. But I do not understand why this strike is being organised.

There is no proposal to restrict the rights of the teachers and it has also been stated that acadamic council would be a suoperme body and even the executive cannot act against it.

So I again call upon all the teachers, whether they are or strike on not, to look into the matter and consider the matter with a cool heart. We have merely imparted education but have not cared to build character. Efforts should also be made to see that students are not involved in politics. The students sould not led themselves into the hands of politicians.

We are bringing forward this legislation for the welfare of the country and there is no question of any self interest in this matter.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मेरे दल ने अध्यादेश का विरोध किया था। यह ठीक है कि इस विधेयक द्वारा कुछ परिवर्तन किये गये हैं। परन्तु मेरा यह स्पष्ट मत है कि प्रस्तावित सुधार एकांगी हैं। हमें खेद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के लिये व्यापक विधेयक नहीं रखा गया है।

मुझे मन्त्री महोदय के भाषण पर संतोष नहीं है। यह स्मरण रहना चाहिये कि जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तभी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं। कर्मचारी तथा छात्र भी उनका समर्थन कर रहे हैं।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि कालेज परिषदें, जिनका कि दिल्ली के विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय एवं कर्मचारी वर्ग ने विरोध किया है, कालेज प्रशासनिक प्ररिषदों में बदल दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे सम्बन्धित वर्गों को संतोष हुआ है।

यह कहना कि यह आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है एकदम गलत है। वास्तव में यह आन्दोलन देश में शिक्षा के जनतंत्रीकरण की दिशा में एक कदम है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पुरः स्थापित करते समय कहा गया था कि उक्त विधेयक गजेन्द्र गड़कर आयोग प्रतिवेदन के अनुसार तैयार किया गया था। परन्तु खेद का विषय है कि उक्त आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष विचारार्थ कभी नहीं रखी गई।

प्रो० एस० नुरुल हसन : रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं इससे इन्कार नहीं करता कि रिपोर्ट सभा पटल पर

रखी गई थी। परन्तु उस पर चर्चा के लिये रखा गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। और हमको चर्चा का अवसर नहीं दिया गया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की यही मांग है कि नीति निर्धारिण निकायों में उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। परन्तु यह उन्हें प्राप्त नहीं हो सका।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि कालेज प्रशासनिक परिषद् को मूल अध्यादेश में निहित कुछ शक्तियां नहीं दी जा रही हैं परन्तु यह कार्यवाही भी शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को अभी तक पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं कर पाई है। यदि आप ऐसे सुधारात्मक उपाय करते हैं तब उनमें इतनी शीघ्रता तो नहीं की जानी चाहिए। हमेशा ऐसे सभी उपक्रम सत्र के अन्तिम दिन रखे जाते हैं। इस पर राज्य सभा में एक संशोधन स्वीकार किया गया है। अतः मालूम हो जाता है कि विधेयक में सुधार के अवसर अभी भी हैं। अतएव इसे दोनों सदनों की प्रवर समिति को क्यों न सौंपा जाये ? इससे सभी सम्बद्ध पक्षों को अपने-अपने मत रखने का अवसर मिल जायेगा। थोड़ी सी देरी से कोई अनर्थ न होगा।

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : I rise to support this bill. It would have been better if a comprehensive bill had been brought earlier rather than first issuing an ordinance to obviate criticism by some opposition members.

It is true that there are many apprehensions in the minds of teachers today and many misgivings have been injected into them unfortunately. I have found with regret that most of these teachers are not conversant with various provisions of these statutes and the ordinance and yet they feel very strongly about it. Perhaps, they also need be educated about legislative measures concernig them.

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं स्वयं अध्यापक हूँ और मैं उनकी टिप्पणियों पर कड़ा विरोध करता हूँ।..................

सभापति महोदय : शान्ति-शान्ति। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शालिल नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : **

Smt. Subhadra Joshi : I regret that these 4,C00 teachers have allowed themselves to be mislead by a handful of people. It is time that in Dehli the number of university students has swelled to over one lakh, there are about 50 Colleges and 4.000 teachers for them and whereas postgraduate and honours education is well-looked after, the teaching arrangement for other leaves much to be desired. A comprehensive legislation should be brought to encompass the entire educative system and the policy in this regard should be clearly enunciated.

It has also been noticed that during the recent agitation many responsible persons like the hon. Education Minister and the Vice-chancellor havespoken in ar irresponsible manner. The recommendations made by a Committee re: decentralisation of College Education should be made known and it is also necessary to state that if such recommendation will fully accepted, it would have immensely harmed the Delhi University.

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
No recorded

Shri Bade said many things about this Bill, but perhaps he did not read the relevant Statutes and the other material. Such measures also have scope for improvements but some members think that Jan Sangh must take a stand against anything said or done by Government. The recent agitation has proved that Jan Sangh flourishes in misunderstanding, misinformation and lawlessness. Today Shri Bade made a mention of Aligarh......

Shri R. V. Bade : This is wrong (**Intersruption**)

Smt. Subhadra Joshi : It appears that Muslim Majlis and Jan Sangh are in league as in the case of Aligarh and Simla Agreement. They are aiming at substaging higher education in Universities.

One hon. Member : This is wrong.

Smt. Subhadra Joshi : They think that with the spread of education, they shall not be able to influence them by their doctrines. They are trying to..............

श्री समर गुह : माननीय सदस्या शायद जो बातें कर रही हैं उसका महत्त्व नहीं समझ रही हैं। वह हजारों प्राध्यापकों को दल एक का खिलौना बता रही हैं। यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : जब सदस्य महोदय को अपनी बात करने का अवसर मिलेगा तो वह इसका खण्डन कर सकते हैं ;

Shri Samar Guha : Sir, she is branding all teachers as Saboteors and tools of R. S. S. Have these 4500 teachers no brains of their own.........

सभापति महोदय : उनकी कोई बात दर्ज न की जायं। मेरी आज्ञा के बिना वह खड़े होकर भाषण नहीं दे सकते।

श्री समर गुह : **

Smt. Subhadra Joshi : I therefore urge the hon. Minister to educate these teachers on the subject. If universities are allowed to become politicians' dens, it will bring untold harm not only to teachers but students also.

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवारा) : जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है कि यह दिल्ली विश्वविद्यालय जो देश का एक सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, बन्द पड़ा है और 4,000 प्राध्यापक और 4,000 गैर अध्यापन कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

सरकार ने पहले भी अनेक विश्वविद्यालयों के मामले में भूलें की हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में भी ऐसी भूलें हों।

यह विधेयक राज्य सभा से पास होकर आया है और मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने अनेक संशोधन स्वीकार करके इसे बेहतर बना दिया है। आशा है वह यहां भी कुछ और संशोधन स्वीकार करके इसे विश्वविद्यालय में सभी संबंधित हितों के लिए स्वीकार्य बनाएंगे।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded

इस विधेयक में प्रस्तावित कालेज प्रशासक परिषदों के बारे में प्राध्यापकों के मन में संदेह उचित ही हैं। वे समझते हैं कि इन परिषदों के गठन से विश्वविद्यालय और कालेज अलग-अलग हो जाएंगे और उनको दो भागों में बांट दिया जाएगा—एक विश्वविद्यालय स्तर वाला और दूसरा स्वायत कालेजों वाला—इसे वे भेदभाव समझते हैं। मुझे मंत्री महोदय के इस आश्वासन से खुशी हुई है कि इस विधेयक के पास होने पर ऐसा नहीं होगा। परन्तु पता नहीं सरकार ने अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों से मिलकर समाधान खोजने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अब भी ऐसा किया जा सकता है।

यदि संयुक्त समिति को यह विधेयक सौंपने का सुझाव स्वीकार्य नहीं है तो इस पर विचार दो दिनके लिए स्थगित कर दिया जाये और कुलपति, अध्यापकों तथा कर्मचारियों से बातचीत करके एक सर्वमान्य विधेयक लाकर पास किया जाये। आशा है सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लेगी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव सरकार ने स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप देश भर में दंगे हुए और परिणामस्वरूप 25 व्यक्ति मारे गये। आशा है दिल्ली के मामले में हम ये भूलें नहीं करेंगे।

श्री समर गुह : खेद है कि दिल्ली के सदस्यों ने राजनीति से प्रेरित होकर भाषण दिए हैं और सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने विरुद्ध कर लिया है। उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए।

मैंने अनेक प्राध्यापकों से बात की है और उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो। उनके लिए ऐसी बात कहना बहुत अशोभनीय है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं इसी व्यवसाय से इतने समय तक सम्बद्ध रह कर भी अध्यापकों और उनकी भावनाओं के प्रति उदासीन क्यों हैं। अध्यापकों में जो सम्पूर्ण मतैक्य मैंने देखा वह भी अभूतपूर्व है।

सभापति महोदय : शान्ति। शान्ति। इस समय 5-30 बजे हैं और आधे घंटे की चर्चा का समय हो गया है परन्तु आधे घंटे की चर्चा के प्रस्तावक ने लिखकर अनुरोध किया है कि इसे स्थगित कर दिया जाये। मैं सभा की अनुमति चाहता हूँ कि क्या विचारार्थ विषय ही चलता रहे?

श्री जी. विश्वनाथन : जी नहीं।

सभापति महोदय : जब उन्होंने लिख कर दे दिया है तो इसका अर्थ है कि यह चर्चा व्यपगत हो चुकी है।

(अन्तर्बाधाएं) : कल भी यही हुआ था और हमने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा बाद में की थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्योंकि प्रस्तावक उपस्थित नहीं है, अतः कार्य-सूची का क्रम बिगड़ गया है। परन्तु क्रम तो बनाये रखना होगा। क्या आप ने यही कहा है कि 6 बजे यह चर्चा रोक कर नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ कर दी जायेगी?

श्री एस. एम. बनर्जी : आधे घंटे की चर्चा नहीं हो रही है, और मैं नियम 193 के अधीन चर्चा को स्थगित नही कराना चाहता।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यदि दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक पर चर्चा समाप्त हो गई होती तो नियम 193 वाली चर्चा हम अभी आरंभ कर सकते थे परन्तु क्योंकि वह चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है अतः मैं यह भी करने को तैयार हूँ कि एक घंटे के लिए नियम 193 के अधीन चर्चा हो और बाद में 7 बजे तक दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधी चर्चा पुनः आरंभ की जाये। क्रम भंग करने का कोई ठोस कारण नहीं है और इस विधेयक पर चर्चा पहले समाप्त होनी चाहिए।

श्री पीलू मोदी : जब आपने श्री गुह का भाषण बन्द कर के आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने का आदेश दिया था तो उस विधेयक पर चर्चा तो उसी समय समाप्त हो गई। अब तो इस चर्चा से अगला कार्य आरंभ होना चाहिए क्योंकि प्रस्तावक ने चर्चा को वापस ले लिया है।

श्री समर गुह : यदि मद संख्या 26 (आधे घंटे की चर्चा) है समाप्त हो गई तो...... **(अन्तर्बाधाएं)**

सभापति महोदय :अनेक सदस्य खड़े हो गए हैं और बोल रहे हैं। किसी भी सदस्य की बात दर्ज नहीं की जाएगी जो बिना अनुमति बोलेगा...... **(अन्तबाधाएं)**

श्री के. डी. मालवीय : संसदीय-कार्य मंत्री द्वारा कही गई बातें काफी ठीक हैं और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वे दुर्भाग्यवश विपक्ष को मान्य नहीं हैं......

कुछ माननीय सदस्य : हमने वे मान लिए थे।

श्री के. डी. मालवीय : वे सर्त माने गए थे और क्योंकि इसका कोई समझौता नहीं हो सकता अतः सभापति महोदय इस पर अपना निर्णय दें...... **(अन्तर्बाधाए)**

सभापति महोदय : मैंने निर्णय किया है कि क्योंकि 5-30 वाली आधे घंटे की चर्चा प्रस्तावक ने वापस ले ली है, अतः विधेयक पर चर्चा 6.00 बजे तक जारी रहेगी। 6.00 बजे कार्य सूची में दर्ज कार्य आरंभ होगा।

श्री समर गुह अपना भाषण जारी रखेंगे **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री एस. ए. शमीम : संसदीय-कार्य मंत्री के उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसे हमने स्वीकार कर लिया था ?

श्री जी. विश्वनाथन : उस प्रस्ताव का क्या हुआ **(अन्तर्बाधाएं)**

सभापति महोदय : शान्ति। २० मिनट हमने यूं ही गँवा दिए हैं। श्री समर गुह अपना भाषण जारी रखेंगे **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri H. C. Kachwai : Sir......

Mr. Chairman : Whatever he says will not go on record.

Shri H. C. Kachwai :**

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) ; Please give me an opportunity to speak.

Mr. Chairman : No, please. You may please sit down. Shri Samar Guha may continue his speech.

जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, हमने यह समझा था कि वहां अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नही है । आप बैठ जाइये।

श्री समर गुह : अब मैं भूल गया हूँ कि मैं क्या कह रहा था । अतः आप मुझे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दें और इस विषय पर मुझे अगले दिन बोलने की अनुमति दें ।

सभापति महोदय : जी नहीं, आप अपना भाषण इसी समय जारी रख सकते हैं ।

श्री समर गुह : मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाये कि सभी अध्यापकों को समान क्यों किया जा रहा है । इसके पीछे कुछ मूलभूत कारण हैं ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

कर्मकारों को बोनस की अदायगी के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. PAYMENT OF BONUS TO WORKERS

श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए

Shri R. D. Bhandare in the Chair

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बोनस को 4 प्रतिशत से 8.33 प्रतिशत बढ़ाने के श्री खाडिलकर के फार्मूले से सभी मजदूरों के हृदय क्षुब्ध हो रहे हैं । मुझे विश्वास है कि यदि सरकार ने पूजा की छुट्टियों से पूर्व इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया तो सभी स्थानों पर हड़तालें आदि होंगी । बम्बई में हाल में हड़ताल हुई थी और मजदूरों की मुख्य मांग यह थी कि बोनस को बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत कर दिया जाये । आज के समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि बम्बई के दो लाख से अधिक मजदूरों ने यह मांग की है कि बोनस 8.33 प्रतिशत किया जाये नहीं तो वे 2 सितम्बर से हड़ताल कर देंगे ।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए केवल एक घण्टे का समय ही नियत किया गया है । सात बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

श्री एस० एम० बनर्जी : इसी प्रकार कानपुर के कपड़ा मजदूरों ने भी हड़ताल करने का निर्णय किया है। मजदूरों के प्रत्येक वर्ग ने बोनस को बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत करने की माँग की है। मैं नहीं जानता कि पुनर्विलोकन समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी।

रेलवे, रक्षा तथा डाक व तार कर्मचारी भी बोनस अधिनियम को उन पर लागू करने की माँग कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि सरकार इस को रद्द करने जा रही है क्योंकि इस मामले पर विचार करना समिति के निर्देष पदों में नहीं था।

हमने सुना है कि इस विषय पर राजनीतिक कार्य समिति, मान्तरिक कार्य समिति अथवा मंत्रीमण्डल में विचार किया गया था। यह भी कहा गया है कि सरकार इस बारे में कठोर रवैया अपनायेगी। बोनस ही एक ऐसी चीज है जिससे मजदूर अपने तथा अपने बच्चों के कपड़े आदि बनाता है। वेतन तो प्रतिदिन की आवश्यकताओं पर ही खर्च हो जाता है। सरकार स्वतंत्रता के 25 वर्ष पश्चात् भी कीमतों को बढ़ने से रोकने में असफल रही है।

माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहिए कि समिति कम से कम अन्तरिम रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी जिससे मजदूरों के बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत किया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो बंगाल तथा अन्य राज्यों में हड़तालें होने जा रही है।

रेलवे रक्षा, तथा डाक व तार विभागों के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिए। परामर्शदात्री समिति में यह निर्णय किया गया था कि बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत किया जाये और यह प्रश्न मदन समिति को सौंपा जाये।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwary in the Chair

माननीय मंत्री यह बतायें कि इस बारे में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। क्या यह सच है कि माननीय सदस्य किसी एक बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है वेतन आयोग ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और जीवन निर्वाह सूचकाँक 228 से बढ़ गया है। सरकार ने अन्तरिम सहायता देने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की ओर से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि खाडिलकर फार्मूले को लागू करें।

सरकार ने इस बारे में कठोर रवैया अपनाया है। सरकार जब बीमा कम्पनियों को 38 करोड़ रुपये दे सकती है और 10 करोड़ रुपये भूतपूर्व नरेशों को दे सकती है तो वह सरकारी कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं दे सकती। मेरा अनुरोध है कि सरकार पूजा की छुट्टियों से पूर्व ही इस बारे में शीघ्र निर्णय ले ले।

प्रो. मधु दंडवते : (राजापुर) : कुछ समय पूर्व समाचारपत्रों में इस आशय का समाचार छपा था कि केन्द्रीय मंत्रि मंडल ने पूजा की छुट्टियों के पूर्व मजदूरों को अनुग्रह-अनुदान देने का निर्णय किया है। इस समाचार में यह भी था कि बोनस की समस्या के बारे में बोनस पुनर्विलोकन

समिति के सदस्यों में तीव्र मतभेद हैं। ऐसे भी समाचार आये हैं कि नियोक्ता बोनस की न्यूनतम राशि को बढ़ाने के विरुद्ध हैं परन्तु वह बोनस अधिनियम को कर्मचारियों के अन्य वर्गों पर लागू करने के विरुद्ध नहीं हैं। क्या सरकार ने पूजा की छुट्टियों से पूर्व भुगतान करने का कोई निर्णय किया है ? ऐसे भी समाचार छपे थे कि सरकार इस समिति को ही समाप्त करने जा रही है। मेरा निवेदन है कि समिति को समाप्त करने में समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार की बोनस के बारे में नीति क्या है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनीं चाहिए।

हमारे विचार में मजूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ने वाला सिद्धान्त बहुत खतरनाक है। प्रत्यक्ष में तो ऐसा लगता है कि मजदूरों को उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु उत्पादन केवल मजदूरों पर ही निर्भर नहीं करता है। कच्चे माल की उपलब्धता उसके मूल्यों का स्तर आदि पर भी उत्पादन निर्भर करता है।

मैं श्रम मंत्री को बताना चाहता हूं कि चूंकि बोनस के लिए आन्दोलन आरम्भ हो गया है इस लिए अनेक अलोकतंत्रीय प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो रही हैं। बम्बई नगर निगम ने इस आशय का संकल्प पास किया है कि उसके कर्मचारियों को एक महीने का वेतन अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया जाये। इसमें राज्य सरकार तथा निगम के बीच झगड़ा उत्पन्न हो गया और सरकार को इस मांग को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ा 'बैस्ट' के कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अब उनपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं जिससे स्थिति खतरनाक होती जा रही है।

सरकार को सैन्ट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों से मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। परन्तु सरकार को अलोकतंत्रीय प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बोनस की न्यूनतम राशि को 4 प्रतिशत से 8.33 प्रतिशत करने पर दूसरे सदन में चर्चा हुई थी और श्री खाडिलकर ने इस बात को उचित माना था। परन्तु इस मामले के पुनर्विलोकन के लिए समिति बनाने में अनेक महीने लग गये। अब ऐसे समाचार आ रहे हैं कि समिति के सदस्य आपस में किसी बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं। किसी ने यह भी सुझाव दिया है कि जो कम्पनियाँ लाभ अर्जित कर रही हैं वे 8.33 प्रतिशत बोनस दें और दूसरी कुछ कम बोनस दें। मैं मजदूरों की एक बड़ी संख्या की ओर से यह बताना चाहता हूँ कि हम इस भेदभाव की नीति को स्वीकार नहीं करेंगे।

बोनस का उत्पादकता उत्पादन अथवा लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं है। बोनस का विचार तो स्थगन मजदूरी के रूप में भारत में आया था। यदि बोनस पुनर्विलोकन समिति अपना प्रतिवेदन देने में विलम्ब करती है तो सरकार को 8.33 प्रतिशत बोनस दिये जाने की घोषणा करनी चाहिए। यह बात रेलवे, रक्षा तथा अन्य सरकारी उपक्रमों तथा नगरमहापालिकाओं में मजदूरों पर भी लागू होनी चाहिए।

बम्बई निगम पर सरकार द्वारा यह दबाव डाला गया है कि वह अनुग्रह अनुदान की बात को स्वीकार न करे। परिणामस्वरूप सभी स्थानों पर हड़ताल चल रही है। कलपना के इन्जीनिय-

रिंग तथा अन्य कर्मचारी आगामी 15 तारीख को बोनस दिवस मनाने जा रहे हैं। यदि सरकार ने बोनस की घोषणा में विलम्ब किया तो परिणाम की वह स्वयं जिम्मेदार होगी। अतः मैं श्री खाडिलकर से अनुरोध करूंगा कि बोनस की तुरन्त घोषणा करें। बोनस पुनर्विलोकन समिति को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

***श्री ई. आर. कृष्णन : (सलेम)** : गत दस वर्षों में देश के औद्योगिक उत्पादन में 42.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सारा कार्य देश के मजदूरों द्वारा ही किया गया है। परन्तु 1960-61 के मूल्यों को देखते हुए प्रति व्यक्ति आय में केवल 18 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

प्रो. मधु दण्डवते ने कहा है कि यदि 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाये तो कुल 200 से 250 करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ेगी जब। 4661 करोड़ का उत्पादन अधिक हुआ हो तो 200 अथवा 250 करोड़ रुपये की राशि कुछ अधिक नहीं है।

बोनस अधिनियम के पास होने के पश्चात 1965 में बोनस की राशि चार प्रतिशत नियत की गई थी, परन्तु इन सात वर्षों में रुपये के मूल्य में 50 प्रतिशत की कमी हो गई है। अतः समूचे देश में 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाना आवश्यक है। 1969-70 में मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय एक रुपया भी नहीं दी।

ऐसी आशा थी कि बोनस अधिनियम से अनेक मतभेद दूर हो जायेंगे परन्तु इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं मैं जानना चाहता हूँ कि बोनस समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी।

कोयम्बटूर के कपड़ा मिलों के मालिक गत वर्ष अपने मजदूरों को 8.3 प्रतिशत बोनस देने पर सहमत हो गये थे। उस समय श्री डी० संजीवैया ने यह माल वापिस दिया था कि सरकार बोनस अधिनियम में संशोधन करेगी। अतः सरकार को बोनस अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक तुरन्त सभा में पेश करना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): I support the 8.33 percent increase in quantum of minimum bonus. To-day bonus is not given in many Departments of the Government like Railways, P & T Department, Municipalities etc. and demands for its payment have been made at several occasions but the Government has done nothing in this regard, Many disputes take place in the country in respect of the demand for an increase in the quantum of minimum bonus. It is a general practice in small factories that reduced number of workers is shown in the registers so that they do not come within the purview of provident Fund and bonus. It is my demand that the limit of workers should be reduced to 10 so that the workers can not be deprived of the benefits of provident fund and bonus.

Last time a dispute arose on the bonus issue in a factory of the Birlas at Nagda where several workers were killed in firing. The workers demanded 40 percent bonus but the Birlas were reluctant to cope with their demand. The employees and the workers are having this impression that the industrialists and the government are in hand and glove with

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on english translate of the speech delivered in Tamil.

each other. I request you to take stringent measure for the benefit of the workers and bonus should be given to them before Dussera festival.

श्री राजा कुलकर्णी : (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : बोनस पुनरीक्षण समिति ने इस वर्ष विलम्ब से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। सरकारी तथा औद्योगिक कर्मचारी एवं सभी मजदूर संघ यह स्पष्ट करते हैं कि बोनस के मामले को मजूरी सम्बन्धी नीति का मामला समझा जाना चाहिए। सारा मामला बोनस को 4 से 8.33 प्रतिशत तक बढ़ाने के बारे में है। इस प्रश्न पर नियोजकों ने आलोचना की है परन्तु मैं नहीं समझता कि सरकार को नियोजकों की आलोचना का क्या भय है।

मजदूर संघों का यह कहना है कि न्यूनतम बोनस की मात्रा में वृद्धि करने से प्रबन्ध की कार्यकुशलता बढ़ जायेगी। यदि सरकार वास्तव में प्रबन्धकों की कार्यकुशलता तथा कारखानों के कार्यकरण में सुधार करना चाहती है तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि न्यूनतम बोनस को 4 से 8.33 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : The responsibility for payment of minimum bonus of 8·33 per cent is not the responsibility of mill-owners and workers but it is the hon. Minister who is responsible for it. Under the Bonus Act, the bonus for the year ending 31st December should be paid by 31st. If the bonus is not paid by this date, an impression will prevail that they have violaed the Bonus Act.

Under the Khadilkar Formula some bonus for the year 1970 was paid in advance. It is given in Bombay Agreement that if no decision is arrived at within eight months, the bonus for the year 1970 paid in advance will be deducted from the bonus for 1971. What a paradox ? In such situation what can the workers do except going on strike ?

This issue of bonus should not be made a political issue. This issue which ought to have been sorted out in 1971 is not being solved in 1972. It is a sad affair.

Shri M.C. Daga (Pali) : Prices are hitting sky and the only demand of the workers is for an increased bonus. The milles at Pali make profits to the tune of lakhs of rupees. The workers of Pali mills should be given 12 to 13 per cent of minimum bonus.

श्री पी. एम. मेहता (भावनगर) : बजट सत्र में मैंने कहा था कि यदि न्यूनतम बोनस के मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तो श्रमिकों को विवश होकर हड़ताल करनी पड़ेगी। जब केन्द्रीय श्रम मंत्री 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस सूत्र के प्रणेता हैं तो देश के मजदूर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कारण से इस मामले में अन्तिम निर्णय किये जाने में असामान्य विलम्ब हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अन्तरिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा। क्या सरकार नियोजकों को यह अनुदेश देगी कि वे 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस के आधार पर अदा की गई अग्रिम राशि वापस न काटें। क्या सरकार सरकारी उपक्रमों और वाणिज्यिक संस्थाओं को अपने मजदूरों को 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देने के लिए अनुदेश देगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर : मैं यह समझता था कि अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्य बोनस बढ़ाने की मांग करेंगे परन्तु इस बारे में मुझे कुछ असंतोष है ।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि सरकार को यह ज्ञात है कि बोनस में वृद्धि की मांग की जा रही है । एक बार राज्य सभा में इस आशय का विधेयक पुरःस्थापित किया गया था कि न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत कर दिया जाय ।

इस विधेयक का सरकार ने समर्थन नहीं किया है । उस समय मैंने कहा था कि बोनस अदायगी अधिनियम की योजना का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

5 जून, 1972 को उक्त समिति की बम्बई में हुई प्रथम बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था । मैंने यह उल्लेख किया था कि पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों पर औद्योगिक और व्यापारिक गृहों के लिए यह एक प्रथा सी बन गई है कि वे श्रमिकों में बोनस वितरित करे ।

अतः मैंने इस बात की ओर संकेत किया था कि गत वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए समिति शीघ्रातिशीघ्र अपना निर्णय करेगी ।

वर्तमान योजना का लाभ से निश्चित सम्बन्ध है । मैं यह बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि अधिनियम में ऐसा उपबन्ध है कि यदि किसी वर्ष में वितरण के लिए बचत न भी हो तो 4 प्रतिशत बोनस की अदायगी करने के लिए संस्थान बाध्य है । बोनस की मात्रा बढ़ाने अथवा इसका स्वरूप निर्धारण करने के बारे में बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार इसका पुनरीक्षण करेगी, इस अवस्था में हमें इन मामलों पर पहले से ही निर्णय नहीं कर लेना चाहिए ।

अभी माननीय सदस्य श्री बनर्जी ने मूल्यों के बारे में प्रश्न उठाया । क्या उन्होंने बोनस की मांग को अर्थव्यवस्था की समूची पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न किया ? यदि वह मूल्यों, लाभ, मजूरी को सामान्य स्तर और उत्पादिता के संदर्भ में यह कहते तो उचित था ......

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : बहुत से उद्योग में निस्संदेह उत्पादन बढ़ा है ।

श्री आर. के. खडिलकर : मैं यह नहीं कह रहा परन्तु मांग उचित संदर्भ में होनी चाहिए ।

श्री राजा कुलकर्णी : उत्पादिता के साथ न्यूनतम बोनस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री आर. के. खाडिलकर : इस बारे में जहां तक माननीय सदस्यों के विचारों का सम्बन्ध है, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ । इस समय प्रश्न यह है कि अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि पूजा और दिवाली के अवकाश हो रहे हैं और स्वाभाविक ही है कि श्रमिकों में क्षोभ है तथा मजदूर संघ के नेता बोनस के प्रश्न के बारे में चिंतित हैं । उनकी चिंता सही है । परन्तु श्री बनर्जी का यह कहना उचित नहीं है कि बम्बई में हड़ताल होने जा रही है । क्या माननीय सदस्य ने इस बात पर विचार किया है कि वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ? वह केवल संगठित क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व करते हैं क्या उन्हें पता है कि रोजगार-प्राप्त और बेरोजगार लोगों के बीच खाई बढ़ रही है।

गतवर्ष के बम्बई फार्मूले का उल्लेख किया गया है जो स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार की तदर्थ व्यवस्था थी। यह न्यूनतम बोनस को बढ़ाने का वचन नहीं था अपितु इसमें यह संकेत था कि कुछ अग्रिम भुगतान के लिए साथ-साथ पुनरीक्षण किया जायेगा।

अर्थव्यवस्था सम्बन्धी सभी नीतियों और वेतन बोनस सम्बन्धी नीतियों जैसे इन सभी मामलों पर समूची अर्थ व्यवस्था की पृष्ठ भूमि को दृष्टिगत रखे हुए इस पर उचित विचार किया जायेगा।

श्री पी. एम. मेहता ने जानना चाहा है कि प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा, इस बारे में मेरा यह कहना है कि हम समिति को ऐसा कोई निदेश जारी नहीं करते।

पुनरीक्षण होने तक अग्रिम धनराशि की वसूली के प्रश्न पर प्रायः सभी औद्योगिक संस्थाओं की स्वयं उनके संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं गया है अपितु परामर्श दिया गया है कि वे अपनायी गई अग्रिम धनराशि को वसूल न करें तथा लगभग सभी औद्योगिक मालिकों ने वह सुझाव स्वीकार कर लिया है।

मैं श्री बनर्जी के प्रश्न के उतर में कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों सरकारी उपक्रमों सरकारी संस्थानों रेलवे, डाक तथा तार, रक्षा संस्थान वेतन आयोग के अन्तर्गत आते हैं।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार तथा समिति इस मामले के बारे में चिंतित है। ऐसे लोगों की ओर से भी मांग की गई है कि जो इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मैंने उसे नोट कर लिया है।

श्रमिकों के नेताओं को संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। प्रो० मधु दंडवते मुझ से इस पर सहमत होंगे कि स्थिति से निपटने के लिए उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार 1 सितम्बर, 1972/10 भाद्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

Tha Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday September 1, 1972/ Bhadra 10, 1894 (Saka).